खण्ड-158, अंक-7
बुधवार, 20 आश्विन, शक संवत् 1877
(12 अक्टूबर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 158 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार , १२ अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में श्री बेचन राम गुप्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजाहुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डाल चन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकरामशर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी,श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद साबातद अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणन्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री,
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १२ अक्तूबर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१-२--श्री नारायगदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--

[१७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

रामपुर जिले में अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार

**३--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले में मई, १९५५ से अगस्त, १९५५ तक कितने ऐसे अपराधों की रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई जिनमें ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की अबोध बालिकाओं के साथ निर्मम बलात्कार करने की शिकायतें की गई हैं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--पांच ।

**४--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में अब तक किस-किस के विषय में पुलिस की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सभी मामलों की जांच करके उनका चालान कर दिया गया है ।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी उन पांच मामलों का विवरण देने की कृपा करेंगे ?

अधिष्ठाता--मैं पब्लिक इंटरेस्ट में यह अच्छा नहीं समझता हूं कि यह बलात्कार की बातें विवरण के साथ यहां बतलायी जायं ।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन पांच में से एक के मुल्जिम नहीं पकड़े गये हैं और पाकिस्तान भाग गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां ।

तारांकित प्रश्न

उद्योग धंधों की उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन का प्रयोग

*१--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ में कितने ऐसे उद्योग-धन्धे थे, जिनमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता पूरी तौर से इस्तेमाल नहीं की जा सकी और इसके क्या कारण थे ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--- सन् १६५४-५५ में केन्द्रीय सरकार से निम्नलिखित उद्योगों के लिये मिली आर्थिक सहायता पूरी तौर से प्रयोग नहीं हो सकी :

१---गुड़ तथा खांडसारी उद्योग ।

२---करघा उद्योग ।

३---लेदर फ्लेइंग और टैनिग उद्योग ।

४---फुटवियर उद्योग ।

५---काष्ट सीजनिंग उद्योग ।

इसका कारण यह था कि नवम्बर १,३,४ और ५ पर उल्लिखित उद्योगों के लिये सहायता विलम्ब से मिली । करघा उद्योग के लिये कुछ अनुदान की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त हुई ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बतायेगी कि इन धंधों के लिए कुल कितनी आर्थिक सहायता जो मिलने वाली थी, वह नहीं मिल सकी ?

श्री बनारसी दास---वैसे कुल सहायता इस प्रकार से है---

गुड़ खांडसारी उद्योग के लिए, ..	४४,२०० रु० ।
हैन्डलूम इंडस्ट्री के लिये ..	३३,०६,३५२ रु० ।
लैदर फ्लेइंग और टैनिग उद्योग के लिए	७,३३,०६१ रु० ।
फुटवीयर के लिए ..	५,७०,१३७ रु० ।
व्हीट सीजनिंग उद्योग के लिये ..	१,७०,४६० रु० ।

यह कुल मिली थी ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सहायता विलम्ब से प्राप्त होने का क्या कारण विशेष था ?

श्री बनारसी दास---यह है कि वित्तीय वर्ष के अन्दर में केन्द्रीय सरकार से इसकी स्वीकृति नहीं मिल पायी ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन धंधों में नम्बर ३ लेदर टैनिंग को यह सहायता समय से मिल गयी थी पर राज्य सरकार उसका प्रयोग न कर सकी ?

श्री बनारसी दास---ऐसा तो नहीं है क्योंकि लेदर और टैनिग वगैरह, इन सबके लिये मार्च, ५५ के अन्त में मिली थी । इस लिये यह कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है कि राज्य सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर पायी ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---जो रुपया सरकार के पास जमा है क्या वह अगले वर्ष में सारा रुपया खर्च किया जायगा या वह लैप्स हो गया ?

श्री बनारसी दास---वह तो हर साल योजनायें दी जाती हैं और उसी के आधार पर फिर केन्द्र से और आल इन्डिया हैन्डलूम बोर्ड से, जो उसके लिये अलग अलग बोर्डस् बने हुये हैं उनसे सहायता मिलती है । जो वर्ष चल रहा है इसके लिये हमारी योजनायें हैं और प्रत्येक के लिये सेन्टर से रुपया मिला है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो सहायता विलम्ब से प्राप्त हुई थी उसका प्रयोग करना असम्भव था ?

श्री बनारसी दास--जैसा अभी बतलाया गया है कि जब मार्च, ५५ में यह सहायता मिली तो योजनाय बनाने में और उसका संगठन करने में समय लगता है। इसलिये कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता था।

डिप्टी प्रोजेक्ट्स अफसरों की प्रशिक्षण अवधि

*२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि डिप्टी प्रोजेक्ट्स अफसर जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में नियुक्त किये जाते हैं, उनके लिये प्लानिंग कमीशन अथवा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेनिंग की कितनी अवधि और कितना कोर्स निर्धारित किया है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--कोई अवधि या कोर्स निर्धारित नहीं किया है।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५२ में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश के पन्ना ५ में दिया हुआ है कि तालाब बख्शी में ट्रेनिंग कैम्प खोला गया है और वहां डी० पी० ओ०, प्रोजेक्ट अफसर और विलेज लेविल आफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती रही है ?

श्री फूल सिंह--जी हां।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर जो ट्रेनिंग दी गई विभिन्न लोगों को या प्रोजेक्ट आफिसर्स को तो वह किस कोर्स की ट्रेनिंग दी गयी और कितने समय की वह ट्रेनिंग थी ?

श्री फूल सिंह--आपका प्रश्न तो यह था कि केन्द्रीय सरकार या ऐडमिनिस्ट्रेशन से कोर्स निर्धारित हुआ है या नहीं डिप्टी पी० ओज० के लिये, हमने अपना एक कोर्स ६ हफ्ते का निर्धारित किया था।

हमीरपुर जिले में गृह उद्योगों के लिये सहायता

*३--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हमीरपुर में मुख्यतः कौन-कौन गृह-उद्योग चल रहे हैं और उनके लिये गत तीन वर्षों में सरकार से किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

श्री बनारसी दास--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६० पर)

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तेल पेरने और पत्थर का जो काम है इसके लिये भी वे सहायता नहीं दे सके, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास--इस प्रकार की सहायता के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई जांच करवाई ह कि पत्थर उद्योग में एक बहुत बड़ा तबका गौरई ग्राम में लगा हुआ है उनके प्रोत्साहन के लिये कुछ सहायता दी जाय ?

श्री बनारसी दास--जी हां, यह मालूम है कि वहां पर केवल २०० व्यक्ति पत्थर के काम में लगे हुये हैं।

हमीरपुर जिले में बुनकरों की सहायतार्थ कार्य

*४---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार बतायेगी कि गत तीन वर्षों में जिला हमीरपुर के बुनकरों के हित में उनकी सहायतार्थ कौन-कौन से कार्य किये गये हैं और आगामी वर्ष में वह उनके लिये क्या-क्या करने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास---अब तक इस जिले में सात कर्घा बुनकर सहकारी समितियां बनाई गई हैं जिनमें से सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, महोबा को निम्नलिखित आर्थिक सहायता चालू आर्थिक वर्ष में दी गई है।

१---५६५ रु० ६ आ० ३ पा० रिबेट के रूप में ।

२---२,००२ रु० ८ आ० बिक्री घर खोलने के लिये ।

भविष्य में पूंजी तथा शेयर कैपिटल के लिये ऋण तथा नए ढंग के, बुनाई में उपयोग होने वाले, उन्नत यंत्र बुनकरों को आवश्यकतानुसार दिये जायेंगे। कपड़े की बिक्री पर छूट भी दिये जाने का आयोजन किया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो ये बुनकर समितियां बनी हुई हैं वे कहां, कहां बनी हुई हैं ?

श्री बनारसी दास---एक तो राठ करघा समिति, एक जैसपुर, एक महोबा, एक कारदा, एक मुरादालिया, एक हमीरपुर और ७ वीं सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन महोबा है।

चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य का बकाया

*५---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य के किन चीनी मिलों ने १९५४-५५ सीजन में कितना-कितना गन्ना पेरा है, उसका कितना मूल्य उन्हें देना था और मई के अन्त तक कितना मूल्य बकाया ईख उत्पादकों का रह गया है ?

श्री फूल सिंह---वांछित आंकड़े तथा अन्य संबंधित सूचना संलग्न तालिका "क" में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६१-५६५ पर)

*६---श्री गेंदा सिंह---किस चीनी मिल के ऊपर सरकारी रकम कितनी बाकी है ?

श्री फूल सिंह---मिलों पर जो सेस का रुपया बकाया है उसका विवरण तालिका "ख' में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६६-५६८ पर)

*७---श्री गेंदा सिंह---उक्त वसूलियों के लिये सरकार द्वारा शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार कहां कार्यवाही की गई।

श्री फूल सिंह---१९५४-५५ सीजन में गन्ना मूल्य के बकाये की वसूली के लिये जिन-जिन चीनी मिलों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) अधिनियम, १९५३ के अनुसार सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके हैं, उनका विवरण संलग्न तालिका "ग" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५६९ पर)

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली अगस्त के पहले किन-किन कारखानों के ऊपर सर्टीफिकेट इश्यू किया गया था ?

श्री फूल सिंह---यह तो एक लम्बी सूची है, इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री गेंदा सिंह---जो सर्टीफिकेट इश्यू किये गये हैं वह कब किये गये हैं ?

श्री फूल सिंह---वह तो मुख्तलिफ तारीखों में इश्यू हुये होंगे। जिन मिलों पर गन्ने के दाम बकाया है और सोसाइटीज ने जिनके खिलाफ शिकायत की है, केन कमिश्नर ने उनको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिये हैं और कुछ ऐसी भी थीं जिनकी शक्कर कुर्क की गई है। यदि माननीय सदस्य ब्योरा चाहेंगे और प्रश्न करेंगे तो में जवाब दे सकूंगा।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि सभी को सर्टीफिकेट्स उस समय इश्यू किये गये हैं जब हमने सवाल टेबिल कर दिया था ?

श्री फूल सिंह---यह मैं कह नहीं सकता, मुमकिन है ऐसा हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार जिन मिलों पर तीन लाख या उससे ऊपर रुपया बकाया है उनके नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री फूल सिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की मुंडेरवा मिल के ऊपर भी कुछ रकम बाकी है ?

श्री फूल सिंह---यों एक-एक मिल के बारे में तो मैं इत्तिला नहीं दे सकूंगा। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में दे सकूंगा।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक करोड़ ७९ लाख रुपये की रकम जो केन सेस की बकाया है उसके लिये सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---इस वर्ष इसलिये इश्यू नहीं किया गया कि बहुत मिलों के पास शक्कर पड़ी हुई है और इस वर्ष शक्कर बहुत अधिक मात्रा में पैदा हुई है ऐसी फैक्टरियों ने रुपया देने में अपनी असमर्थता प्रकट की उनको सरकार ने कुछ समय दे दिया है और कुछ के बारे सरकार ने निर्णय कर दिया है कि उन्हें सेस के बकाया रुपये पर सूद भी देना होगा।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली, घाम्पुर और सरदारनगर के बारे में सरकार ने निर्णय किया है कि वह कब तक यह रकम दे देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब तारीख तो मुझे याद नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया कि कुछ फैक्ट्रीज को समय दिया गया है और उस समय के अन्दर उनको केन सेस का रुपया देना पड़ेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार उन मिलों के नाम बताने की कृपा करेगी जिनकी चीनी कुर्क की गई है ?

श्री फूल सिंह---सूचना की आवश्यकता है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन फैक्ट्रीज को समय दिया गया है तो वह क्या-क्या खास वजूहात थे जिनकी बिना पर समय दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी मैंने बतलाया कि फैक्ट्रियों ने जो शक्कर बनाई है उसकी अधिक मात्रा गोदामों में पड़ी हुई है और बिक नहीं सकी है और इस वर्ष शक्कर बहुत पैदा हुई है और शक्कर बिक नहीं सकी। इसलिये फैक्ट्रीज रुपया नहीं दे सकी तो सरकार ने मुनासिब समझा कि थोड़ा समय उनको अपनी शकर बेचने के लिये दे दिया जाय जिससे वह अपनी शक्कर बेंचकर हमारे सेस का रुपया अदा कर सक।

श्री गेंदा सिंह---क्या नियोजन मंत्री जी कम से कम यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १ करोड़ १२ लाख रुपया किसानों का फैक्ट्रियों के ऊपर बाकी है वह कब तक मिल जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसके लिये तो सबसे पहली प्राथमिकता, उनको जो आदेश दिये गये हैं, उनमें दी हुई है ।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन मिलों के जिम्मे गन्ना उत्पादकों का ३,४ साल का रुपया बाकी है उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसी केवल तीन चार ही फैक्टरियां हैं । उनमें कई जगह प्रबन्धक सरकार की तरफ से नियुक्त कराये जाते हैं और उनके द्वारा उनका संचालन कराया जा रहा है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि मुंडेरवा फैक्ट्री पर किसानों का साढ़े चार लाख रुपया बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुंडेरवा फैक्ट्री पर कितना बाकी है इसका इस वक्त मुझे पता नहीं है ।

'दुअन्नी कटौती' के रुपए की वापसी के लिए पडरौना तहसील के गन्ना काश्तकारों की प्रार्थना

*८---श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया, तहसील पडरौना के गन्ना काश्तकारों का "दुअन्नी कटौती" का कितना पैसा सरकार के यहां जमा था ? क्या उस पैसे को वापस करने के लिये सरकार ने आदेश दे दिया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री फूल सिंह---पडरौना तहसील में दुअन्नी कटौती का कुल ५,५६,३४२ रु० ९ आ० ८ पा० गन्ना काश्तकारों का जमा था, जिसमें से अधिकांश धन काश्तकारों के भूमिधरी सनद (जेड० ए० एफ०) के संबंध में जमा हो गया । बाकी धन की वापसी के लिये भूमि व्यवस्था अभियुक्त के पत्र-संख्या १०६० जेड० ए० एफ० (५) ६२---१९५३, दिनांक फरवरी १७, १९५३ के द्वारा आदेश दिया जा चुका है और उसके अनुसार कार्यवाई हो रही है ।

*९---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील में इस पैसे की वापसी के लिये कितनी दरख्वास्तें कहां कहां से पड़ी और कितने रुपये वापस किये गये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री फूल सिंह---इस धनराशि को वापस लेने के लिये ११८५ प्रार्थना पत्र तहसील पडरौना में विभिन्न गांवों से प्राप्त हुये जिसमें से ३२४ प्रार्थना-पत्र की धनराशि जो २३,८१५ रु० ८ आ० ९ पा० है वापस कर दी गई है । ५५२ प्रार्थना-पत्र की सूची भूमि सुधार आयुक्त के द्वारा लखनऊ कोआपरेटिव बैंक को स्वीकृति के लिये भेज दी गई है तथा शेष ३०९ प्रार्थना-पत्र की सूची कोआपरेटिव बैंक की स्वीकृत के लिये तैयार की जा रही है । इन ८६१ प्रार्थना-पत्रों का, जिनका रुपया अभी वापस नहीं हुआ है, विवरण संलग्न तालिका "क" में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७०-५७१ पर)

*१०---श्री रामसुभग वर्मा---क्या यह सही है कि ग्राम सिकटा की २०० दरख्वास्तें दुअन्नी कटौती की वापसी की पड़ीं, परन्तु पैसा वापस नहीं मिला ?

श्री फूल सिंह---१९५ प्रार्थना-पत्र सिकटा गांव से दुअन्नी कटौती का रुपया वापस लेने के लिये पड़े थे, जिनकी सूची भूमि सुधार आयुक्त द्वारा कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ को स्वीकृति के लिये मार्च सन् १९५५ में भेज दी गई है, जो स्वीकृत होकर अब तक वापस नहीं आई स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर रुपया वापस कर दिया जायेगा ।

श्री रामसुभग वर्मा---जब १९५३ से वापसी की कार्यवाही हो रही है और आदेश हैं तो क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इस अवधि में कुल कितना पैसा दिया गया है ?

श्री फूल सिंह---यह तो मैंने बता दिया कि कितना दे दिया गया, कितना बाकी है और कितना दिया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार को पता है कि यह दुअन्नी में काटा हुआ पैसा जाल करके पटवारियों ने दसगुना में जमा करा दिया ?

श्री फूल सिंह---यह तो मालूम हुआ है कि दसगुना में जमा हो गया लेकिन पटवारियों ने जमा करा दिया था, यह मालूम नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने किसानों को भूमिधरी की सनद दुअन्नी कटौती से प्राप्त हुई है ?

श्री फूल सिंह---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुअन्नी की यह रकम वह किसानों को कब तक दिला सकेंगे ?

श्री फूल सिंह---बहुत जल्द देने की कोशिश की जायगी।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि कोआपरेटिव के पास जो दुअन्नी कटौती का पैसा वापस करने के लिये भेजा गया है उसमें बिलंब किस कारण से हो रहा है ?

श्री फूलसिंह---उनको चेक करना पड़ता होगा कि कहां कहां जमा है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह दो आना रुपया क्यों काटा जाता है ?

श्री फूल सिंह---अब यह नहीं काटा जाता है कभी पहले काटा जाता था।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सदन में सभी जानते हैं कि दो आना रुपया वाला रुपया जाल से पटवारियों ने जमा कराया था और सैकड़ों इसके उदाहरण हैं, तो क्या सरकार मेरे इस कहने पर जांच करायेगी ?

श्री फूल सिंह---इसके लिये जनरल जांच कराना तो मुश्किल होगा। माननीय सदस्य अगर किसी पटवारी का नाम देंगे तो उसकी जांच की जायगी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दो आना रुपया क्यों काटा गया था ?

श्री फूल सिंह---यह तो बहुत पुरानी बात है। काश्तकारों ने चाहा कि जमा किया जाय और उस समय सरकार का भी ऐसा ख्याल था तो यह दाम में से काटा गया।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय नियोजन मंत्री को इसकी जानकारी है कि कई वर्ष से यह मामला सरकार के सामने पेश है और कई लाख रुपया किसानों का कोआपरेटिव बैंक में जमा है। वह वापस न होने की वजह से कोआपरेटिव बैंक की साख बिगड़ रही है ?

श्री फूल सिंह---इस मामले पर खासतौर से ध्यान दिया जायगा और सारा रुपया जल्द ही वापस कराने की कोशिश की जायगी।

*११-१२---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---[१९ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

एन० ई० एस० ब्लाकों का "इन्टेन्सिव ब्लाक्स" में परिवर्तन

*१३--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन किन एन० ई० एस० ब्लाकों को "इन्टेन्सिव ब्लाक्स" के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है ?

श्री फूल सिंह---इन ब्लाकों की सूची माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५७२ पर)

ओखला कांडा में एन० ई० एस० ब्लाक, सर्गखेत के लिए आवास स्थान का निर्माण कार्य

*१४--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि एन० ई० एस० ब्लाक, सर्गखेत के हेतु आवास स्थान आदि का निर्माण अभी तक ओखलाकांडा में नहीं हो पाया है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री फूल सिंह--जी नहीं, काम शुरू हो गया है। जिस स्थान पर इमारतें बनने वाली हैं वहां से पानी की दूरी के कारण काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। वहां तक पानी पहुंचाने का भी बन्दोबस्त किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मुझे एक निवेदन करना है, वह यह कि नारायण दत्त तिवारी जी की तरफ से जितने भी प्रश्न हैं सब को स्थगित करने के लिये उन्होंने गेंदा सिंह जी को लिखा था।

अधिष्ठाता---यह कोई तरीका नहीं है। नियम २९ को आप देख लें ; उसमें लिखा है कि अगर किसी सवाल को आप स्थगित करना चाहते हैं तो प्रश्न कर्ता को स्वयं दरख्वास्त देनी चाहिये, और ऐसी कोई दरख्वास्त हमारे पास है नहीं। इस वास्ते हमने उसको मंजूर नहीं किया।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, जो पहले अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न से उस पर मंजूरी दी गयी है उसी एप्लीकेशन में।

अधिष्ठाता---उसमें केवल प्रश्न १-२ का जिक्र है। १३-१४ का जिक्र नहीं है। अगर १३-१४ का होता तो मैं मंजूर कर लेता।

बलिया जिले के अस्पताल

*१५--श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में बलिया सदर अस्पताल के अतिरिक्त और कितने अस्पताल हैं ?

श्री बनारसी दास---जिला बलिया में सदर अस्पताल के अतिरिक्त ३८ चिकित्सालय और हैं। इनमें से १६ एलोपैथिक व २२ आयुर्वेदिक एवं यूनानी हैं।

*१६--श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने जिला बोर्ड के अन्तर्गत हैं और कितने प्रान्तीय सरकार के ?

श्री बनारसी दास---जिला बोर्ड के अन्तर्गत १५ चिकित्सालय हैं जिनमें से ६ एलोपैथिक व ९ आयुर्वेदिक एवं यूनानी हैं।

राजकीय चिकित्सालय २३ हैं जिनमें १० एलोपैथिक व १३ आयुर्वेदिक व यूनानी हैं।

नोट---तारांकित प्रश्न १३-१४ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला बोर्ड के अन्तर्गत जो ऐलोपैथिक अस्पताल हैं, वह कौन-कौन से हैं ?

श्री बनारसीदास---यह हैं रसड़ा, बांसडीह, मनियर, बैरिया, सिकन्दपुर और सियार ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या सरकार रसड़ा के अस्पताल को जो बलिया से दूसरा स्थान रखता है राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास---अब भी वहां पर डाक्टर प्रान्तीय सरकार का ही रहता है ।

हमीरपुर जिले में काम करने वाले ग्राम सेवक

*१७---**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)---क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि झांसी डिवीजन में काम करने के लिये ग्राम सेवकों (Village level workers) का चुनाव किस प्रकार से हो रहा है ?

श्री फूल सिंह---बुन्देलखंड क्षेत्र से ग्रामसेवकों के स्थान के लिए प्रार्थनापत्र जिला नियोजन अधिकारी, झांसी के पास आमंत्रित किए जाते हैं । एक चुनाव बोर्ड प्रार्थियों के साक्षातकार करके चुनाव करता है । चुने हुए प्रार्थियों की सूची प्रधान कार्यालय को भेज दी जाती है, जहां से आवश्यतानुसार उनके शिक्षण की व्यवस्था की जाती है ।

*१८---**श्री तेजप्रताप सिंह**---क्या सरकार यह बतायेगी कि हमीरपुर जिले में कितने ग्रामसेवक बाहरी जिलों के हैं और कितने उसी जिले के ?

श्री फूल सिंह---गोहन्द ब्लाक जिला हमीरपुर में वहां के निवासी ग्रामसेवक नहीं है । वे बुन्देलखंड निवासी हैं । जिले के निवासियों की नियुक्ति आम तौर पर पास के दूसरे जिलों में की जाती है, अपने जिले में नहीं ।

श्री तेज प्रताप सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में एक ही एन० ई० एस० ब्लाक हैं ?

श्री फूल सिंह---जी नहीं, दो हैं ।

श्री तेज प्रताप सिंह---बाहर जो प्रश्न संख्या १८ का उत्तर दिया गया है कि गुहान ब्लाक में जो ग्रामसेवक हैं वह बाहर के नहीं हैं तो क्या दूसरे ब्लाक में भी ऐसी ही स्थिति है या दूसरी है ?

श्री फूल सिंह---मै ठीक से नहीं कह सकता लेकिन आमतौर पर जो सेक्रेटरीज होते हैं वह जिले के ही आदमी होते हैं । जब वह ग्रामसेवक हो जाते हैं तो वह अपने जिले में ही रह जाते हैं । जिन ग्रामसेवकों को नियुक्त किया जाता है उसके सम्बन्ध में यह बात है ।

भीमताल--रानीबाग मोटर रोड निर्माणार्थ सहायता के लिये प्रार्थना

*१९---**श्री नारायण दत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि विकास कमिश्नर उत्तर प्रदेश से भीमताल रानीबाग मोटर रोड के निर्माण हेतु स्थानीय जनता ने कुछ अनुदान सेल्फ हेल्प स्कीम के मातहत मांगी है ? यदि हां, तो सरकार इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । प्रश्न विचारधीन है ।

नोट---तारांकित प्रश्न १९ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा ।

बांदा जिले के नरैनी हास्पिटल में लेडी डाक्टर की आवश्यकता

*२०--श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बादां जिले की नरैनी तहसील के नरैनी स्थित सरकारी अस्पताल में महिला रोगों से रक्षा के लिये महिला डाक्टर की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार चालू वर्ष में इस भारी कमी को पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास--यह चिकित्सालय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। सरकारी डाक्टर काम करता है। महिला डाक्टर इस चिकित्सालय में नहीं है। यह कोई कमी नहीं है। आम अस्पतालों में पुरुष डाक्टर ही ज्यादातर महिलाओं का इलाज करते हैं और जो महिलाएं डाक्टरनियों से इलाज कराना चाहे उनके लिए जनाने अस्पताल अलग हैं।

आगरे में जूता गृह-उद्योग की उन्नति के लिये जर्मन विशेषज्ञ पर व्यय

*२१--श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा के जूता गृह उद्योग को उन्नत करने के लिये जो जर्मन विशेषज्ञ आगरा में रक्खा गया है, उसके दफ्तर तथा उसकी तनख्वाह आदि देने में कितना रुपया प्रतिमाह खर्च किया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--राज्य सरकार इस विशेषज्ञ के रहने का प्रबन्ध करती है जिस पर लगभग १,१५० रूपया वार्षिक व्यय होता है। शेष व्यय भारत सरकार करती है।

*२२--श्री पुत्तू लाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जर्मन विशेषज्ञ ने आगरा जिले के देहातों में कार्य करने वाले कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय वे १२ व्यक्तियों को शिक्षा दे रहे हैं।

*२३--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---[१३ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

महोली, हरगांव तथा गोला गोकरननाथ शुगर मिल्स की कार्य अवधि

*२४--श्री रामभजन (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महोली, हरगांव तथा गोलागोकरननाथ शुगर मिल्स सन् १९५४-५५ में किस तारीख से चालू हुये और कब तक चलते रहे ?

श्री फूल सिंह--वांछित सूचना नीचे दी हुई है :--

मिल का नाम	चालू होने की तारीख	बन्द होने की तारीख
महोली	१२-११-५४	२५-४-५५
हरगांव	१५-११-५४	२८-४-५५
गोलागोकरननाथ	१५-११-५४	११-५-५५

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन मिलों में इस अवधि में कितना गन्ना पेला गया ?

नोट - तारांकित प्रश्न २१-२२ श्री हरदयाल सिंह मिल ने पूछे।

श्री फूल सिंह---इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामभजन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हरगांव मिल इतनी जल्दी बंद क्यों हो गयी ?

श्री फूलसिंह---गन्ना खत्म हो गया होगा।

श्री रामभजन---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेगें कि एक ही क्षेत्र की मिलों के चलने की अवधि में इतना अन्तर न पड़ने पाये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रत्येक वर्ष गन्ने के लिये रिजर्व जोन के विषय में केन कमिश्नर पुराने कायदों से निर्णय करते हैं उसी निर्णय के अनुसार मिलों को गन्ना पेरने के लिये दिया जाता है। इस वर्ष भी रिजर्व जोन बनाने के लिये केन कमिश्नर विचार कर रहे हैं और उनका निर्णय होने के बाद जिस मिल को जितना गन्ना पेरने के लिये दिया जायगा उसी के अनुसार मिलें चलेंगी, गन्ना पेरेंगी। हो सकता है ऐसा करने में किन्हीं मिलों को अधिक गन्ना मिले जैसा कि पहले से चला आता है और किन्हीं मिलों को कम मिले क्यों कि उसका वितरण पुराने तरीके के ऊपर होता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस पर रौशनी डालने की कृपा करेंगे कि गन्ने की उपज को देखते हुए सरकार ने जो १५ अक्तूबर से मिलें चालू करने की सलाह दी थी उसके अनुसार फैक्टरियां कब तक चल पायेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार का ऐसा विचार अवश्य था, परन्तु बाद में सरकार को ऐसी सलाह मिली की नवम्बर के शुरू में उनको चलाया जाय क्योंकि १५ अक्तूबर से फैक्टरियां चल जाने के बाद दशहरे पर फिर उनको कार्य-स्थगित करना होगा और ऐसा भी संभव है कि स्वयं किसान दशहरे के पहले गन्ना मिलों में न ले जा पायें। इसलिये यही मुनासिब समझा गया कि नवम्बर से इस कार्य को शुरू किया जाय।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार ने इस बात का ठीक अनुमान लगा लिया है कि १५ नवम्बर से फैक्टरियां चालू करने पर १ मई से पहले गन्ने की फैक्टरियों का काम खत्म हो जायगा ?

श्री फूल सिंह---आज १२ अक्तूबर है। ३ दिन में फैक्टरियां चलें तो शुगर मिलने वाली मालूम नहीं होती। इसलिये इस वक्त चलाना ठीक नहीं है। अब रही यह बात की मई तक गन्ना खत्म हो जायगा यह दूसरी बात है। नवम्बर के शुरू में फैक्टरियां चलेंगी और कोशिश यही की जायगी कि मई तक गन्ना खत्म हो जाय।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में नवीन औषधालय खोलने का विचार

*२५---श्री गोरी राम (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा तहसील में किन-किन जगहों पर एलोपैथिक अस्पताल तथा आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री बनारसी दास---जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की सिफारिश इस तहसील के ग्राम धानी बाजार अड्डा बाजार तथा भगवानपुर में एक-एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की आयी है और वह विचाराधीन है। एलोपैथिक अस्पताल के लिये भगवानपुर की सिफारिश आयी है पर स्थिति यह है कि वहां भवन उपलब्ध नहीं है।

श्री गौरी राम---क्या यह सही है कि धानी बाजार के १६ मील पश्चिम १२ मील दक्षिण ८ मील उत्तर और ८ मील पूरब दूरी पर अस्पताल पड़ता है ?

श्री बनारसी दास---यह जो माननीय सदस्य कहते हैं, यह हो सकता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक अस्पताल खोलने के लिये सरकार ने नियम द्वारा कोई शर्तें निर्धारित की हैं ?

श्री बनारसी दास---वैसे तो यह उसूल रखा जाता है कि ५ मील के रेडियस में एक अस्पताल हो और इस बात की कोशिश की जाती है। क्योंकि सूबे में अस्पतालों की बड़ी जरूरत है जहां मुफत में इमारतें मिल सकती है या रेंट पर अच्छी इमारतें मिल सकती हैं, वहां पर अस्पताल खोलने में प्राथमिकता दी जायगी ।

*२६---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[१७ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

खीरी जिले में औषधालयों की मांग

*२७---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला खीरी में इस वर्ष कितने आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय खोलने की योजना है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---इस साल इस जिले में कोई आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार नहीं है। सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल अभी प्रदेश में कहीं नहीं खुल रहे हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार ने खीरी जिला प्लानिंग कमेटी से जिले में होमियोपैथिक अस्पताल खोलने के बारे में कोई सिफारिश मांगी थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां, पूछा गया था किन्तु वहाँ से अभी तक कोई सिफारिश नहीं आयी है ।

खीरी जिले की निघासन तहसील में मिडवाइफों की तैनाती

*२८---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी के किन-किन स्थानों के लिये मिडवाइफों की स्वीकृति है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां, सरकार द्वारा संचालित २ जच्चा-बच्चा केन्द्र, धरहरा तथा पलिया में मिडवाइफ कार्य कर रही हैं ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार को ज्ञात है कि धरहरा में न तो कोई जच्चा-बच्चा केंद्र ही खुला है और न वहां कोई मिडवाइफ ही पहुंची है ?

श्री बनारसी दास---उत्तर में जैसा कि बतलाया गया है कि वहां पर धरहरा में एक जच्चा-बच्चा केंद्र है। अगर वहां मिड वाइफ नहीं पहुंची है तो उसकी सूचना तो यहां नहीं है ।

राज्य में कोआपरेटिव शुगर मिल्स खोलने का विचार

*२९---श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में औरिहार स्टेशन के पास कोई चीनी मिल खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री फूल सिंह---प्रांत में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये उचित स्थानों की पड़ताल हो रही है।

श्री कमला सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नयी मिलों की जो पड़ताल हो रही है उसमें गाजीपुर जिले में नयी मिलें खोलने की स्थापना भी शामिल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो पड़ताल ही हो रही है । अगर पड़ताल में उसका नाम आया तो उसके बारे में फिर आपको सूचित किया जायगा ।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि माननीय नियोजन मंत्री ने सदन में एक दिन इस तरह के किसी प्रश्न के उत्तर में उत्तर दिया था कि कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज के तौर पर मिलें इस प्रदेश में चालू की जायंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, मैंने अवश्य यह सदन में घोषित किया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तत्वावधान में कोआपरेटिव शुगर मिलें इस प्रदेश में लगायी जायेंगी ।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने मन गन्ना पैदा होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो मैंने बतला दिया कि सूबे में जांच-पड़ताल हो रही है कि किस क्षेत्र में कितना गन्ना पैदा होता है । इसकी सूचना इस समय तो मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में कोआपरेटिव आधार पर गन्ना मिल खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो अभी ४ गन्ना मिलें कोआपरेटिव आधार पर लगाने का प्राविजन किया गया है और प्लानिंग कमीशन ने इन ४ मिलों के बारे में अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है ।

प्लानिंग और रिसर्च डाइरेक्टर, श्री ध्यानपाल सिंह का लखनऊ यूनिवर्सिटी में थीसिस तैयार करना

*३०---**श्री भगवान सहाय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग के किसी I. A. S. अफसर को लखनऊ विश्वविद्यालय में Research करने की अनुमति दी गई है ?

श्री फूल सिंह---जी नहीं ।

*३१---**श्री भगवान सहाय**---क्या सरकार बताने की करेगी कि इस अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

श्री फूल सिंह---सवाल नहीं उठता ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की तकलीफ फरमायेंगे कि प्लानिंग और रिसर्च के डाइरेक्टर, श्री ध्यान पाल सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह रिसर्च नहीं कर रहे हैं । थीसिस तैयार कर रहे हैं ।

श्री भगवान सहाय---क्या मंत्री जी बताने की तकलीफ फरमायेंगे कि थीसिस किस चीज का तैयार किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह एकनामिक प्लानिंग से संबंध रखता है और उसी विषय पर वह थीसिस लिख रहे हैं ।

*३२-३४---**श्री लालबहादुर सिंह** (जिला बनारस)---[स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले के बाढ़-क्षेत्रों में खोले गये खादी केन्द्र

*३५--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग के द्वारा जिला बस्ती में बाढ़-क्षेत्रों में चरखा चलाने के लिये कोई आदेश उद्योग मंत्री द्वारा जारी हुआ था? यदि हां, तो उस आदेश का पालन कहां तक हुआ?

श्री बनारसी दास--सरकार ने राज्य के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में ६० नये खादी केंद्र खोलने तथा ३०,००० चरखे मुफ्त बांटने के लिये आदेश दिये हैं। इन केंद्रों मे से सात खादी केंद्र बस्ती जिले में खोले जा चुके हैं। उपरोक्त चरखों में से कुछ चरखे बस्ती जिले में भी बांटे जाने की व्यवस्था हो रही है।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी उन ७ केंद्रों का नाम बताने की कृपा करेंगे और उनके ऊपर अब तक क्या काम आरम्भ हुआ है?

श्री बनारसी दास--जी हां, ७ केंद्र इस प्रकार हैं--नगर तितरी बाजार, बिशेसरगंज, कालागारी, माधोगंज, जवाखरपुर और हैसर बाजार। वहां पर चरखे वितरित किये गये हैं और वहां ७ खादी के सेन्टर कायम किये गये थे और वहां खादी उत्पादन का काम हो रहा है।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ७ जगह जहां कि यह केंद्र खोले गये हैं उनका चुनाव किस आधार पर किया गया है या किसकी सिफारिश पर किया गया है?

श्री बनारसी दास--गत वित्तीय वर्ष में पूर्वी क्षेत्रों में जहां पर अधिक बाढ़ आती है वहां पर लोगों को खादी उत्पादन सहायता देने के लिये यह केंद्र कायम किये गये थे और इस वित्तीय वर्ष में भी उनको जारी रखा है जहां आवश्यकता समझी गयी और बाबा राघवदास के सुझाव से और लोकल सलाह मशविरे से ही वह कायम किये गये थे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चरखों से सूत का जो उत्पादन होगा उसके उपयोग की क्या व्यवस्था होगी?

श्री बनारसी दास--गांधी आश्रम के द्वारा प्रबन्ध किया गया है कि वहां का सूत लिया जाय और इसके अतिरिक्त २ आना हुंडी के हिसाब से सबसिडी भी दी जाती है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चरखे किसी संस्था द्वारा बांटे जायेंगे या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा?

श्री बनारसी दास--उद्योग विभाग द्वारा बांटे जायेंगे और जहां गांधी आश्रम की शाखायें हैं, वहां उनसे भी सहायता ली जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जो चरखे वितरित हुये हैं उन में जो सरकारी कर्मचारियों से काम लिया गया है उसमें सरकार का क्या व्यय हुआ है?

श्री बनारसी दास--यहां इसका कोई प्रश्न पैदा नहीं होता कि कितना रुपया व्यय हुआ है, लेकिन बाढ़ क्षेत्र में चरखे के लिये और सूत पर सबसिडी के लिये सब सरकार ने ६ लाख रुपया रक्खा है। इसमें किसी कर्मचारी को वेतन आदि देने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

*३६-३७--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले के विजयगढ़ दुर्ग में सेनीटोरियम खोलने की मांग

*३८--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) के विजयगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करा कर उसमें सेनीटोरियम खोलने की ओर ध्यान दे रही है?

श्री बनारसी दास---जी नहीं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से वहां सैनिटोरियम नहीं खोला जा सकता ?

श्री बनारसी दास---वहां पर यह सुझाव है कि जहां टी० बी० क्लिनिक्स हैं उन्हीं का थोड़ा सा विस्तार किया जाय, जिससे बेड्स की संख्या बढ़ जाय इसके लिये वहां के स्थानीय एक सेठ ने कुछ रुपया देने का वादा किया है । वहां पर नया सैनीटोरियम बनाने से भवन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस कारण भी अभी इस प्रस्ताव पर वहां विचार नहीं किया गया है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी वहां के चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, विजयगढ़ दुर्ग की महत्ता को देखते हुये उसका उपयोग करने का कोई तरीका निकालेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मंत्री ने अभी उस दुर्ग को नहीं देखा है और अधिकारियों ने भी अभी उसका निरीक्षण नहीं किया है । बहरहाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ सैनिटोरियम खोलने का विचार है, लेकिन जो स्थान अभी निर्धारित हैं, उनमें यह नहीं है । हमारा विचार है कि बनारस में एक बड़ा सैनिटोरियम बने, क्योंकि इस वर्ष वहां ५० बेड्स का सैनिटोरियम बन रहा था, लेकिन फिर हमने यह निर्णय किया है कि वह ५० के बजाय दो सौ बेड्स का बनाया जाय जिससे पूर्वी जिलों के जो टी० बी० के मरीज होते हैं, वह वहां जा सकें ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार के सामने विजयगढ़ दुर्ग में सैनिटोरियम बनाने की कोई स्कीम रखी गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमारे सामने कोई नहीं आयी । विजयगढ़ दुर्ग के संबंध में हमारे अधिकारियों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है और मुझे स्वयं पता नहीं है कि यह स्थान इसके लिये उपयोगी है या नहीं । बहरहाल, मिर्जापुर में सैनिटोरियम बनाने का अभी कोई इरादा नहीं है इसलिये विजयगढ़ दुर्ग के इस्तेमाल का प्रश्न इसके लिये नहीं उठता ।

खांडसारी शक्कर के कारखाने

*३९---श्री जगदीश सरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसकी जानकारी में उत्तर प्रदेश में खांडसारी शक्कर उत्पादन के कुल कितने कारखाने हैं और उसमें से कितने फैक्ट्रीज ऐक्ट के अधीन रजिस्टर्ड हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार की जानकारी में राज्य में इस प्रकार के २६९ कारखाने हैं । इनमें से २३ कारखाने फैक्ट्रीज ऐक्ट के अधीन रजिस्टर्ड हैं । ८५ कारखानों ने रजिस्ट्री कराने के लिये लाइसेंस फी जमा कर दी है ।

इलाहाबाद जिले में दियासलाई के कारखाने खोलने का विचार

*४०---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में दियासलाई के कुछ नये कारखाने खुलने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने, और वे कब तक खुल जायेंगे ?

श्री बनारसी दास---(अ) जी हां ।

(ब) एक फैक्ट्री खुल चुकी है तथा २० अन्य शीघ्र खोली जायेंगी ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह फैक्ट्री इलाहाबाद जिले में किस स्थान पर खुली है और अन्य फैक्ट्रियां किन-किन स्थानों पर खुलेंगी ?

श्री बनारसी दास--अभी यह तो तय नहीं है कि वह कहां-कहां कायम की जायेंगी, लेकिन इलाहाबाद की यह फैक्ट्री इलाहाबाद के अन्दर ही कायम है।

राज्य में बाहर से मंगाये गये गल्ले की क्षति

*४१--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे विदेश से इस प्रदेश में सन् १९५० से अब तक कुल कितने रुपये का गल्ला बाहर से मंगाना पड़ा और उसमें से कितना-कितना गल्ला बरबाद हो गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--विदेश से इस राज्य में १९५० से १९५३ तक लगभग ३८ करोड़ रुपये का गल्ला आया और इसमें से लगभग १.१२ प्रतिशत गल्ले की हानि हुई। सन् १९५३ के पश्चात् कोई गल्ला नहीं आया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहले से कोई प्रतिशत गल्ले की हानि में छूट नियत कर दी गई थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां। यह गल्ले में जो हानि होती है उसकी छूट पहले से निर्धारित कर दी जाती है और अगर उससे अधिक हुई तो उस समय उसकी छानबीन होती है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो निर्धारित छूट गल्ले में पहले से तय कर दी जाती है वह कितने प्रतिशत की छूट है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह मेरे ख्याल में १,२ प्रतिशत तक छूट रक्खी जाती है। जैसा अभी बतलाया गया जितनी भारी क्षति होती है, वह उसी से अनुमान लगा लिया जाता है।

*४२-४३--श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)--[१९ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य के आयुर्वेदिक तथा ऐलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा-केन्द्र

*४४--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितनी मान्यता प्राप्त संस्थायें ऐसी हैं, जिनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है और कितनी ऐसी हैं जिनमें ऐलोपैथिक चिकित्सा की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा के लिये निम्न-लिखित संस्थायें मान्य हैं :--

१--राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ।
२--आयुर्वेदिक कालेज, बनारस, विश्वविद्यालय, बनारस।
३--ललित हरी आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत।
४--बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी।
५--गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, कांगड़ी।
६--ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरद्वार।
७--आयुर्वेद महाविद्यालय, ज्वालापुर (केवल रजिस्ट्रेशन के लिये)।
८--गुरुकुल महाविद्यालय, वृन्दावन (केवल रजिस्ट्रेशन के लिये)।

ऐलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा के लिये दो संस्थायें--सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ--मान्य हैं।

श्री रणंजय सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग अथवा अयोध्या में भी कोई आयुर्वेदिक कालेज खोलने का विचार है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जी नहीं।

श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार यह बता सकती है कि इन आयुर्वदिक शिक्षण संस्थाओं के लिये कितना धन दिया जाता है और कितना एलोपैथिक शिक्षण संस्थाओं के लिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

		कालेज	अस्पताल
		रु०	रु०
मेडिकल कालेज, लखनऊ	..	८,२२,२००	१८,९०,२००
मेडिकल कालेज, आगरा	..	८,०७,९००	८,८८,९००
आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	..	१,२७,८००	१,२०,२००
		आवर्त्तक	अनावर्त्तक
आयुर्वेदिक कालेज, बनारस विश्वविद्यालय	..	१,००,०००	५०,०००
ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत		३५,१००	३,०००
बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी	..	५१,०००	१२,५००
ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरद्वार	..	५०,८००	३,०००
गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, कांगड़ी	..	१५,०००	..
यूनानी कालेजों के लिये	..	७३,८००	३,५००
आयुर्वदिक तथा यूनानी कालेजों के लिये मंत्री जी का विवकाधीन अनुदान	..	..	३०,०००

श्रीनगर, जिला गोंडा में औषधालय खोलने का आयोजन

*४५--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष कितने अस्पताल और औषधालय, कहां-कहां गोंडा जिला में खुलने वाले हैं ?

श्री बनारसी दास--श्रीनगर में एक आयुर्वेदिक औषधालय शीघ्र खुलेगा।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिला नियोजन समिति ने चौधरी डी में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग पिछले वर्ष की थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जैसा अभी बतलाया, परामर्शदात्री समितियां अपनी सिफारिश भेजती हैं, लेकिन जितने अस्पताल खुलने निश्चित हैं उतने ही खोले जा सकते हैं।

बलरामपुर नगर के मेमोरियल अस्पताल का प्रान्तीयकरण करने का विचार

*४६--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या स्वस्थ्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सरकार का विचार बलरामपुर नगर के मेमोरियल अस्पताल को लेने का है ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बलरामपुर जिले में फैली हुई गड़बड़ियों की ओर नगर निवासियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

श्री बनारसी दास—उसी के फलस्वरूप तो आशा है कि १९५६-५७ के न्यु शेड्युल आफ डिमांड्स के द्वारा इसका प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा । अब तक अगर इसमें कोई रुकावट थी तो यही थी कि वहां के महाराजा कुछ ऐसी शर्तें लगाते थे कि जिनके आधार पर प्रान्तीयकरण करना बहुत ही कठिन था ।

गोंडा जिले में मलेरिया निरोधक कार्य

*४७—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मलेरिया निरोधक कार्य से गोंडा जिला में कितनी सफलता मिली है और क्या इस कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के विषय पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मलेरिया निरोधक कार्य गोंडा जिले के ५०० ग्रामों में १९५२ से किया जा रहा है । निम्नलिखित आंकड़ों से यह विदित है कि स्प्लीन रेट व पैरासाइट रेट (Spleen rate and Parasite rate) में बहुत कमी हुई है ।

	१९५२	१९५४
स्प्लीन रेट (Spleen rate)	७५ प्रतिशत	४८ प्रतिशत
पैरासाइट रेट (Parasite rate)	२५ ,,	६.२ ,,

सरकार गोंडा जिला के वर्तमान तथा अन्य मलेरिया ग्रसित ग्रामों में राष्ट्रीय मलेरिया नियोजन यूनिटों की स्थापना का विचार कर रही है, जिससे उस जिले में मलेरिया निरोधक कार्य अधिक विस्तार से हो सकेगा और समस्त मलेरिया पीड़ित क्षेत्रों की जनता एक साथ लाभ उठा सकेगे ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि राष्ट्रीय मलेरिया निरोधक यूनिटों की स्थापना से उनका क्या तात्पर्य है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—भारतीय सरकार के नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत यह राष्ट्रीय यूनिट जिलों में स्थापित की जाती है ।

अलीगढ़ जिले में शीशे के व्यवसाय में शिथिलता

*४८—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में कितना शीशा कच्चा और पक्का प्रतिवर्ष तैयार होता है और वह किस स्तर का होता है ?

श्री बनारसीदास—यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

*४९—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या यह सही है कि अलीगढ़ जिले में ग्लास बीड्स का व्यवसाय दिन-दिन घट रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? शासन इस व्यवसाय के बढ़ाने में क्या सहायता कर रहा है ?

श्री बनारसी दास—पहले से यहां यह व्यवस्था कुछ घट गया है, जिसका कारण यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय से ग्लास बीड्स की जो मांग बढ़ गई थी वह कुछ कम हो गयी है । सरकार ने इस उद्योग की ट्रेनिंग के लिये बनारस, खुर्जा, बुलन्दशहर तथा सुल्तानगंज कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिला मैनपुरी में शिक्षण केन्द्र खोले ह ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आंकड़े आगे इकट्ठे हो सकेंगे ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह तो मालूम है कि अलीगढ़ के जिले में सासनी में करीब तीन हजार टन पक्का शीशा बनता है। जहां तक कच्चे शीशे का सम्बन्ध है जिसकी चूड़ियां वगैरह बनती हैं, उनके फीगर्स नहीं हैं। लेकिन आगे व्यवस्था की जा रही है कि तमाम जिलों में क्या-क्या उद्योग चलते हैं इसका एक सर्वे कराया जाय। जहां सर्वे हो जायगा तो इसकी सूचना उपलब्ध हो पायेगी।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्लास बीड्स बाहर के देशों से भी आती हैं ? यदि हां, तो किन-किन देशों से ?

श्री बनारसी दास—यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन यह बीड्स पहले बाहर से भी आती थी। लड़ाई के जमाने में बन्द हो गयी थीं, इसलिये उनकी सेल बढ़ गयी थी।

बेलवार तथा पेसार, जिला जौनपुर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार

*५०—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—क्या सरकार बतायेगी कि जौनपुर जिले में बेलवार और पेसारा में अस्पताल या औषधालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य (जिला जौनपुर)—जिला जौनपुर में बेलवार और पेसारा में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचारधीन है। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कब तक यह औषधालय खोल दिये जायेंगे।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और इसके शीघ्र निश्चय करने में क्या कठिनाई पड़ रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—बेलवार में राजकीय औषधालय खोलने का प्रश्न १९५३ से और पेसारा में गत वर्ष से औषधालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सहारनपुर जिले में कोआपरेटिव वीवर्स सोसाइटियों को सहायता

*५१—**श्री महमूदअली खां** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला सहारनपुर में कोआपरेटिव वीवर्स सोसाइटियां रजिस्टर्ड कितनी तादाद में हैं ?

श्री बनारसी दास—१७ समितियां रजिस्टर्ड हैं।

*५२—**श्री महमूदअली खां**—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि सन् १९५३-५४ तथा १९५५ ई० में अलग-अलग कितनी-कितनी रकम बतौर कर्जा या सहायता किस-किस सोसाइटी को दी गई ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५७३ पर)

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतालायेगी कि सहारनपुर जिले में जिन समितियों को अनुदान या कर्ज दिया गया है उनकी अपनी पूंजी क्या है और उन्होंने पिछले साल क्या उत्पादन किया ?

श्री बनारसी दास—यह तो एक जरा विस्तार से सूचना आप मांगना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो यह मंगायी जा सकती है, लेकिन यह बतलाया जा सकता है कि सरकार ने उनको क्या अनुदान दिया है।

सहारनपुर व नकुड़ तहसीलों में कर्घा उद्योग सम्बन्धी कार्यों की देख-भाल

*५३—**श्री महमूदअली खां**—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि तहसील सहारनपुर व तहसील नकुड़ में बुनकरों को कपड़ों के नमूनों व कार्य के बारे में मशविरा देने के लिये कौन-कौन अधिकारी किस-किस सोसाइटी में सरकार द्वारा मुकर्रर हैं?

श्री बनारसीदास—तहसील सहारनपुर व नकुड़ में कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है परन्तु जिले की समितियों तथा कर्घा उद्योग सम्बन्धी सभी मामलों की देखभाल उस क्षेत्र का टेक्सटाइल इन्स्पेक्टर जो मेरठ में नियुक्त है, करता है।

बलिया जिले में सिकन्दरपुर के तेल तथा इत्र के व्यवसाय को बढ़ाने का विचार

*५४—**श्री शिवमंगल सिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार बलिया जिले में सिकन्दरपुर के प्रसिद्ध तेल तथा इत्र के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये सहायता देने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री शिवमंगल सिंह—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह तेल और इत्र के व्यवसाइयों को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सहायता देने का विचार रखते हैं?

श्री बनारसीदास—बात यह है कि आगामी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम चाहते हैं कि वहां इस उद्योग को संगठित किया जाय। इसमें सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से इसकी उन्नति हो सकती है वह किया जायगा।

श्री गंगा प्रसाद सिंह—सहायता किस तरह की दी जायगी?

श्री बनारसीदास—जैसे कहा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका रेशनेलाइजेशन हो इसके लिए अनुदान दिया गया है। उन्नत तरीके से इसको बनाना है। इसमें मुख्य कठिनाई यह है कि बाहर का कम्पटीशन इतना बढ़ गया है मिश्रण की वजह से यह आपका उद्योग टिक नहीं पाता है। तो मिश्रण, अडल्टरेशन को रोका जायगा, यह सारे उपाय काम में लाये जायंगे।

श्री शिवमंगल सिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सिकन्दरपुर का तेल और इत्र दूसरे प्रदेशों में भी काफी मात्रा में जाता है और बुकिंग की कठिनाई होने के कारण इस सम्बन्ध में क्या केन्द्रीय सरकार से कोई लिखा पढ़ी करने का विचार रखते हैं?

श्री बनारसी दास—जैसा अभी बतलाया गया है कि यह जाता था, यह सही है लेकिन अब सस्ते एसेंशियल आइल्स आने लगे हैं जिससे यह कम्पीशन में नहीं ठहरता है। इस वक्त तो कोई योजना नहीं है, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जरूर इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है कि इस उद्योग को फिर से रिवाइज किया जाय।

राज्य पुनस्संगठन आयोग के प्रतिवेदन के विषय में पूछताछ

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मैं एक बात आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्टेट रिआर्गेनाईजेशन कमीशन रिपोर्ट की प्रतियां इस हाउस के मेम्बर्स को मिलेंगी या नहीं और उस पर हाउस में बहस की जायगी या नहीं इस बात का स्पष्टीकरण मैं चाहता था।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जहां तक मुझको इत्तला है इस सदन के माननीय सदस्यों को रिपोर्ट की प्रतियां मिलेंगी और अभी तक तो मेरी इत्तला यही है कि उस पर शायद विचार भी होगा लेकिन निश्चित रूप से अभी हमारे पास गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से कोई आदेश नहीं आये हैं। इसलिये बिलकुल ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि कब और किस प्रकार से विचार होगा ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद

(क्रमांगत)*

अधिष्ठाता---अब उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर, जो २८ सितम्बर को सदन को मेज पर रखे गये थे विवाद जारी होगा। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी इस पर भाषण कर रहे थे। वह तो इस समय हैं नहीं। और कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये जो गन्ना नियम सदन के सामने हैं उनके सम्बन्ध में आपको इजाजत से मैं सरकार के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज गन्ना उत्पादकों की जो दशा गांवों में है वह बहुत खराब है। आज ही आपने देखा प्रश्नों के घंटे में कि कितना-कितना रुपया किसानों का बाकी है। हमारे एक माननीय सदस्य ने पूछा कि दो आने रुपये की जो कटौती हुई वह क्योंकर हुई। मैं जानता हूं कि वह कटौती क्योंकर हुई। लड़ाई के जमाने में वार फंड में बहुत सा रुपया किसानों का कटा। मैं तो अपने गांव को जानता हूं। ४-५ किसान ऐसे हैं और उनमें एक बेवा भी है कि कई मर्तबा उन्होंने दरख्वास्त दी, लेकिन आज तक उनका रुपया नहीं वापस हुआ। तो कम से कम जो किसानों का रुपया बाक़ी है, जो उनकी गाढ़ी कमाई का है वह तो सरकार उनको दिलाये। आज ये जो ऊंचे-ऊंचे महल, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां आप देख रहे हैं ये सब इन गरीब किसानों की मेहनत का प्रतिफल हैं। मैंने देखा है कि किसान जब अपना गन्ना फैक्टरियों पर लाते हैं तो रात-रात भर बाहर पड़े रहते हैं। तुषार पड़ता है, उनके बैल कांपते हैं वे स्वयं कांपते हैं, कोई देखने वाला नहीं है और जो गन्ने की तौल होती है उसका भी कोई सही मापदंड नहीं है। हमारे ९० फीसदी किसान बे पढ़े लिखे हैं। सरकार को ऐसी मशीन ईजाद करनी चाहिये, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाय, न मिल मालिकों को कोई बेईमानी करने का अवसर रहे और न किसानों को। आज दुनियां में बड़ी-बड़ी ईजादें हो रही हैं। ऐसी मशीन आसानी से बनाई जा सकती हैं।

इसके अलावा जो हमारी सोसाइटियां हैं, जिनका लोग नारा लगाते हैं उनसे भी आज किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वे भी सही मानों में किसानों के शुभचिन्तक नहीं हैं। बाबू लोग जाते हैं अपनी पड़ताल करके चले जाते हैं। किसी बड़े आदमी के यहां बैठ गये, किसी को ४ मन लिख दिया, किसी को २०० मन लिख दिया। इसका नतीजा यह होता है कि अगर किसी को पहली परची जनवरी में मिली तो दूसरी अप्रैल में मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि जो छोटे काश्तकार हैं, जिनके पास थोड़ा गन्ना है उनको इससे बड़ी परेशानी होती है और वे भी बड़े किसानों के साथ फंसे रहते हैं। इसलिये सरकार मिल वालों के साथ कुछ ऐसी लिखा पढ़ी करे जिससे कम से कम इन छोटे किसानों को तो इतनी परेशानी न उठानी पड़े।

दूसरी बात---एक आम शिकायत की गयी और गत वर्षों में मैंने भी देखा कि ५-५ रुपये में पर्चियां दी गयी हैं। २०-२५ रुपये तो एक गाड़ी में किसान को मिलते हैं

---

* २९ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही से।

[श्री शिवनारायण]

और ५ रुपये दे कर एक परमिट मिलती है। ऐसी हालत में वह कौन से राम राज्य की कल्पना कर सकेगा। इस पर चेकिंग होनी चाहिये। मैं तो कहता हूं कि जितनी भी शूगर इंडस्ट्री आज हमारे देश में चल रही है गवर्नमेंन्ट को उसे नेशनलाइज कर लेना चाहिये। आज बहुत सी मिलों पर सेस का रुपया बाकी है, किसानों का रुपया बाकी है। उनको पनपने नहीं दिया जाय, यह जरूरी है और यदि इसको गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी तो किसान गवर्नमेंट के पीछे चलेंगे और पीछे हटने वाले नहीं है। मैंने कहा कि जैसा कि एक कहावत है कि यह अंधेर कब तक चलेगा, जब तक चले तभी तक सही साहब। मैं गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में ५-५ फैक्ट्रीज चल रही हैं। मुंडेरवा फैक्ट्री का दिवाला पिट गया, किसानों का रुपया बाकी है अभी तक उसके ऊपर .....

अधिष्ठाता---सदन में काफी शोर हो रहा है, शांति स्थापित होनी चाहिये।

श्री शिवनारायण---किसानों का तीन-तीन साल का रुपया बाकी है, उन बेचारों की क्या गति है, इस पर हमारी सरकारी ध्यान दे।

दूसरी बात कमिश्नरों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, उनके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार या तो उनको कोआपरेटिव बेसिस पर रक्खे या फिर उनको सरकार अपने हाथ में रखे और खुद निगरानी करे। वैसे चाहे मालिक कलेक्टर को रखे या कमिश्नर को रखे, लेकिन यह दोहरी हुकूमत ठीक नहीं है कि कहीं कोआपरेटिव बेसिस पर हो और कहीं कमिश्नर के हाथ में हो, यह उचित नहीं है। नियम तो सुन्दर बनने चाहिये जिससे डेमोक्रेसी का नारा सही माने में फूले फले। इसमें रक्खा गया है कि ५ मिल मालिक के होंगे, ५ किसानों के होंगे और बाकी अधिकारी होंगे तो इसमें किसानों का ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मैं कहता हूं कि ८० प्रतिशत होना चाहिये ताकि बातचीत समझ में आ सके और यह न हो कि वह अपनी मनमानी करते रहें। मैं यह कहता हूं कि जो कमेटी बने उसमें किसानों का ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो और हर हिस्से का एक-एक आदमी हो ताकि हर आदमी अपनी सही रिपोर्ट दे सके। जैसे कि इस सदन में हर जगह का आदमी मौजूद है। पूर्व का कुछ कहता है और पश्चिम का कुछ कहता है, लेकिन सरकार असली चीज निकाल लेती है। मैं यह चाहता हूं कि गन्ना उत्पादकों का मुनाफा फारेन कंट्रीज में न पहुंचें। मिल का इधर से उधर खिसकना ठीक नहीं है। जितने उद्योग खोले जायं उनको पनपाया जाय, जो नहीं चल सकते हैं उनको गवर्नमेंट अपने हाथ में लेले और कोआपरेटिव बेसिस पर उनको चलाये पर और एक किसानों की फैक्ट्री चलाये जिसमें सरकार कुछ अनुदान दे और कुछ किसान दें। नमूना सरकार दिखा दे और देखे कितना प्राफिट होता है।

अधिष्ठाता---श्री झारखंडेराय, आप बैठ जाइये।

श्री शिवनारायण---पडरौना मिल को मैं समझता हूं कि सरकार चलाये। कुछ अनुदान सरकार दे और कुछ वहां के लोग दें और गेंदा सिंह जी को प्रैक्टीकल काम करने का मौका मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जब गन्ना फैक्ट्री पर आये तो उनके लिये पक्की सड़क बनाई जायं। मिल मालिकों ने कितना रुपया कमाया है। मैंने तो हिसाब लगाया है, एक मन गन्ना में सवा चार सेर चीनी होती है, उसका दाम लगा लीजिये। हर रुपये में चार आना मिल मालिक को मुनाफा दिया जाय और १२ आने किसान को दिये जायें जब हमारे ग्रामोद्योग फैलेंगे और महात्मा जी के बताये हुये रास्ते पर चलकर हमारे उद्योग धंधे चमकेंगे। हम छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलायेंगे। आज लड़ाई के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं, सब दुनिया जाग रही है तो हमी लोग गाफिल क्यों रहें और हम अपनी इंडस्ट्रीज को गांव-गांव में फैला

दें और छोटे-छोटे कारखाने गांवों में खोल दें । हम दस गांव मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री चलायें, हम शक्कर बना लें, गुड़ बना लें, राब बना लें ताकि उसका लाभ किसानों को हो । जिस वक्त मान्यवर, गन्ना चैत के महीन में या फागुन के महीने में पेरा जाता है उस समय गुड़ फेल हो जाता है, उसका कोई दाम नहीं रहता । लेकिन जब भादों आ जाता है तो वही गुड़ दो सेर का बिकने लगता है । अगर किसानों के पास छोटी-छोटी इंडस्ट्री हो और उनका डेवलपमेंट हो तो उनका माल और उनका पैसा ईमानदारी से उनक पास रह सकता है और उनको सही बचत हो सकती है । ऐसा उस समय न होने पायगा कि जब फसल तैयार हो तो पैसे वाले उसको खरीद लें और किसान को उससे कोई फायदा न होने पाये । आज किसान परेशान है, उसको पैसे की जरूरत रहती है, लगान देना होता है, आपके पटवारी और अमीन उसको परेशान करते हैं और इसलिये उसको अपनी फसल बेचनी पड़ती है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि छोटी-छोटी इंडस्ट्री विलेजेज में खोली जायं और उनके गन्ने का उचित प्रबन्ध हो । बकाया रुपया जिनके पास उनका है उनसे पूछा जाय । जब हम देहात में जाते हैं तो किसान हमसे शिकायत करत हैं कि आप हमारे लिये क्या करते हैं ? तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मिल मालिकों का यह अंधर मिटाया जाय, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पब्लिक की रिप्रेजेंट्रेटिव है और गरीबों की सरकार है और इसलिये उनकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिये । उनको हम इग्नोर करके जिन्दा नहीं रह सकते । हम उनकी भलाई सोचें कि जिनकी बदौलत हम यहां हैं । आज किसान की जो दशा है वह बैसाख के महीने में पता चलती है । जो हमारे ट्यूबवेल्स चलते हैं उनसे भी पैसे वालों को पानी पहले मिल जाता है, किसानों को पहले पानी नहीं मिल पाता, इसलिये कि वह पैसा नहीं दे पाते हैं । वहां भी उनके साथ ज्यादती होती है । मैं चाहता हूं उसके साथ उचित व्यवहार हो, गन्ने की ठीक सिंचाई हो, खाद उनको प्रदान की जाय । मजदूरों की जो दशा है उसे ठीक किया जाय और मजदूरों को एक रुपया, डेढ रुपया रोज से कम मजदूरी न दी जाय । बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में ५५ रुपये में ८ घंटा उनसे काम लिया जाता है। ५५ रुपये में क्या होता है ? लोग तो इतना नाश्ता कर लेते हैं महीने भर में । उसके पास तो बच्चे हैं, बीबी हैं, मां-बाप हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, तो यह ५५ रुपया कुछ नहीं है ।

मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके वेजेज के बारे में सरकार कुछ ख्याल करे और जो उचित मजदूरी हो वह उनको दिलाये । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि जो इक्वेल डिस्ट्रिब्यूशन का नारा देश में आज लगता है उस पर हम न जायं, बल्कि हम सही कदम उठायें । गवर्नमेंट आज हमारे साथ है और प्रैक्टिकली किसानों की भलाई करने की कोशिश कर रही है । हम धीरे-धीरे चल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि एक हमारी योजना हो ताकि जब हम जनता के सामने जायं तो हमारे सामने एक नक्शा हो, एक प्रोग्राम हो और हम कह सकें कि हमने यह किया । आज विरोधी दल हमको क्रिटिसाइज करता है लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि हमने यह किया । हमने तो बहुत कुछ किया है । हमारी कांस्टीट्युयेंसी में एक बभनान शुगर मिल है, जहां का सेक्सरिया मालिक है । उनके नाम पर स्कूल कालेज खुलते हैं, लेकिन जिनकी बदौलत वह रुपया कमाते हैं उनके जानवर माघ के महीने में कीचड़ में फंसे रहते हैं । मैं उस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां की वह सड़क बननी चाहिये । अगर वह सड़क नहीं बनती है तो उस मिल को बन्द कर देना चाहिये । वहां पैसे का मिसयूज होता है । वह सड़क दो फर्लांग भी नहीं है । बभनान सड़क बन चुकी है, आधा मील हमारी सड़क है । अगले जाड़े में मैं अपने प्लानिंग के मंत्री महोदय को वहां ले जाने का विचार रखता हूं । इसलिये कि वह प्रत्यक्ष देखें कि क्या दशा है । मान्यवर, बड़ी दुखी हालत में आज हमारे किसान हैं । हमारे यहां तो बरसात और बाढ़ में सारा गन्ना सूख गया है, शायद ही मार्च तक हमारी फैक्ट्रीज चल सकें । मैं तो कहूंगा कि नवम्बर से मार्च तक नहीं चल सकेंगी और मैं समझता हूं कि शायद चीनी की शार्टेज ही न हो जाय ।

इस चीनी उद्योग को ऊंचे उठाने के लिये किसानों को उचित पैसा मिलना चाहिये और उचित अनुदान मिलना चाहिये । उनको सही माने में खाद और बीज मिलना चाहिय ।

[श्री शिवनारायण]

उनको अच्छे प्रबन्धक जो इस काम में स्पेशिलटी रखते हों, मिलने चाहिये जो गांवों में जाकर उचित रूप से काम करें। बाबू लोग गांव में जाते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परताल कर लेते हैं और ले आते हैं। वह खेत पर नहीं जाते हैं और वहां जाकर नहीं देखते हैं कि क्या बीमारी है, और फूल क्यों नहीं आया और फलां बात क्यों है? वह महज खानापूरी करना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। हर एक आदमी यही चाहता है कि गवर्नमेंट सब कुछ कर दे। इसी प्रकार से आज छोटे से लेकर ऊपर तक अधिकारी वर्ग सो रहा है। वह चिंतित नहीं है कि यदि यह हमारे प्रदेश का उद्योग फेल हुआ तो फिर हमारे देश की क्या गति होगी? हमको क्यूबा और जावा सुमात्रा से चीनी मंगानी पड़ेगी। इसलिये इसकी ओर विशेष ध्यान होना चाहिये। हमारे यहां की मारलिटी अब बहुत नीची हो गयी है उसको ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं आपकी इजाजत से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे इन उद्योगधंधों में सुन्दर चीनी पैदा हो। उसके नियम भी सुन्दर तरीके से बनाये जायं। अधिकारी वर्ग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। केवल यही गवर्नमेन्ट इसकी जिम्मेदार नहीं है। यह एक्जिक्यूटिव बाडी भी इसकी जिम्मेदार है। अगर यह मशीनरी फेल हो गयी तो इसकी भी बदनामी होगी। देश में अगर चीनी का शार्टेज होता है तो फिर हमको बाहर से चीनी मंगानी पड़ती है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया हमको व्यय करना पड़ता है। हमारे फूड मिनिस्टर साहब को नाना प्रकार की बात कही जाती हैं। इसलिये मैं केवल सचेत करना चाहता हूं इन अधिकारियों को कि इस इंडस्ट्री को डेवलप किया जाय। जब तक लड़ाई नहीं है मुल्क को उठाने का प्रयत्न किया जाय। हमें अपने देश को धन और धान्य से पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिये। यहां पर जो भुखमरी है और अकाल का जो भूत सवार रहता है उसका नाश करना चाहिये। इसके लिये सभी जिम्मेदार हैं। चाहे वह कांग्रेस का आदमी हो या जनता का हो या और किसी पार्टी से संबंध रखता हो। सब को यहां पर देश की उन्नति के लिये सोचना है और काम करना है। ईमानदारी से यहां पर चीनी के उद्योग को डेवलप करना चाहिये। अपने देश से पैसा बाहर नहीं जाने देना चाहिये। हमको यह देखकर बड़ा कष्ट होता है कि हमारे गांवों में जाने के लिये और किसानों के पास जाने के लिये रास्ते नहीं हैं। हमारे बैल वहां पर गिर जाते हैं और उनके पैर फंस जाते हैं और वह मर भी जाते हैं। बैल के मरने के बाद किसानों की हालत खराब हो जाती है, वह वहां से चार सौ और पांच सौ रुपये का बैल लावे। अगर हम गांवों में राम राज्य की कल्पना करना चाहते हैं तो उसके लिये यह आवश्यक है कि चीनी के उद्योग के साथ-साथ वहां के रास्ते भी तैयार किये जायं। हमारे यहां सूखा, ओला, वर्षा यह तमाम पड़ते हैं तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि उसके लिये रूल्स सुन्दर बनाये जायं। सोसाइटी में जो लोग काम करते हैं वह ठीक प्रकार से काम करें। कमिश्नर को जो अधिकार दिये जायं वह उचित अधिकार दिये जायं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इन सब बातों पर विचार करके इन रूल्स को तैयार करें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि दो आना रुपया जो काटा जाता है बहुत सी जगहों पर वह उन स्कूलों को नहीं मिल पाता है जिस इलाके के मिल में वह रुपया काटा जाता है। दूसरी जगह के लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे यहां रुदौली में एक स्कूल चल रहा है। वहां पर उसको पैसा नहीं मिल पाता है और किसी दूसरे स्कूल को वह दे दिया जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस एरिया के गन्ने का वह रुपया काटा जाय वह उसी इलाके के स्कूल को बरतने के लिये दिया जाय। फीस के बारे में भी अमीर लोगों के लड़कों की फीस माफ करदी जाती है लेकिन गरीब लड़कों की फीस माफ नहीं होती है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे और रूल्स इस प्रकार से बनाये जायं कि जो सब के लिये लाभकारक हों। आर्डर इज आर्डर यानी उनका पालन भी उचित रीति से होना चाहिये। आज किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। केवल रूल्स बनाने से और बड़े-बड़े पोथे लिख देने से काम चलने वाला नहीं है। उनकी इज्जत की जाय और उनकी जहालत और गरीबी दूर की जाय। मिल मालिक मोटरों

में घूमते हैं लेकिन वे नेक काम नहीं करेंगे। अगर आप उनसे किसी शुभ काम के लिये १०० रुपये चन्दा मांगें तो वे नहीं देंगे, लेकिन किसी नाच-गाने के लिये बड़ी खुशी से देंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो धरमादा कटता है उसे सरकार चेक करे। धर्मशाला और मंदिर क्यों धर्मादे के रुपये में मालदारों के नाम से बनते हैं? वह सब पैसा गरीबों का होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी गवर्नमेंट से पुनः कहूंगा कि मिलों के मजदूरों को सही मानों में मजदूरी दी जाय और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का नारा प्रतिपादित किया जाय और किसानों को सुख पहुंचाया जाय। जो सिद्धांत गांधी जी ने बतलाया था कि गरीबों की मदद की जाय उसी का अनुसरण करना चाहिये।

अधिष्ठाता—इस पर माननीय जगन्नाथ मल्ल और रामसुभग वर्मा के संशोधन आये हैं, इन नियमों के बारे में। मैं जगन्नाथ मल्ल जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे इन संशोधनों को पेश करना चाहते हैं तो एक साथ ही पेश कर दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—एक साथ पेश करने में बड़ी दिक्कत होगी?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—ये रूल अजेंडे पर बहुत दिनों से थे और एक दिन इस पर बहस भी हो चुकी है। उस दिन कुछ संशोधन आये भी थे और चूंकि मैंने ऐतराज किया था वे लिये नहीं गये। वे रिजेक्ट हो गये और ये नये संशोधन हैं। मुझे इनकी कापी अभी मिली है और मुझे इस बात का खेद है कि मैं उनका विरोध करता हूं। बगैर लीगल राय लिये हुये हम किसी संशोधन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन संशोधनों को इस समय न लिया जाय। हर रूल डिसकस हो चुका है। सरकार की ओर से हर चीज को ग़ौर से देखा जायगा। कानूनी सलाह लेकर जिन-जिन चीजों को उचित समझा जायगा उन्हें किया जायगा।

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि आप श्री जगन्नाथ मल्ल जी से इस बारे में बातचीत कर लें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री फूलसिंह—मैंने उनसे बात कर ली है और निवेदन किया है कि वे संशोधन न पेश करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—ये संशोधन पहले आये थे लेकिन चूंकि ३६ घंटे का नोटिस नहीं दिया गया इसलिये माननीय अध्यक्ष ने उनको रिजेक्ट कर दिया। चूंकि बहस जारी रही और हम अध्यक्ष महोदय के यहां गये और उन्होंने इजाजत दी थी कि ये दूसरी मीटिंग में एजेंडे पर आ जावेंगे। यह मेरी गलती नहीं है कि माननीय मंत्री के यहां संशोधन पहुंचे या नहीं। मैंने तो ये ३० तारीख को ही दे दिये थे और आज १२ तारीख है। जनरल डिसकशन में बहुत सी बातें तो आ ही जाती हैं लेकिन कायदा यह है कि किसी संशोधन पर राय ली जाती है और तब लोगों को अपना मत प्रकट करने का मौका होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि नियम के अनुसार हमारा हर संशोधन लिया जाय। हमारी ओर से बहुत से माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं और यह मसला बहुत अहम है।

श्री फूलसिंह—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ३६ घंटे का नोटिस हाउस को तो है नहीं और न मुझे ही है, अभी मिले हैं। इसलिये ये संशोधन अभी न लिये जायं।

अधिष्ठाता—आफिस से मालूम होता है कि अधिकतर इसमें संशोधन वही हैं जो पहले थे तो वह नोटिस ३६ घंटे से तो ज्यादा का हो गया। मालूम होता है कि अध्यक्ष महोदय ने उनको एलाऊ किया है।

श्री फूलसिंह—इसकी किसी को इत्तिला नहीं है।

अधिष्ठाता—ऐसा मालूम होता है कि शायद माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय से कुछ बातचीत की और माननीय अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके संशोधन ले लिये जावेंगे और एजेंडे पर आवेंगे और इस समय एजेंडे पर मौजूद हैं। तो माननीय जगन्नाथ मल्ल जी से कहूंगा कि वे संशोधनों को एक-एक कर के ले लें।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इन रूल्स पर बहस सवा बजे खत्म की जाय।

अधिष्ठाता—अभी तो वे शुरू भी नहीं हुये हैं। यह प्रस्ताव कैसे लिया जा सकता है?

***नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**—अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि ये एजेंडे में छपे हुये नियम हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये अभी १२ बजे मिले हैं। जैसा अभी मेरे सहयोगी श्री फूलसिंह जी ने सदन के समक्ष निवेदन किया है, जहां तक इन संशोधनों का विषय है उनको लेने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य कई सुझाव इन नियमों के संबंध में सदन के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और जो नये सुझाव वे सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अवश्य प्रस्तुत कर दें। जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार के और माननीय सदस्यों के उद्देश्यों में कोई भेद नहीं है। सरकार अधिक से अधिक इन नियमों को इस प्रकार से बनाना चाहती है कि जिससे किसानों को और केनग्रोअर्स को लाभ हो और किसानों को इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े जिनका वर्णन यहां किया गया है। जब सरकार की ऐसी नीति है और जो माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं, या संशोधन पेश करना चाहते हैं, उनकी भी ऐसी नीति है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन संशोधनों का इस समय प्रस्तुत करना अनावश्यक है और उससे सदन का समय नष्ट होगा, क्योंकि संशोधनों का विषय ऐसा है जिसमें समय-समय पर सरकार को अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह लेनी पड़ती है। सरकार ने कोई सलाह अभी तक नहीं ली है। तो इसलिये मेरा सदन के सदस्यों से यह निवेदन है कि वे बिना संशोधनों को उपस्थित किये उन बातों को सदन के समक्ष रख दें जिनके विषय में वे कुछ कहना चाहते हैं या जिनके विषय में कोई संशोधन विचारार्थ पेश करना चाहते हैं मैं समझता हूं कि यदि ऐसी नीति सदन के सदस्य बरतेंगे तो उनका मंशा पूरा हो जायगा, क्योंकि मैं सरकार की ओर से यह विश्वास दिलाता हूं कि जो चीज किसान के हक की है, सरकार अवश्य उसे पूरा करेगी और त्रुटियों को हटा कर उन्हें ऐसे नियमों में परिवर्तित करेगी जिससे किसानों को और केनग्रोअर्स को अधिक से अधिक लाभ हो। इसलिये मैं विरोधी दल के नेता जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे इस सुझाव को मान लें तो कार्य के संचालन में यहां सहूलियत होगी और सरकार को ऐसा मौका न दें कि सरकार उनके संशोधनों का विरोध करे।

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुःख है कि मैं माननीय उद्योग मंत्री जी के सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। असल में मैं इन संशोधनों के जरिये से उत्तर प्रदेश की सरकार को आज कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमारा यह दोषारोपण है कि उसने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के साथ, किसानों के हित की उपेक्षा करके, पक्षपात किया है। अभी कुछ देर पहले १ करोड़ १२ लाख रुपये गन्ने का दाम और एक करोड़ १९ लाख रुपये गन्ने का कर उन पर बाकी है। इस बारे में मिलों के साथ इतनी रियायत बरती गयी है जिसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता और कम से कम हम बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं। इसलिये आज हम इन संशोधनों पर विचार कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमें सरकार को उन बातों के कहने का अवसर मिल जायगा जिन बातों को हम सरकार से कराना चाहते हैं अथवा जो काम सरकार ने जनता के हित के नहीं किये हैं। हमें सरकार को ठीक से काम करने के लिये कहने का मौका मिलेगा ताकि आगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ऐसे काम न करे जिससे केवल शुगर मिल मालिकों का ही हित हो और हमारे देश के करोड़ों किसानों और सरकारी टैक्स का अहित हो। ऐसा नुक्सान होने से बच जायगा। इसलिये अपने कर्त्तव्य पालन की वजह से मैं उन संशोधनों को वापिस लेने में मजबूर हूं। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का आदर करते हुए भी उनके सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अब्दुल मुईज़ खां—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना प्रस्ताव इस रूप में रखना चाहता हूं कि इसके लिये कोई समय नियत कर दिया जाय।

अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी का टेक्नीकल आब्जेक्शन है कि ये संशोधन एजेन्डे पर नहीं चढ़े हैं। अगर माननीय मंत्री जी इसको स्टिक करते हों तो क्या इनको किसी दूसरे दिन के लिये रख दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब मुझे कठघरे में चढ़ने के लिये मौका तो माननीय नेता विरोधी दल ने दे ही दिया है। मैं उनको यह मौका देने के लिये उद्यत हूं। अतः मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि इसको स्थगित किया जाय। उनको पेश करने दिया जाय, फिर देखा जायगा कि वे कटघरे में चढ़ते हैं या हम।

अधिष्ठाता—(श्री जगन्नाथ मल्ल से) सब संशोधन एक साथ ले लिये जायं तो अच्छा होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, हमें बड़ी दिक्कत होगी।

अधिष्ठाता—तो एक-एक कर के ही पेश कीजिए।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम १३ को निम्न प्रकार से रख दिया जाय :—

> "राज्य सरकार परिषद् के लिये लेखा परीक्षक एकाउन्टेन्ट जनरल उ० प्र० की सलाह से नियुक्त कर सकती है। और उक्त लेखा परीक्षा पर होने वाला व्यय परिषद् -निधि से खर्च किया जाय।"

श्रीमन्, जो नियम पहले से है वह इस प्रकार है :—

> "१३—गन्ना कमिश्नर, जहां आवश्यक हो परिषद् के लिये वैभागिक लेखा परीक्षकों से मिल कर लेखापरीक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं। उक्त लेखा परीक्षा पर होने वाला व्यय परिषद्-निधि से पूरा किया जायगा।"

श्रीमन्, मेरे संशोधन का आशय यह है कि राज्य सरकार एकाउन्टेन्ट जनरल की सलाह से आडीटर की नियुक्ति करे और मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि मेरा संशोधन मान लिया जाय, क्योंकि मैं मानता हूं कि गन्ना कमिश्नर कितना भला आदमी क्यों न हो फिर भी जहां तक डिपार्टमेंट के मामलों का संबंध है, श्रीमन्, यह आप को भी पता होगा, कि सब लोग अपने डिपार्डमेंट की खामियों को छिपाने के लिये कोई कितना ही भला आदमी क्यों न हो, हमेशा कोशिश करता है कि किसी प्रकार से अपने डिपार्टमेंट की खामी प्रकाश में न आये, किसी प्रकार से हमारी शिकायत न हो, कोई यह न जाने कि हमारा डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसीलिये सरकारी विभागों से आडिटर जनरल का बिलकुल ही कोई लगाव नहीं होता। और इसलिये यह रखा गया है ताकि सरकार कोई दबाव देकर कहीं अपनी खामियों को छिपा न ले। इसी बुनियाद पर मैं चाहता हूं राज्य सरकार एकाउन्टेन्ट जनरल की सलाह से आडिटर की नियुक्ति करे ताकि जो खामियां हों वे छिपायी न जा सकें और वे सब के सामने प्रकाश में आवें जिससे जनता को और सबको फायदा हो सके। श्रीमन्, मैं आपको बतलाऊं कि एक छोटा सा युनियन तरया सुजान में है जहां पर हजारों रुपया का गबन हुआ। माननीय विरोधी दल के नेता ने बहुत पत्र लिखे, लेकिन बहुत दिनों के बाद फिर जा कर वह पकड़ा गया

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

और उस पर, कुछ लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता कि जब कोई लिखे तब वे चीजें पकड़ी जायं बल्कि अगर कोई आडिटर निष्पक्ष होगा तो वे चीजें पहले ही प्रकाश में आ जायंगी और आइन्दा किसी को भी मौका नहीं मिलेगा कि कोई इस किस्म की गड़बड़ी कर सके। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसे मानने में कोई उज्र नहीं होना चाहिये। जब सरकारी विभाग का यह कायदा है कि आडिटर सरकार से सम्बन्धित नहीं होता है, वह बिलकुल इंडिपेंडेंट है तो जिस विभाग से आडिट का सम्बन्ध हो तो मैं समझता हूं कि उसके लिये बिलकुल एक इंडिपेंडेंट बाडी होनी चाहिये ताकि वह उसकी ठीक-ठीक जांच कर सके और जांच करके जो उस की खामियां हैं उनको प्रकाश में लावे और जो लोग दोषी हों उनको सजा दिलायी जा सके। अगरचे इस तरह से फर्क रहेगा तो मैं समझता हूं कि बड़ी भारी खामी इस नियम में आ जायगी। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस प्रस्ताव को मान लें, ताकि इस नियम में जो खामियां हैं वे दूर हो सकें।

श्री फूल सिंह---अध्यक्ष महोदय, आडिटर जनरल सरकारी एकाउंट आडिट करने के लिये है, सरकारी समितियों का एकाउन्ट सरकारी एकाउन्ट नहीं है। इसलिये इस सुझाव को मानने में कठिनाई है। देश में केवल गन्ना समितियां ही नहीं हैं जो काफी रुपये को हैंडिल करती हैं। सहकारी समितियां, जिनकी गन्ना समितियां अंग हैं, उनका भी एकाउन्ट है। उनके एकाउन्ट को आडिटर जनरल आडिट नहीं करता है। जो रूल हिन्दी वर्जन में है और उसका जो तर्जुमा अंग्रेजी में है उसमें थोड़ा अन्तर है। अगर मैं उस तर्जुमे को पढ़ दूं तो शायद इस का समाधान हो जायगा। अंग्रेजी का तर्जुमा यह है ---

"The Cane Commissioner may, where necessary order the appointment of Auditors other than the departmental auditors for auditing the accounts of the Council. The expenditure on such audit shall be met from the funds of the Council."

तो प्वाइन्ट महज इतना रह जाता है कि केन कमिश्नर चाहे आडिटर जनरल हो जाय तो क्या फर्क हो जायगा। मैं इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आडिटर जनरल के पास गवर्नमेंट का इतना बड़ा काम है कि वहीं के काम में अभी देर हो रही है और अगर यह काम भी उसके सुपुर्द हो जाय तब तो इस काम में और भी देर लगेगी। यह तो मैंने निवेदन पहले ही किया कि आडिटर जनरल के लिये यह पाबन्दी नहीं है कि वह एकाउन्ट आडिट करे।

दूसरी बात यह है कि अगर उनके सुपुर्द यह काम कर दिया जायगा तो और काम चलना कठिन हो जायगा और केन कमिश्नर कोई कम दर्जे का आदमी नहीं होता है। इतने ऊंचे आदमी में अगर कमी है तो क्या आपका यह ख्याल हो सकता है कि जो शख्स आडिटर जनरल हो जायगा वह तो बहुत ईमानदारी से काम कर सकता है और जो शख्स केन कमिश्नर हो जायगा वह ठीक काम नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल में यह कोई युक्ति नहीं है। बात तो अलबत्ता यह थी कि जो एकाउन्ट आडिट करने वाले लोग हैं वे जिले के अधिकारियों के मातहत नहीं रहने चाहिये। तो यह करने की बात उसमें है, मैं समझता हूं कि वह बात निकाली जाने वाली है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस पर बहुत ज्यादा लम्बा चौड़ा भाषण देना नहीं है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि जो आडिटर हैं वह भी विभागीय ही हैं और उनके जो आफिसर्स हैं उन्हीं की मातहती में ही एक आडिटर और सेक्रेटरी को भी काम करना होता है और इस तरह से काम करने से दोनों आपस में कभी-कभी मिल कर बड़ा नुक्सान करते हैं। जैसे मैं प्रमाण के लिये आपके सामने निवेदन करूं कि देवरिया में केन यूनियन है, उसने अभी-अभी दो साल पहले अपने

यहां प्रस्ताव पास किया कि वहां जो पुर्जी क्लर्क हैं उसका वेतन ६० रुपये की जगह ६५ रुपया होना चाहिये और यूनियन ने अपने वार्षिक बजट में उसके लिये व्यवस्था कर दी परन्तु आडिटर ने एतराज किया और नतीजा यह हुआ कि २ साल से अधिक हो गये अभी तक यूनियन के प्रस्ताव के बावजूद भी वह ५ रुपये की वृद्धि उनको नहीं दी गई, इसलिये कि वहां के जो केन डेवलपमेंट आफिसर हैं वह उनका वेतन बढ़ाना नहीं चाहते थे। मैं इसी जिले की एक और दूसरी यूनियन का भी उदाहरण दे सकता हूं। बैतालपुर और गौरी की भी यूनियन हैं। बैतालपुर की यूनियन ने भी अपने यहां इसी तरह से ५ रुपये की वृद्धि पुर्जी क्लर्क के वेतन में मंजूर की और वह उनको मिलने भी लगी और उनको उसके अनुसार बढ़ती पैसा दिया जा रहा है। मैंने यह दृष्टान्त इसलिये दिया कि कभी-कभी यूनियन के जो कार्यकर्त्ता हैं वह पक्षपात के या अंकुश के शिकार हो जाते हैं। इसलिये कोई निष्पक्ष व्यक्ति रहे या ऐसा कोई आडिटर रहे जो यूनियन का मातहत न हो तो वह एक निष्पक्ष बर्ताव बरत सकता है। उधर से जो आडिटर जनरल की बात कही गई तो उस में साफ है कि आडिटरों को राज्य सरकार नियुक्त करे, मैं समझता हूं कि यह तो राज्य सरकार के ही हित की बात है, आडिटर जनरल की बात नहीं, यह तो उन्हीं के हित में है और विभाग के भी हित में है कि आडिटर को विभागीय अधिकारियों के अंकुश से अलग कर दिया जाय और इसीलिये मैंने इस संशोधन का समर्थन किया है।

*श्री गेंदासिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कुछ भी माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपनी कठिनाई बताई वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मद्देनजर रख कर इस काम को करने में बड़ी दिक्कत होगी। उन्होंने दलील यह दी कि केन कमिश्नर कोई छोटा आदमी नहीं है, उसकी मातहती में आडिटर्स वगैरह ठीक से काम न कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का यह इरादा नहीं है कि केन कमिश्नर को एक छोटा आदमी समझें। हम भी उसको सारे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा आदमी समझते हैं और सारे सूबे के गन्ने के उत्पादन और विक्री का मालिक उसको हम समझते हैं। लेकिन एक कठिनाई यह है कि जहां केन उत्पादन और विक्री का वह मालिक है वहां वह सारे हिसाब किताब का भी मालिक बन गया है और वही उसकी निगरानी का भी मालिक है। जो आदमी खर्च करता है, इकट्ठा करता है, वही आदमी उस हिसाब की देखभाल करे और उसकी गलतियां भी निकाले और उसी को उसका जिम्मेदार बनाया जाय तो वह हमेशा कहेगा कि मैंने जो कुछ खर्च किया है वह सही है। मैं नहीं समझता कि उसमें केन कमिश्नर की छोटाई-बड़ाई की बात कहां आती है। हम तो यह समझते हैं कि यह कोआपरेटिब्ज जो हैं इनको बहुत पिवित्र रखा जाय। हमें भविष्य को भी तो देखना है। यह जरूरी है कि जांच पड़ताल का काम जितनी सख्ती से हो सके किया जाय। अगर उसमें कुछ ढिलाई बरती गई तो काफी युनियन्स ऐसी हैं, जिनमें रुपये पैसे की गड़बड़ी होती है और परिषदों का जो हिसाब-किताब का काम है उसमें हमारा ख्याल है कि बहुत बड़ी रक़म डेवलपमेंट के कामों के लिये होती है। हर एक के पास ५० हजार और १ लाख रुपये तक हर वर्ष आते हैं और उसको वह खर्च करती हैं। आडीटर का काम अगर इंडिपेंडेंट हो तो वह उन सारी चीजों की देख-रेख कर सकता है और जो कुछ खर्च होता है उसको नियंत्रित करने के लिये या खर्चा बेढंगे तौर से किया जा रहा हो तो उसको लोगों के सामने रखने के लिये वह मशीनरी ज्यादा सक्षम होगी, ज्यादा कारगर होगी। इसलिये जगन्नाथ मल्ल जी का जो संशोधन है वह बिलकुल उचित है। यह बात कि एकाउन्टेन्ट जनरल के पास काम बहुत ज्यादा है, बहुत बोझ है, ठीक है। लेकिन हिन्दुस्तान की हुकूमत पर भी तो बहुत बोझ है, लेकिन उसके लिये इस हुकूमत के बजाय दूसरी हुकूमत बनाने की बात तो नहीं सोची जाती। यू० पी० की सरकार का भी काम बहुत बढ़ गया है। कहां दस-बारह करोड़ रुपये का बजट, कहां एक अरब रुपये का बजट, तो कई सरकारें तो नहीं बन सकतीं। इसलिये अगर आडिटर जनरल का काम बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

बढ़ जाता है तब भी उसकी हस्ती है उसके इकबाल से भी काम चलता है। उसकी देख-रेख में कम गलती होने की गुंजायश है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

जो मैंने पहले निवेदन किया था और जिस पर माननीय गुप्त जी ने कहा कि कटहरे में देखें कौन खड़ा होता है गुप्ता जी या मैं। तो सचमुच कटहरे में खड़ा नहीं होना है। यह तो कटहरे में खड़ा करना है कि यह कसौटी है। वह कहते हैं कि हम केन कमिश्नर को नहीं छोड़ सकते। उसी को आडिटर की भी पावर्स देंगे। हम कहते हैं इस मोह को छोड़िये। केन किमश्नर को आडिट करने की पावर मत दीजिये। उसको आडिट की पावर देने के माने हैं उनके जितने मातहत हैं वह सभी मातहत अगर गलती करते हैं और अगर उनमें से किसी की गलती सामने आवे तो यह केन कमिश्नर के हित में नहीं है। अब अगर वह उसको बचाना चाहते हैं तो उसके माने क्या हैं? क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों सारी जनता के सामने जो टैक्सपेयर हैं, उसके सामने नहीं आने देना चाहते? मैं निवेदन करता हूं कि अगर जनता के सामने उन गलतियों के आने का डर हो तो कम गलतियां हो सकेंगी। आखिर हमको भी हक है, सिर्फ उन्हीं को जो डिपार्टमेंट के हाकिमी हैं उन्हीं को हक नहीं है, हम पैसा देते हैं तो और गन्ना पैदा करने वाला उस गलती को जान जाय उस पर उसकी प्रतिक्रिया से फायदा उठाया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे कोई अहित इस रियासत का, इस स्टेट का नहीं होने वाला है। लेकिन अगर राज्य ऐसा नहोने दे तो मैं क्या समझूं कि कटहरे में खड़ा करने की बात कहूं या न कहूं। तो मैं इतना निवेदन करूंगा कि माननीय नियोजन मन्त्री नियोजन मे त्री हैं, नियोजन में पवित्रता हो, उसका पैसा नियोजित ढंग से ठीक-ठोक उपयोग हो सके इसलिय मैं समझता हूं कि इस बात को वह स्वीकार कर लें, इससे उन्हीं को लाभ होगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था अधिष्ठाता महोदय, लेकिन माननीय नियोजन मंत्री ने इंग्लिश का रूल पढ़ कर सुनाया और हिन्दी का रूल नहीं सुनाया। हिन्दी के रूल में और अंग्रेजी के रूल में बहुत डिफरेंस है। काम हिन्दी के रूल से होना है। मैं अव्वल तो यही नहीं समझ पाया कि यह फर्क क्यों है? जो लागू होगा वह हिन्दी वाला रूल होगा, क्योंकि कानून हिन्दी में बना हुआ है, अंग्रेजी का अपनी जगह रक्खा रहेगा।

अधिष्ठाता---वह करेक्ट कर देंगे।

श्री जोरावर वर्मा---जो संशोधन है वह सचमुच में जो डेमोक्रेसी है उसके प्रतिकूल नहीं है। बात यह है, अधिष्ठाता महोदय, कि एकाउन्टेन्ट जनरल बजट में जितना घपला होता है उसको सामने रख देते हैं। लिहाजा जो लेखा परीक्षक होगा वहां पर उसको कुछ स्वतंत्रता मिलेगी और कुछ अच्छा आदमी भी होगा, क्योंकि केन कमिश्नर को पूर्ण अधिकार होगा। लिहाजा हो सकता है कि वह अपनी तबियत का आदमी रक्खें और जब अपनी तबियत का आदमी होगा उस में हिम्मत नहीं हो सकती कि विभाग में जो खामियां हों या गड़बड़ हों उिनको कमिश्नर के खिलाफ सामने ला कर रक्खे। ज्यादा बहस न कर के मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत उपयुक्त है और इसे मान लेना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमान् जी, जितने सदस्यों ने मेरे इस संशोधन पर भाषण दिये मैंने उनको बड़े गौर से सुना और खास तौर से नियोजन मंत्री जी की बात को मैंने सुना। नियोजन मंत्री जी को कुछ गलतफहमी हो रही है। वह यह कि मेरे संशोधन को अगर मान लेंगे तो आडिटर जनरल का बहुत काम वैसे ही है, उसका इससे काम और बढ़ जायगा। मेरे संशोधन का यह मतलब नहीं है कि आडिटर जनरल आकर उसे आडिट करे। मेरे संशोधन का साफ़ यह मतलब है कि प्रान्तीय सरकार उसकी राय ले कर एक आडिटर

मुकर्रर करे। इसमें उसका कौन सा काम बढ़ जायगा ? एक पत्र आप लिखेंगे और उसका वह जवाब दे देगा कि फलां आदमी मुकर्रर कर लिया जाय। सिर्फ राय लेने का सवाल है।

एक बात और कही कि वह यू० पी० गवर्नमेंट के मातहत नहीं है। ठीक है, मातहत तो नहीं है। इसलिये मेरा संशोधन है कि जो आडिटर होना चाहिये वह किसी गवर्नमेंट के मातहत नहीं होना चाहिये।

अधिष्ठाता—कानूनी दिक्कत हो सकती है। शायद वह इस कार्यभार को संभाल न सके।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं कार्यभार की बात नहीं कह रहा हूं। उसकी राय ले ली जायगी कि फलां आदमी मुकर्रर किया जायगा। कोई आपके मातहत हो या न हो, राय तो कोई भी दे सकता है। इसलिये यह गलतफहमी माननीय मंत्री जी को नहीं होनी चाहिये और इसको उन्हें क़बूल कर लेना चाहिये।

तीसरी बात यह कही कि साहब केन कमिश्नर ऊंचे ओहदे का आदमी है। केन कमिश्नर गलत हो सकता है और आडिटर जनरल भी गलत हो सकता है। मैंने यह नहीं कहा कि केन कमिश्नर गलत है या खामख्वाह गलत काम करता है। हो सकता है कि कोई गलत केन कमिश्नर आ जाय। कई हाई कोर्ट के जज गलत काम करने के कारण हाई कोर्ट से हटा दिये गये। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर अच्छा ही आदमी उस जगह पर आये। नियम जब बनाते हैं तो यह देख कर नहीं बनाते कि मौजूदा आदमी कैसा है। नियम इसलिये बनाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ आदमी भी आ जाय तो गड़बड़ी न कर सके। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे तो इससे प्रान्त का भला होगा और किसी तरह से कोई रुपये में गड़बड़ न होगी और जो त्रुटियां हैं वे माननीय मंत्री जी के सामने आ जायंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मेरे सहयोगी की बातों के बाद भी माननीय सदस्य ने अपने संशोधन पर विचार करने की बात पर जोर दिया। मेरे सहयोगी ने उन्हें यह बताया था कि यह सदन आडिटर जनरल को यह नहीं कह सकता कि उन्हें उक्त विषय में सलाह देनी होगी या किसी व्यक्ति विशेष का नाम आडिटर के लिये देना होगा। इसी कारण मैंने प्रारम्भ में ही नेता विरोधी दल से निवेदन किया था कि उन्हें यदि इन विषयों के संबंध में कोई सुझाव देने हैं तो वे सुझाव दे दें, और वे सुझाव सहानुभूतिपूर्वक जहां तक केनग्रोअर्स का संबंध है उनके हित में रखने की चेष्टा करेंगी। परन्तु उन्होंने जिद्दत की और जिद्दत करके पहले ही इस बात का परिचय दे दिया कि किस को कटघरे में खड़ा होना है। निरर्थक बहस करना और कानून के बाहर जाकर बहस करना किसी विषय पर क्या यह जिद्दत की बात नहीं है और यदि जिद्दत की बात है तो सदन का समय बेकार व्यय करने की बात नहीं है ? यदि ऐसा है तो स्वयं यह निर्णय करना है कि कौन कठघरे में खड़ा होने के योग्य है। मैं यह उनसे पूछना चाहता हूं। उनका जो मंशा है वह तो अंग्रेजी में जो धारा है उससे स्वयं साफ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति हैं जिनके ऊपर उनका विश्वास नहीं है या केनग्रोअर्स का विश्वास नहीं है तो केन कमिश्नर को यह अधिकार तो यह धारा देती ही है कि वह विभागीय आडिटर्स के अलावा किसी भी व्यक्ति को आडिटर का कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है।

मैं यह भी सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जो विभागीय आडिटर्स होते हैं वे जिला कोआपरेटिव आफिसर के तहत में नहीं होते हैं। उनका संबंध केन कमिश्नर से सीधा होता है। जो सुपरवाइजर्स इन आडीटर्स के होते हैं उनका संबंध केन कमिश्नर से सीधा होता है। तो जब ऐसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हालत है तो इस नियम में कोई नया संशोधन हम करें और इस नियम को परिवर्तित करना चाहें उसके कोई मानी नहीं हैं। मंशा तो यही है कि जो आडिटर्स हैं उन के हिसाब ठीक रहें और यदि कहीं इस बात की शंका होती है कि हिसाब में गड़बड़ी है और आडिटर्स कुछ मिले हुये हैं तो केन कमिश्नर को यह धारा अधिकार देती है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी से बाहर जो कार्य करते हैं अन्य आडिटर्स को नियुक्त कर सकता है। तो वह मंशा इस धारा से पूरा हो जाता है और यदि वह आज भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि जिन विचारों को आपने व्यक्त किया है हम पुनः उन पर विचार करेंगें और यदि कोई और युक्ति निकाल सकेंगे तो उस वक्त इस धारा को रख कर इसमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करेंगे लेकिन आज कोई युक्ति सामने नहीं है। आपने सुझाव रखा कि हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति हों जिन पर विश्वास न हो तो दूसरे व्यक्ति इस आडिटर के कार्य के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं। लेकिन यह जिद्दत करना कि नहीं इस संशोधन को ही स्वीकार किया जाय मैं कहता हूं कि संशोधन एक तरह से गैर कानूनी ही है, क्योंकि आडिटर जनरल को यह आज्ञा प्रदान नहीं कर सकते हैं कि वह अमुक तरीके से अमुक कार्य में सलाह देने में हमारे सहयोगी बनें। मैं इन कारणों से यह समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है, गलत है और गैर जरूरी है। इसलिये सदन को इसका विरोध करना चाहिये।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि नियम १३ को निम्न प्रकार से रख दिया जाय :—

"राज्य सरकार परिषद् के लिये लेखा परीक्षक एकाउन्टेंट जनरल उ० प्र० की सलाह से नियुक्त कर सकती है। और उक्त लेखा परीक्षा पर होने वाला व्यय परिषद् निधि से खर्च किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[इसके उपरान्त श्री रामसुन्दर पांडेय श्री जगन्नाथ मल्ल के नाम में छपा हुआ संशोधन उपस्थित करने के लिये खड़े हुये।]

अधिष्ठाता—जब माननीय सदस्य हाउस में हैं तो संशोधन उन्हीं को नियमतः पेश करना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इस सदन की यह परिपाटी रही है कि अगर सदस्य मौजूद भी है तब भी वह अपना अख्तियार दूसरे सदस्य को पेश करने का दे सकता है। वैसे मैं चला जाता हूं।

अधिष्ठाता—आप चले जायं, कोई बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि नियम १४ की अंतिम पंक्ति के पहले "गन्ना कमिश्नर" के स्थान पर "एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश" रख दिया जाय। इसकी वजह से श्रीमन्, चौदहवां नियम इस तरह से हो जायगा—

"परिषद निधि गन्ना कमिश्नर द्वारा स्वीकृत किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक में रखी जायगी और सभापति के नियंत्रण में गन्ना कमिश्नर द्वारा जारी किये गये आदेशों के अधीन यदि कोई हों, सचिव द्वारा जमा की और निकाली जायगी। सचिव समस्त आय और व्यय के हिसाब, रजिस्टरों और वाउचरों को उचित ढंग से रखेगा। यथावत् नियुक्त किये गये लेखा परीक्षक द्वारा हिसाबों की वार्षिक जांच की जायगी तथा परिषद के जांच की आपत्तियों को इस प्रकार दूर करेगी जिससे एकाउन्टेंट जनरल संतुष्ट हो जायं।"

श्रीमन्, यह एकाउन्टेंट जनरल या फाइनेंस विभाग को हिसाब-किताब का लेखा रखने के लिये काम सुपुर्द किया जाय, मैं समझता हूं इसका विरोध करके नियोजन मंत्री ने गन्ना कमिश्नर को ही स्वयं इस धोखे में डाल दिया कि यह फाइनेंस विभाग जो सरकार का है या एकाउन्टेंट जनरल का विभाग है, उसका आदर उसके मुकाबिले में कम है। श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने

कहा था कि कोआपरेटिव सोसाइटी का हिसाब किताब उसके अधीन है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव सोसाइटी का हिसाब किताब फाइनेंस विभाग से संबंधित है, पंचायत विभाग का भी सरकार से संबंधित है। तो जब कोआपरेटिव सोसाइटी और पंचायत विभाग का हिसाब सरकार से संबंधित है तो इस गन्ना परिषद का हिसाब किताब एकाउंटेंट जनरल के अधीन न रहे, इसमें कोई तर्क और दलील माननीय नियोजन मंत्री की हमें प्रभावित नहीं कर सकी। श्रीमन्, किसी भी सोसाइटी या परिषद का हिसाब ही उसका जीवन और प्राण हुआ करता है। यदि हिसाब किताब पर लोगों का भरोसा हो, विश्वास हो तो मेरा खयाल है कि वह परिषदें चला करती हैं और हिसाब किताब पर लोगों को भरोसा न हो तो वह परिषद और सोसाइटी फिर चल नहीं सकती है। श्रीमन्, इसी नियम के अन्दर बताया गया है कि सोसाइटी जो सालाना बजट बनायेगी उसकी स्वीकृति गन्ना कमिश्नर देगा और हिसाब किताब के लेखे-जोखे का अंतिम फैसला गन्ना कमिश्नर करेगा। मैं नहीं समझता हूं कि जो गन्ना कमिश्नर बजट बनाने की अनुमति देगा वही हिसाब किताब का फैसला करे, यह कहां तक उचित है। एक ऐसा आदमी जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, सरकार के जितने विभाग हैं उनके हिसाब किताब की जांच पड़ताल करता है, जो इस सदन के अधीन नहीं है, गन्ना कमिश्नर के अधीन नहीं है उसी के हाथ में हिसाब किताब के देने में ही माननीय मंत्री जी की सफाई होगी और गन्ना परिषदों को ऊंचा उठाने का एक सहारा होगा। श्रीमन्, यह तो बात सही है, हालांकि यह विवाद कोई प्रासंगिक नहीं है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि गन्ना परिषदों के ऊपर से गन्ना उत्पादकों का विश्वास चला जा रहा है और उसका एक ही कारण हो सकता है और वह है सरकार की लापरवाही, सरकार ने जो नियम बनाये हैं उनकी पाबन्दी मिलमालिकों से न कराना। नहीं तो करोड़ों रुपया गन्ना उत्पादकों का मिलों के जिम्मे बाकी हो, केन सेस का बाकी हो नियम बने और पाबन्दी सरकार न करा सके? यहां तो सरकार का इस सदन में विशाल बहुमत है जिसके बल पर माननीय गेंदा सिंह को या हमको और गोरखपूर देवरिया के गन्ना उत्पादकों को जो करोड़ों की तादाद में हैं उनको कठघरे में खड़ा कर देना माननीय मंत्री के लिये आसान काम है। लेकिन यह भी अच्छा नहीं है कि सरकार का ऐसा काम हो जिससे गन्ना परिषदें बढ़ न पायें और उनके ऊपर से गन्ना उत्पादकों का विश्वास उठता जाय और मिलमालिक सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुये अपने मन के मुताबिक इस प्रदेश की जनता को जो गन्ना उत्पादक है, उसकी गाढ़ी कमाई को अपने स्वार्थ में इस सरकार को कायम रखने में खर्च करते चले जायं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह जो हमारा संशोधन है, किसी सरकार की सफाई के लिये संशोधन है और सरकार अगर इसे मंजूर करती है तो मेरा ख्याल है कि उसकी सफाई होगी। गन्ना कमिश्नर संतुष्ट हो जाय यह ठीक नहीं है, बल्कि एकाउन्टेंट जनरल संतुष्ट हों। यह संशोधन हमारी समझ से उपयुक्त है और मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

वित्तमंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) जनाब चेयरमैन साहब, इससे पहले जो संशोधन यहां पेश था मैंने उसके मुताल्लिक जो यहां कहा गया उसको खामोशी से सुना और ताज्जुब मुझ को यह हुआ कि एक ऐसी बात कि जिसके मानने से दुनिया में कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है उस बात को मेरे भाइयों ने नहीं माना। मैं उस वक्त चाहता भी था कि उस अमेंडमेंट पर यह एतराज कर दूं कि वह अवैधानिक है लेकिन मैंने दानिस्ता करना नहीं चाहा। इसलिये कि समझा कि जब वह बात सामने रखी जायगी तो उसको वे खुद समझेंगे और इस बात को मंजूर करेंगे कि वह अमेंडमेंट प्रेस न किया जाय। अब भी मैं अर्ज करता हूं और इसलिये भी अर्ज करता हूं कि यह जो अमेंडमेंट है यह अवैधानिक है और उसके लिये किसी कानून और कायदे में जाने और देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बात मैं कहता हुं उससे हर शख्स को खुद यह महसस हो जायगा और वह समझेगा कि यह बात बिल्कुल सही है। यह हाउस इस वक्त एक कानून बना रहा है। रूल्स बना कर गवर्नमेंट ने पेश किये हैं यहां इसलिये कि यह हाउस उनको मंजूर करे। इस हाउस में उसके अन्दर तरमीम पेश की जाती है और हाउस इस कानून को गोया बनाता है। अब सवाल यह है, अक्ल की बात है कि अगर मैं कोई कानून ऐसा बनाऊं कि जिसका ताल्लुक हो जाय पंजाब से और वह लागू हो पंजाब के आदमियों के ऊपर तो वह कानून तो मैं

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

नहीं बना सकता, मुझको जुरिसडक्शन नहीं है। इस सदन को जो कानून बनाने का अख्तियार है वह तो सिर्फ यहां की इस स्टेट के मुताल्लिक है, उससे बाहर के लिये नहीं और अगर उसके बाहर के लिये वह कोई कानून बनाये भी तो वह कानून बेकार है, उसकी पाबन्दी किसी के ऊपर आयद नहीं हो सकती। किसी दूसरे के ऊपर कानून बनायें जिसके ऊपर हमें कोई अख्तियार न हो तो यह गलत बात है और किसी को इसका ख्याल तक नहीं करना चाहिये। पहले आडीटर जनरल का मामला था, कांस्टीट्यूशन के पढ़ने, संविधान के पढ़ने से मालूम होगा कि वह कौन है, किसका मुलाजिम है। वह हमारा मुलाजिम नहीं है। वह एक अफसर है पार्लियामेंट का जिसका नाम आडीटर जनरल है, वह हमारे जूरिसडिक्शन में नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया के जूरिसडिक्शन में है। अब सवाल यह होता है कि हम कोई ऐसा कानून पास करें और उसके जिम्मे कोई ड्यूटी लगा दें कि तुम्हें यह काम करना है, लेकिन वह न करे तो इसका कोई असर नहीं है और कोई उस पर पाबन्दी आयद नहीं होती है। जब उस पर कोई पाबन्दी आयद नहीं होती है तो फिर ऐसा कानून बनाना बेकार है।

अब एकाउन्टेंट जनरल के बारे में कहा गया है। कौन नहीं जानता है कि वह कौन है वह आजाद है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिये उसको हमारे जूरिसडिक्शन में नहीं रखा गया है कि वह हमारी गल्तियां पकड़ता है और हमारे हिसाब को देखता है इसलिये उसको हमारे मातहत नहीं रखा गया है। वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का मुलाजिम है, उसका सारे का सारा दफ्तर गवर्नमेंट आफ इंडिया का है। अगर हम उसके ऊपर यह रोक लगा दें कि तुम्हें फलां काम करना है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई पाबन्दी नहीं होगी तो ऐसा फिजूल का काम करने से क्या फायदा है। जैसे कि मेरे भाई प्लानिंग मिनिस्टर कह रहे थे कि यह तो हाउस का वक्त जाया करना है। इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं इसलिये ऐसा नहीं कहता हूं कि यह अमेंडमेंट पास न हो बल्कि इसलिये कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वह ठीक और सच बात है और जिसको सब मानेंगे और मेरे दोस्त को भी मानना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह गलत बात है और मैं यकीन से कहता हूं और कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता है। यह तो ऐसी ही बात है जैसे कि सूरज सामने निकल रहा है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि वह इस अमेंडमेंट को वापस लें और किसी दूसरे काम में वक्त लगायें।

श्री गेंदासिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य को यह गलतफहमी नहीं है कि आडीटर जनरल या एकाउन्टेंट जनरल गवर्नमेंट आफ इंडिया का नौकर नहीं है, इसकी जानकारी हम लोगों को है, हम उस पर कोई ड्यूटी या पाबन्दी लगाना नहीं चाहते हैं। अगर माननीय वित्त मंत्री जी इस अमेंडमेंट को देखें.....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह कहते हैं कि हम पाबन्द करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर यह कोई कानून ही नहीं है।

अधिष्ठाता--उन्हें कहने दीजिये।

श्री गेंदा सिंह--अधिष्ठाता महोदय उसकी सलाह से.....

अधिष्ठाता--आप किसी बात के लिये उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं इसलिये मैंने शुरू में ही इशारा किया था जब कि आडीटर जनरल की बात कह रहे थे कि हम कैसे जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन उस समय आपने कहा था कि सलाह के लिये नाम ले रहे हैं तो मैं खामोश हो गया। सलाह के लिये आप उसको जिम्मेदारी देते हैं, वह कोई आपका मातहत नहीं है ; वह कहेगा कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। जो आपके मातहत नहीं है वह आपकी बात कैसे मानेगा। वह कह सकता है कि मैं आपकी बात नहीं मानता।

श्री गेंदासिंह---अधिष्ठाता महोदय, यह तो हमने अनुमान लगा लिया है कि वह हमें सलाह देने के लिये तैयार नहीं है। अब तक यह ढंग रहा है वैसे यह कोई खास बात नहीं है और मैं नहीं समझता हूं कि हमने कोई सलाह उससे मांगी हो और वह हमें न मिली हो। हां यह हो सकता है कि यह लम्बा काम है और हमें सलाह मश्विरा देने में उसका काम बढ़ सकता है। लेकिन इतना जो जरूर है और मैं समझता हूं कि हम अपने काम में, इस काम को बखूबी चलाने में एक आदमी की सलाह, उस आदमी की सलाह मांगना चाहते हैं कि जो उससे इंडिपेंडेंट हो। तो यह केवल सलाह मांगने की बात है और इसलिये मैं इसे अवैधानिक नहीं समझता। हमारे वित्त मंत्री जी उसे अवैधानिक मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सलाह मांगने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये।

अधिष्ठाता---मैं इस विषय में अपना निर्णय देना चाहता हूं। मैंने इस पर गौर किया। यह बात सही है कि एकाउन्टेंट जनरल उत्तर प्रदेश सरकार के मातहत नहीं है और उसको किसी प्रकार की जिम्मेदारी देना उचित न होगा। यह हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर की बात है और इस वास्ते मैं इस संशोधन को अनियमित करार देता हूं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नियम १५

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि नियम १५ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक शब्द जोड़ दिये जायं।

परन्तु गन्ना कमिश्नर के ऐसे आदेश पर परिषद् के वार्षिक अधिवेशन को निर्णय करने का अधिकार रहेगा।

श्रीमन्, यह जो नियम १५ है वह इस प्रकार से है कि "गन्ना कमिश्नर परिषद के किसी प्रस्ताव अथवा निर्णय को, कारण बतलाते हुये अपने विशेषाधिकार से अस्वीकार कर सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है"। श्रीमन्, इस संशोधन का आशय यह है कि गन्ना कमिश्नर को उतनी जानकारी नहीं होगी, जितनी जानकारी कि जो कौंसिल होगी उसके सदस्यों को होगी। मैं उस ऐक्ट की धारा को भी कोट करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि---

(३) परिषद् में निम्नलिखित होंगे:

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति,

(ख) ६ सदस्य जिनमें से:

(१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में दो-दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे,

(२) जिला नियोजन अधिकारी जो पदेन सदस्य होगा,

(३) एक अन्य कोई अधिकारी, जिसको गन्ना कमिश्नर नामांकित करे,

(ग) जिला गन्ना अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करे जो सदस्य तथा सचिव होगा।

श्रीमन्, इतने जिम्मेदार सदस्य और समझदार व्यक्ति जब उस परिषद में होंगे तो फिर समझ में नहीं आता कि यह अधिकार गन्ना कमिश्नर को क्यों दिया गया, क्योंकि यह सब लोग ऐसे हैं जो कि उन क्षेत्रों में रहेंगे। उनको ज्यादा वाकफियत होगी और गन्ना कमिश्नर साहब यहां बैठकर उतनी जानकारी नहीं रख सकते हैं। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि अगरचे गन्ना कमिश्नर से ऐसी कोई भूल हो जाय, जिससे जनता का हित होने वाला हो और जनता का फायदा होने वाला हो और जनता को यह बता दिया गया है कि यह काम होगा और

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

इससे यह काम न होने वाला है और इससे यह फायदा होने वाला है तो गन्ना कमिश्नर की उस भूल को परिषद ठीक कर सकती है। अगर उस फायदे वाली चीज को गन्ना कमिश्नर गलतफहमी की वजह से नामंजूर कर दे तो हम यह कहते हैं कि वह फिर उनके पास जाय और जब उसका वार्षिक अधिवेशन हो तो उस कमिश्नर की भूल को सुधारा जा सकता है और कमिश्नर के उस फैसले को रद्द किया जा सकता है। वार्षिक अधिवेशन के लिये राज्य सरकार ने जो नियम बनाया हुआ है उसके मुताबिक वार्षिक बैठक होगी और उसमें एक चीज और है कि कलेक्टर जो वहां पर स्थानीय आदमी है वह इस वार्षिक मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर कहीं केन कमिश्नर से भूल हो गयी तो वहां पर वह सुधारी जा सकती है। इसमें उसके लिये जो खाद, बीज और गन्ना देने के काम दिये गये हैं तो उनको वह करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से वे लोग इस को ज्यादा समझ सकते हैं और जो वह निर्णय लेंगे वह अच्छा होगा। जैसा मैंने बतलाया था कि उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कमिश्नर के जरिये से नामिनेटेड हैं। वही लोग निर्णय करेंगे तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा अधिकार कमिश्नर को क्यों दिया गया है? हम यह कहते हैं कि उसको भी अधिकार रहे मगर उसके ऊपर चेक रहना भी जरूरी है और वह फैसला करेगा, लेकिन जनरल मीटिंग को उसके फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया जाय, ताकि वह उस कठिनाई को दूर कर दे। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि जनहित के लिये जो हमारा संशोधन है वह काफी अच्छा है और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी अपने संशोधन के द्वारा यह चाहते हैं कि यदि कोई फैसला परिषद करती है और उस फैसले को केन कमिश्नर महोदय नामंजूर कर देते हैं तो पुनः परिषद को अपने सालाना जल्से में विचार कर उस पर निर्णय देने का अधिकार होना चाहिये।

श्रीमन, हमें देखना है कि परिषद का क्या काम है और यह बात सिद्ध है कि उन्हीं कामों से संबंधित विषयों पर वह प्रस्ताव पास कर सकती है और उन्हीं विषयों पर माननीय केन कमिश्नर को सुझाव भी देगी। हम देखते हैं कि परिषद का काम अपने जोन के अन्दर विकास करने का है। खेतीबारी, नलकूप व सिंचाई की योजना बनाना, सड़कों की मरम्मत, कंस्ट्रक्शन का काम कराना इसके साथ ही वैज्ञानिक शिक्षा द्वारा खेतीबारी की तरफ लोगों को अग्रसर कराना यही सब परिषद के काम हैं। परिषद अपने जो प्रस्ताव पास करेगी वह सब इन्हीं विषयों से संबंधित होंगे। और माननीय केन कमिश्नर महोदय भी इन्हीं विषयों से संबंधित प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। इससे बड़ा झगड़ा पैदा होता है तथा तमाम वह लोग जो परिषद में हैं उनकी यह जनरल टेंडेंसी है कि इतनी ताकत केन कमिश्नर महोदय को नहीं दी जानी चाहिये।

श्रीमन् हम लोग और खास तौर पर उन जिलों के लोग जहां गन्ने की खेती होती है उनका अनुभव यही है कि बहुत से ऐसे काम है जो जनता के हित के लिये परिषद करना चाहती है लेकिन वह काम नहीं हो पाते और जानकारी के अभाव में केन कमिश्नर महोदय के आफिस से वह अस्वीकार हो जाते हैं। श्रीमन, यह बात सिद्ध है कि हमारी सरकार की आर्थिक व्यवस्था के मातहत जितना हम चाहते हैं और जितनी आवश्यकता है उतना काम नहीं हो पाता। आज शिक्षा की ओर किसानों का झुकाव बहुत ही ज्यादा है। प्रमाण में मैं कह सकता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जितने स्कूल प्राइवेट तौर से खुले हैं वह अपने इतिहास में सानी नहीं रखते। केन ग्रोइंग एरिया में

केन ग्रोअर्स अपने पैसे से कटौती करके उन स्कूलों को चला रहे हैं। केन ग्रोअर्स की यह इच्छा है कि वह अपने पैसे से कटौती करके स्कूल चलायें लेकिन केन कमिश्नर की यह इच्छा हो जाती है कि कटौती न की जाय और जिस स्कूल के लिये किसान कटौती नहीं चाहते हैं उसके लिये उनका पैसा काट लिया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि केन कमिश्नर महोदय किसी दूषित भावना से ऐसे करते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि दूषित भावना वाले लोगों की जो रिपोर्ट्स उनके पास आती हैं उनके आधार पर वे ऐसा करने के लिये मजबूर हो जाते हैं। हमारा कहना यह है कि यदि ऐसा कोई फैसला केन कमिश्नर महोदय करें तो परिषद को यह अधिकार क्यों न हो कि वह अपने सालाना जलसे में उसको फिर पास कर दें। इस सालाना जलसे का सभापतित्व सरकार का एक प्रमुख अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। इस परिषद में दो मेम्बर मिल मालिकों के होंगे, दो केन ग्रोअर्स की ओर से होंगे और उसके अतिरिक्त बाकी सब सरकार द्वारा नोमीनेटेड होंगे तथा इसका सभापतित्व कलेक्टर करेगा।

हम जितना जिम्मेदार केन कमिश्नर महोदय को समझते हैं उससे लेशमात्र भी कम जिम्मेदार इस सरकार के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं समझते। और जिम्मेदारी की बात छोड़िये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिले के हेड क्वार्टर में रहता है, केन कमिश्नर महोदय सूबे के हेड क्वार्टर में रहते हैं। सूबे के हेड क्वार्टर में बैठे रहने के कारण देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ आदि दूर के जिले जो गन्ना पैदा करने वाले हैं वहां की जानकारी उनको अपने अधिकारियों द्वारा ही हो सकती है। और यदि अधिकारी उनको ईमानदारी से सुझाव दें, विचार दें तो हो सकता है कि उनका फैसला सही भी हो, लेकिन यह दावा करना कि जितने भी उनके सबआर्डिनेट आफिसर हैं उनके कर्मचारी हैं उनके द्वारा सही ही सुझाव आते हैं यह सही नहीं माना जा सकता।

श्रीमन्, हमारे जिले में नलकूप योजना बनायी गयी और ५ नलकूप हमारे यूनियन में देवरिया में केन डेपलमेन्ट की तरफ से लगाये गये। उनकी सिंचाई की जो दर है वह सरकारी नलकूपों से भी मंहगी है और वे नलकूप बेकार पड़े रहते हैं। यह भी सुझाव दिया गया कि सरकार उन नलकूपों को ले ले, यह भी सुझाव दिया गया कि जनता जहां नलकूप लगाना चाहे जहां नाली आदि बनाने की सुविधा हो वहां वे नलकूप लगा दिये जायं। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने प्रस्ताव भी पास किया और नियम के अनुसार ७ दिन के अन्दर सेक्रेटरी उसकी रिपोर्ट भी केन कमिश्नर महोदय को दे दिये होंगे लेकिन वे नलकूप आज तक वहीं पर पड़े हुए हैं। महंगी दर होने की वजह से किसान उनसे पानी नहीं लेते हैं या वे चलते नहीं हैं। कलेक्टर इस बात को महसूस करता है कि वहां जो नलकूप लगे हुए हैं वे मंहगी दर पर हैं और किसान उनसे पानी लेने को तैयार नहीं है और वह नालियां आदि बनाने की सुविधा देने को भी तैयार नहीं हैं। इस हालत में अगर वहां की केन परिषद जो मेरे जिले में है वह कलेक्टर के नेतृत्व में जलसा करे और यह फैसला करे तो वह कोई गुनाह नहीं करेगा।

मै समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को डेमोक्रेसी और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का नारा देने के बाद जनता के हकूक को ज्यादा पहचानना चाहिये और जो पावर सेंट्रलाइज्ड है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिये। यह प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव का सीधा अर्थ है कि हम डेमोक्रेसी को ईमानदारी से मानते है या नहीं मानते है। यदि मानते हैं तो फिर सरकार को जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसले को जो वह अपने जिला मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में केन कमिश्नर द्वारा अस्वीकृत किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करने का करे कि उसे

[श्री रामेश्वर लाल]

प्रतिपादित करना चाहिये या नहीं करना चाहिये श्रीमन् मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जो इसकी अहमियत समझेंगे और इसीलिये इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री फूल सिंह---श्रीमन् अभी रूल १४ पर बहस हो रही थी। उस वक्त यह कहा जा रहा था कि यह जो परिषद है, केन यूनियन है इसमें बहुत गड़बड़ी है और इसकी गड़बड़ी को सरकारी कर्मचारी छिपाते हैं इसलिये एकाउंटेंट जनरल और आडिटर जनरल की शरण ली जाय। अब यह कहा जा रहा है कि यह कमेटी बहुत ठीक काम कर रही है और इसके काम में केन कमिश्नर को दखल देने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। अगर इतना ही कहा गया होता तो गनीमत होती कि विटो पावर को हटा लिया जाय लेकिन परिषद का विटो पावर कायम रहे। लेकिन फिर जनरल मीटिंग में पास हो मैं नहीं जानता कि इससे क्या मतलब सिद्ध होगा। फिर सालाना साल में एक बार होती है कितना गन्ना पेरा जाय, उसकी क्या स्कीम बनायें जब कि यह सब काम गर्मी में हो जाना है। सालाना मीटिंग तो दिसम्बर में होनी चाहिये। पहले साल जो हो गया उसका मतलब यह कि उसको फिर उलट दिया जाय तो यह कोई व्यावहारिक बात मेरी समझ में नहीं आती।

मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मानने का नतीजा यह होगा कि केन यूनियन्स कभी कोई काम न कर सकेंगी। मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है और इस तरह से कोई काम न हो सकेगा इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री गेंदा सिंह**—माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अपने मित्र ठाकुर साहब की इस दलील को समझने में असमर्थ हूं कि क्योंकि केवल एक बार केन कौंसिल की बैठक साल में होगी तो किस तरह से जो माह बमाह के काम होंगे उन सब में जो फैसला हुआ होगा उस पर वह दूसरा फैसला ले सकती है। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बहुत से काम वह और उन की केबिनेट ऐसे करती है कि उन पर कोई राय इस सदन की पहले से नहीं ली जाती, लेकिन इस आशा पर कि सदन उस पर विचार करेगा तो इस तरह से पहले से काम वह करते हैं। महज इस आशा पर सरकार करोड़ो रुपया खर्च कर लेती है और कनटिनजेंसी फंड से निकाल कर सरकार रुपया खर्च कर लेती है इस आशा पर कि सदन को स्वीकृति बाद में ले ली जायगी। सम्भव यह भी हो सकता है कि जो खर्च किया जा रहा है उस को सदन नामंजूर कर दे, ऐसी बात भी हो सकती है। तो जब यह सम्भावना है तो मैं समझता हूं कि यह केवल एक चेक है, एक लगाम है बावजूद इस के कि सारी जनता के बहुमत वोटों द्वारा सरकार यहां बैठी है लेकिन फिर भी सदन को एक मौका रहता है कि वह अपने मंत्रिमंडल पर एक लगाम या एक चेक रखे। इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और इसे पसन्द करता हूं।

माननीय ठाकुर साहब इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि केन कमिश्नर की ऐसी पावर बिलकुल हटा दी जाय हम तो उनकी रुचि के अनुकूल ही करना चाहते हैं कि केन कमिश्नर भी पावर रहते हुए उस के ऊपर एक चेक रहे और वह जब भी कोई हुक्म दे तो सोचा करे कि अगर वह कौंसिल के फैसले के खिलाफ कर रहा है, या अमेंड कर रहा है तो किसी दिन सालाना बैठक इस पर फिर विचार कर सकती है और रायजनी कर सकती है। इस चीज को अगर वह सोचते तो जरूर सोचते कि हमारा फैसला सब के सामने आना है तो साधारण तौर पर जो इन्सान की कमजोरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उससे कभी-कभी बहुत अच्छा काम हो जाता है, सोच समझकर इन्सान चलता है। केवल इतना ही मकसद इस संशोधन का था, लेकिन हम उनको नहीं समझा पा रहे हैं। एक मर्तबा वह कहते हैं कि जांच होनी चाहिए और दूसरी मर्तबा वह कहते है कि वह अपन आप ही सारा काम ठीक करेगी। लेकिन मालूम होता है कि वह हमें दोनों बातों में गलत समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि केन कौंसिल के ऊपर हिसाब किताब की जांच के लिए पूरी तरह से लगाम होनी चाहिए। उस केन कौंसिल में हम भी रह सकते हैं और हो सकता है कि हम हिसाब किताब ठीक न रखें। तो ऐसी हालत में अपने ऊपर वहां एक चेक चाहते हैं कि हमारा पैसा नाजायज खर्च न हो जाय। हम कोई उन केन कौंसिल की वर्किंग में रुकावट डालना नहीं चाहते। कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती है कि जैसे हमारे जिल में ऐसे ट्यूब वेल बने हैं जो व्यर्थ हैं और जिनसे पानी नहीं मिलता और अगर मिलता है तो बहुत मंहगा मिलता है। अगर उन का ठीक से उपयोग हो तो शायद वही दूसरी जगह ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते थे। लेकिन इसके लिये स्वत्रंता नहीं है और केन कौंसिल ने कोई फैसला किया तो उसको चलने नहीं दिया गया। इसलिये जरूरी है कि जो सालाना बैठक हो जिसकी सदारत कलेक्टर करेगा उसमें उसकी सदारत में केन कमिश्नर के हुक्म का एक्सरे होगा। अगर कोई ऐसा हुक्म हुआ जिसको नहीं मानना चाहिये या जो वहां के लोगों के हित के विरूद्ध है है तो उस पर रायजनी हो जायगी और उसकी वजह से केन कमिश्नर बहुत समझ बूझ कर हुक्म दिया करेगा। बस इतना हीसंशोधन का मतलब है। मैं जानता हूं कि इतना कहने के बाद भी ठाकुर साहब इसको स्वीकार करने पर राजी नहीं होंगे लेकिन अगर राजी हों तो इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल––श्रीमन् जो दलीलें सरकार की तरफ से दी जाती हैं मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि वह दलीलें सरकार जानबूझ कर दिया करती है या इस किस्म की गलत दलीलें हमारे माननीय मंत्रियों के दिमागों में ही रहा करती हैं। जहां तक इसका सवाल है कि एक जगह तो हम कहते हैं कि केन कौंसिल बहुत खराब है और दूसरी जगह यह कहते हैं तो हमने अवश्य कहा कि केन कौंसिल के हिसाब किताब की जांच सख्ती से होनी चाहिये लेकिन यहां एकाउन्टस के बारे में कहां जा रहा है ? यहां तो यह है कि जो प्रस्ताव वह पास करके भेजे उसको रद्द करने का प्रश्न है। यह और वह दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्रिगण से कि या तो वह सही सोचें और नहीं सोचतें तो कम से कम सदन को भुलावे में डालने का प्रयत्न न किया करें। जहां तक और चीजों की बात है उसको बहुत साफ कर दिया गया है। मैंने पहले भी कहा है कि हम तो चेक रखना चाहते है डबल चेका रखना चाहते हैं ताकि किसी किस्म का गलत काम न हो, क्योंकि यहां एकाउन्ट का सवाल नहीं है, यहां सड़क बनाने का सवाल है, खाद का सवाल है और इसी तरह से और उपयोगी बातों का सवाल है माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ उपयोगी काम देता रहेगा उसको वह उलट देगा। कैसे उलट देगा? मान लीजिये सड़क बनी है और केन कमिश्नर के हुक्म से सड़क बनी है तो कौंसिल का दिमाग क्या इतना उलटा हो जायगा कि वह कहेगी कि नहीं इस सड़क को खोद डालो। वह यह नहीं कहेगी हां और कोई ऐसा काम हुआ जिसको वह जरूरी समझती है और केन कमिश्नर ने रोक दिया तो वह रुका हुआ है। उस समय जब जेनरल मीटिंग होगी तो वह कौंसिल से पास होगा और पास करके कहेगी कि यह होना चाहिये उस मीटिंग में आपके कलेक्टर और सब लोग मौजूद रहेगें। तो इसमें मैं नहीं समझ पाया कि नुकसान क्य है। डबल चेक हो रहा है कि कहीं से गलती न हो जाय और ठीक से काम चल सके इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी और हट धर्मी न करें और इसको स्वीकार करें तो जनहित में अच्छा होगा।

श्री फूल सिंह—मेरे दोस्तों ने हठधर्मी से लेकर सारे अच्छे शब्द इस्तेमाल कर डाले हैं। यह जो धारा १५ है मेरे साथियों की नजर में इसका मध्यबिन्दु कलेक्टर है। जो बोलगें उसकी प्रशंसा में बोलेंगे कि साहब कलेक्टर सदारत करता है.....

श्री गेंदा सिंह—आपको राजी करने के लिये कहते हैं।

श्री फूल सिंह—राजी मैं किसी भली बात से होता हूं। मैं माननीय गेंदा सिंह जी की बहुत कद्र करता हूं परन्तु दुर्भाग्यवश वह किसी भी संशोधन का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर वह किसी भी संशोधन का विरोध करते तो मैं उनकी बात मान सकता था। यहां तक कि उन्होंने उसका भी विरोध नहीं किया जिसको स्पीकर महोदय ने रूल आउट कर दिया। अगर उन्होंने उसका विरोध कर दिया होता तो मेरे दिमाग में उनकी कद्र बहुत अच्छी होती। अब जब सभी का वह समर्थन करते है तो मुझे अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। यह सवाल किया गया कि क्या आवश्यकता पड़ेगी कैन कमिश्नर को रूल आउट करने की कुछ चीजों की। मैं जानता नहीं कि कितने अवसर ऐसे आयेंगे जब कुछ चीजें रूल आउट होती हैं। कुछ केन वेराइटीज ऐसी होती है जिनमें पैदावार बहुत होती है, गन्ना कितने मन बीघा निकलेगा और कुछ वेरायटीज होती है जिनमें शक्कर ज्यादा निकलती है। बाज वक्त किसान चाहता है कि फलां गन्ना पैदा करो और पालिसी का तकाजा यह होता है कि यह नहीं, यह पैदा करो। फिर जब इतने लम्बा सीजन चलने लगेगा तो इस बात की आवश्यकता है कि कुछ लोग ऐसा गन्ना बोयें जो जल्दी पके, कुछ लोग ऐसा गन्ना बोयें जो बाद में पके और कुछ लोग ऐसा गन्ना बोयें जो बीच में पके और कुछ इलाकों में किसान को छूटी दे दी जाय कि वह एक ही गन्ने को बोये और बार-बार उसे काटे। तो कुछ मसले ऐसे है जिनमें ईमानदारी से सोचते हुए भी कौंसिल की एक राय हो सकती है और कैन कमिश्नर की दूसरी राय होती है। आप कहते हैं कि कैन कमिश्नर को अधिकार हो, लेकिन अधिकार दे कर छीन लो। यह कहते कि वीटो पावर न हो, इतना तो आप मानते है, लेकिन एक पुछल्ला लगाते हैं। मेरे खयाल म कहीं तो मामला खत्म होना चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि नियम १५ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक शब्द जोड़ दिया जाय :

"परन्तु गन्ना कमिश्नर के ऐसे आदेश पर परिषद के वार्षिक अधिवेशन को निर्णय करने का अधिकार रहेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम १६

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम १६ के अन्त में "तथा उसके प्रकाशन की ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके द्वारा क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को जानकारी हो सके" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, नियम १६ इस प्रकार है "सचिव" सभापति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जितनी बार आवश्यकता हो परिषद की बैठकें बुला सकता है और परिषद के किन्हीं दो सदस्यों के कहने पर अवश्य बुलायेगा। वह कार्यक्रम पत्र को घुमावेगा और बैठकों की कार्यवाही लिखेगा परिषद से पत्र व्यवहार करेगा और अन्य ऐसे कार्य करेगा जो आवश्यक हों। वह प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एवं प्रतिलिपि बैठक के दिनांक से ७ दिन के भीतर गन्ना कमिश्नर के पास भेजेगा। श्रीमन् मेरे प्रस्ताव

का मतलब यह है कि अगर कोई निर्माण का कार्य होने वाला है या कोई प्रस्ताव वह कौंसिल पास करती है तो उसकी जानकारी वहां की जनता को करायेगी। अगर जनता के लिये काम होना है और जनता उसकी जानकारी नहीं रखती है तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाने की संभावना है। श्रीमन्, जैसा कि अभी आगे चल कर केन कमिश्नर साहब को अधिकार दे ही दिया गया और कोई गलत काम होता है तो केन कमिश्नर साहब उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि कौंसिल कभी कोई गलत काम करे। यह तो हम कहते नहीं है कि कौंसिल कभी गलत काम नहीं करेगी। इसीलिये उस संशोधन में हमने डबल चेक रखा था गलत काम को रोकने के लिए। लेकिन मान लीजिये कि गलत काम करे वहां की जनता न चाहती हो तो अगर जनता को जानकारी रहे कि यह प्रस्ताव कौंसिल ने पास किया है और केन कमिश्नर के पास जा रहा है तो वह केन कमिश्नर को लिख सकती है कि फलां काम गलत है या अपना सुझाव दे सकती है। तो यह तो एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके लिए वह काम करें वही न जाने तो उसकी जानकारी होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को माननीय मंत्री जरूर मंजूर करेंगे और इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं है। यह बिलकुल साफ है। जनता को जानकारी करायी जाय। यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिस पर माननीय मंत्री जी अगर सचमुच आज कसम न खा गये हों कि कोई संशोधन मानना ही नहीं है तो इसको मान लेने में मैं समझता हूं कि कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री शिवनारायण---माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे मित्र ने उधर से प्रस्ताव किया है कि जो प्रस्ताव कौंसिल पास करे वह जनता की नालेज में रहे। मैं कहता हूं कि कौंसिल के जितने मेम्बरान होंगे वह जनता के ही मध्य से आयेंगे, जनता के चुने हुए लोग होंगे जो आदमी अपने गांव से चलेगा जो मेम्बर अपने क्षेत्र से आयेगा है और जब लौट कर जायगा तो कमसे कम अपने गांव वालों को बतायेगा कि हम आज पास करके आये हैं। वह जनता की नालेज में होगा। वह उसके बाद केन कमिश्नर के यहां से पास हो कर आयेगा जैसा आप फरमाते हैं। ठीक वैसे ही अगर असेम्बली में हम हर कानून को रिटर्न करें कि पब्लिक ओपीनियन ली जाय तो कितना पैसा इस सरकार के पास होगा! कारूं का खजाना गुप्ता जी या मुख्य मंत्री जी कहां से लायेंगे? आये दिन जांच हो तमाम अफसर दौड़ाये जायं। जगन्नाथ मल्ल जी हवाई किले बांध रहे हैं। इसके मानी यह है कि कौंसिल के मेम्बरान पर आप को विश्वास नहीं है। कौंसिल को व्यर्थ समझते हैं। मैं आपकी इजाजत से जगन्नाथ मल्ल जी से कहना चाहता हूं कि यह वेस्ट आफ टाइम ऐन्ड इनर्जी है। इस हाउस का समय बरबाद किया जा रहा है। यह अमेंडमेन्ट बेकार है। हमारे यहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट है। हम उसी डेमोक्रेसी के एक अंग हैं। यहां से जो हम कानून बनाते हैं। वह कौंसिल के मेम्बरान के हक में हैं। केन कमिश्नर को जो अधिकार रहेगा वह तो हैड आफ दि गवर्नमेन्ट है उस केन डिपार्टमेंट का। आपने पहले अमेंडमेंट में डबल चेक रखा था। एक चेक में तो काम नहीं चलता है। डबल चेक में कितना पैसा खर्च हो जायगा। यह बेकार का संशोधन है। समय बरबाद किया जा रहा है। मैं उचित समझता हूं कि जो काउंसिल है वह ठीक है और जो उनका संशोधन है वह बेकार है। मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े गौर से मैंने माननीय शिवनारायण जी के भाषण को सुना और सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि माननीय शिवनारायण जी ने शायद जो नियम है इसको पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो शायद इस तरह का भाषण इस सदन के सामने न दिया होता। क्योंकि श्रीमान इस काउंसिल में पबलिक रिप्रेजेंटेटिवि केवल दो होंगे और उसके बाद जितने लोग होंगे सब

[श्री रामेश्वर लाल]

नामिनेटेड होंगे, सरकार के आदमी होंगे और जितने क्षेत्र के अन्दर परिषद बनती है जैसा कि हम लोगों को अनुभव है दो दो तीन तीन लाख की आबादी होती है कम से कम जहां केन प्रोइंग एरिया है वहां पांच-छः सौ गांव पड़ते हैं। तो कैसे सम्भव हो सकता है कि दो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो उस परिषद के मेम्बर हो कर आयेंगे जनता को यह बतला दें कि साहब आज परिषद ने यह प्रस्ताव पास किया है। श्रीमन् माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि प्रचार वगैरह तो जनता के प्रतिनिधि कर दें। मैं सिर्फ उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसी एक प्रचार की तरफ ध्यान दिया है कि परिषद ने कोई प्रचार भी किया है। मूंग नम्बर १ का श्रीमन् प्रचार हुआ कि हरी खाद है और परिषदों ने भी किया, दीवारों पर लिखवाया और हर जगह प्रचार हुआ, उसमें रुपया खर्च हुआ। यह अच्छा होगा कि परिषद स्वयं अपनी तरफ से किसी खाद या किसी भी आवश्यक चीज, जिसको कि वह समझती है कि वह किसानों के लिए लाभकर है, उसके लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन करे। तो मैं माननीय शिवनारायण जी से यह निवेदन करूंगा कि इसका उन्हें विरोध नहीं करना चाहिये था। श्रीमन् यह परिषद है क्या? मैं आपके द्वारा इस सदन से कहना चाहता हूं कि ये परिषदें काफी ताकतवर हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। माननीय शिवनारायण देखेंगे कि एक मन पर वह तीन पाई, एक पैसा लेती है और १०-१५ लाख मन गन्ना एक फैक्टरी को परिषद द्वारा जाता है और परिषदों की सालाना आमदनी ३७ हजार, ३८ हजार, ४० हजार रुपया होती है। साथ ही उनको अख्तियार है कि वह और भी काम करें जैसे खाद का देना तकावी पर, उस पर सूद लेना, रुपया सवा छः परसेंट सूद पर देना, बीज सूद पर देना। इससे भी मुनाफा होता है। मेरा दावा है कि लोकल बाडीज जितनी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान और सीधा सम्पर्क जनता से रखने वाली अगर कोई संस्था काम करती है प्रान्त में तो यही केन डेवलपमेन्ट की परिषदें हैं। तो श्रीमन् जहां हजारों रुपया लाखों के करीब परिषद को लाभ हो तो उसकी बैठक होने पर उसकी कार्यवाही रजिस्ट्रार महोदय को तो भेजी जाय लेकिन जो चीज लाभप्रद है जनता के लिए उसके प्रचार के लिए उसका प्रकाशन न हो, यह कहां की न्यायोचित बात है? फैक्टरी वाले ऐसे गन्ने को नहीं लेते जिसके लिए कहा जाता है कि यह गन्ना खराब है और किसान के लिये लाभकर नहीं है, इसे न बोया जाय। सरकार प्रख्यापित करती है और परिषदों को हक है कि वह अपना विचार प्रकट करे। ऐसा देखा जाता है कि जिसके लिए घोषित हो जाता है कि किसान उस गन्ने को न बोये और वह बो देता है तो उसको फैक्टरी वाले नहीं लेते हैं और उसे घाटा होता है। तो यदि परिषद की तरफ से जो आनरेरी सेक्रेटरी है या परिषद उसको पुस्तक प्रकाशित करके किसानों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है तो यह कोई गलत चीज नहीं है। हां, अगर यह दलील दी जाती है कि पैसे के अभाव में यह नहीं हो सकता और विकास के कामों में पैसा खर्च होना चाहिये और अपोजीशन वाले दूसरे काम में खर्च करना चाहते हैं तो वह हो सकता था और माननीय मंत्री जी के लिये गुंजायश होती लेकिन श्रीमन् परिषद स्वयं भी इंडिपेंडेन्ट है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ३०-४० हजार उसकी सालाना आमदनी है और साथ ही और विकास के कामों में भी जो सूद पर रुपया देती है, उससे भी आमदनी है। तो प्रकाशन द्वारा जनता को आगाह करना परिषद की कार्यवाही से इसमें कुछ अनुचित बात नहीं है। इसलिए मैं जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि न इसमें सरकार खतरे में है और न मंत्री खतरे में हैं और न कोई राज्य को खतरे की बात उपस्थित होने वाली है। इसी में सौजन्यता है कि इस प्रस्ताव को जो कि जनता के हित के लिये बहुत ही अहम प्रस्ताव है, माननीय मंत्री जी स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री फूल सिंह--मुझे खेद है कि मैं इस प्रस्ताव का भी विरोध करता हूं। बात यह है कि अगर इसकी संशोधित धारा को पढ़ा जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि जतनी मीटिंग्स हों उन सब की कार्यवाही छपनी चाहिये और छपकर बंटनी चाहिये ताकि जनता को उनका ज्ञान हो।

श्री रामेश्वर लाल--आप संशोधित कर दीजिये उसको।

श्री फूल सिंह--माननीय मित्र ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने स्वयं फरमाया कि ६ लाख जनता है और ५-६ सौ गांव है। तो अगर कुछ छापना है तो इतना तो छापना चाहिये कि वह ५-६ सौ गांव की ६ लाख जनता के पास पहुंच जाय। अब मान लीजिये कि कौंसिल ने पास किया कि इस चपरासी को न रखा जाय। तो उसको ६ लाख जनता में बांटना पड़ेगा। तो यह मानते हुये भी कि उनके पास पैसा काफी है लेकिन वह काफी पैसा लुटाने के लिये तो नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन न होते हुये भी कोई पाबन्दी नहीं है कि वह कोई चीज छापें न। जो चीज जनता के हित की हो जिसके प्रचार की आवश्यकता हो उसको अवश्य छापेंगे। लेकिन इस संशोधन को पास कर देने से तो जिन बातों से जनता का सीधा सम्बन्ध है भी नहीं, जो बेकार की बातें हैं वे भी छापनी पड़ेंगी। तो मेरे खयाल में यह संशोधन अनावश्यक है और इससे बेकार पैसा जाया होगा। मैं यह तो जानता नहीं कि मेरे मित्र मेरी इस बात के बाद अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। बहरहाल मैं इस संशोधन को यह समझता हूं कि यह नामंजूर होना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन् जब मंत्री जी ऐसा जवाब देते हैं तो शिवनारायण जी ने जैसा जवाब दिया उससे हमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ। इसलिये कि शिवनारायण जी तो लगे कहने कि इसमें जनता के नुमाइन्दे रहेंगे और वे तारों तरफ जाकर कहेंगे।

श्री शिवनारायन--आप क्या हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--जरा सुन लीजिये कि इसमें कौन लोग रहेंगे।

"परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति।

६ सदस्य होंगे जिसमें चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के दो दो प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य जो गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायगें।

जिला नियोजन अधिकारी जो पदेन सदस्य होगा।

एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करेगें।

जिला गन्ना अधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करेगें जो सदस्य तथा सचिव होगा।"

अब पता नहीं कि माननीय शिवनारायण जी ने न मालूम कैसे कह दिया कि इसमें सब जनता के चुने हुये नुमाइन्दे चले आयेगें। दो मिल के रहे। वे तो किसी को बताने से रहे। दो सहकारी समिति के रहे। अगर उन्होंने ज्यादा तिड़ पिड़ किया तो तीसरे साल उनका खात्मा हो जायगा और दूसरों को रख दिया जायगा। तो महाराज इसमें कहां आता है कि जनता के प्रतिनिधि होंगे। जितना काम हुआ उसकी जनता को कहां जानकारी हुई।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

अब रही मंत्री जी की बात। तो हो सकता है श्रीमान कि हम लोग कोई संशोधन लायें और उसमें कुछ भूल हो जाय। अगर कहीं ऐसा हो जाय तो मंत्री जी उसको ठीक कर कर लिया करें। हम उसके लिये तैयार हैं। हमारी कभी भी यह मन्शा नहीं है कि अगर कोई चपरासी रखे तो उसको भी छाप कर ६ लाख जनता में बांटे। ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता है और ऐसा सोचने वालों के लिये जगह आगरा में है, इस असेम्बली में नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे संशोधन में संशोधन कर दीजिये। और अगर कहें तो मैं खुद ही और संशोधन कर दूं कि ऐसा काम जिसमें कि जनता के हित के लिये कोई काम होता है, उस काम को आप छापिये। इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि अगर इतना कागज और पैन्सिलें खरीदनी हैं तो तो यह भी छापा जाय और उसको एक एक आदमी के पास पहुंचाया जाय। अगर आप बरअस्ल इसको मानना चाहते हैं तो जैसा आप कहे उसे मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका प्रकाशन होना चाहिये। और मैं आपसे कहता हूं कि आप पता लगाइये जो भी कांस्ट्रक्टिव काम होता है पब्लिक को उसका कुछ पता नहीं है। यह तो हम कम से कम जनता को बता देते हैं जो काम जनता की भलाई के लिये होते हैं उनमें वह अपनी राय दे सकें। इसमें यह नहीं है कि एक लाख जनता है तो सबके हाथ में एक एक कागज दो। यह कहां है, जरा आप मेरे संशोधन को देखिये।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य की तवज्जह दिलाऊंगा कि वह मुझे देखें तो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि वह मंत्री जी को देखें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—खैर अब मैं आपकी तरफ ही देखूंगा। श्रीमन, मेरा जो संशोधन है उसमें लिखा है कि "तथा उसके प्रकाशन की ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके द्वारा गन्ना उत्पादकों को जानकारी होगी"। इसमें यह नहीं है कि सबको नोटिस दी जायगी। लेकिन हम जो जनता हैं कि हित के लिए काम करने जा रहे हैं। उसकी जानकारी जनता को होने का सवाल है। आप थोड़े से नोटिस बटवा दें या पेपर में दे दें इसमें कितना खर्च होता है। यह तो कौंसिल के लिये फायदेमन्द होगा और जनता का उसके प्रति विश्वास बढ़ेगा इसमें पता नहीं शिवनारायण जी को कहा से जनता के चुने हुये प्रतिनिधि दिखाई देते हैं और मंत्री जी ऐसा कहते हैं पता नहीं कि कही गड़बड़ी है। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे पता चल जाय कि हमारे यहां यह काम होने जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री फूल सिंह—श्रीमन सदस्य महोदय के दिल और दिमाग में क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन जो संशोधन पेश हुआ है और सामने आया है उसमें लिखा है कि जो मीटिंग की कार्यवाही होगी वह छपेगी। वह कार्यवाही का मतलब कुछ और लगाते हैं और किताब में कुछ और लिखा है। मुझे मालूम नहीं है। इसलिये जब यह हो कि जनता जानकारी के लिये छापा जाय तो निश्चित होगा कि कितनी संख्या में छापी जाय। अगर जनता ५० लाख है तो ५-६ हजार कागजों के छापवाने से क्या होगा। अब रही इसके तरमीम करने की बात तो वह मैंने पहले ही अर्ज किया है कि इसमें अनाप-शनाप बात है आप इसको वापस ले लीजिये और जहां जरूरत होगी और जो मुनासिब होगा उसको हम जोड देगें लेकिन यह बात उन्हे पसन्द नहीं है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि नियम १६ के अन्त में शब्द "तथा उसके प्रकाशन की ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके द्वारा क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को जानकारी हो सके" बढ़ा दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम १८

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम १८ की पंक्ति २ को निकालकर उसके स्थान पर शब्द "कार्तिक पूर्णिमा तक हो जायगी" रख दिये जायं।

(इस समय ३ बज कर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुरेशप्रकाश सिंह पीठासीन हुए ।)

इस नियम में है कि जिले के समस्त परिषदों की वार्षिक बैठक पिराई के मौसम में दिसम्बर के अन्त के पूर्व ही हो जायगी। मैं श्रीमन्, इसके स्थान पर यह रखना चाहता हूं और इस लिये कि दिसम्बर के अन्त के पूर्व से कोई निश्चित अवधि नहीं मालूम होती है। "कार्तिक पूर्णिमा तक हो जायगी" इस समय पर किसान जो हैं वह रबी की फसल के सारे काम जो हैं उनको करने को तैयार हो जाता है और वह इस समय गन्ना बोने के वक्त को समझता है और इस तरफ उसका ध्यान जाता है और वह अपने खेत को जोतता है। अधिष्ठाता महोदय, गन्ना हमारे प्रांत की मुख्य पैदावार है इस लिये अगर गन्ना पिराई के मौसम से एक महीने बैठक हो जाय तो उसको समय मिल जायगा कि वह अपने खेत में खाद डाले और गन्ने के खेत को ठीक करने का उसको मौका मिलेगा। निराई के पहले कुछ वक्त मिल जाय उसको तो वह अपना गन्ना मिलों को ले जाने के लिये सड़कों का और दूसरी तमाम बातों का काम कर सके। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि कार्तिक की पूर्णिमा के पहले ही मीटिंग हो जाय और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री फूलसिंह---श्रीमन्, अभी तक जो स्थिति है इस धारा की उसमें दिसम्बर के अन्त तक सभा हो सकती है। मेरे मित्र चाहते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा तक यह सभा हो जाय। मैं कह नहीं सकता कि वह किस तारीख तक पड़ेगी लेकिन मेरा अनुमान यह है कि वह नवम्बर के बीच में इस साल पड़ने वाली है। पश्चिम में तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में बुवाई होती है और नवम्बर के मध्य तक हम बो कर निपट पाते हैं। जो रूल (१) है उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कार्तिक की पूर्णिमा तक मीटिंग न की जाय। अगर सुविधा हो तो अवश्यक कर ली जाय, लेकिन कठिनाई हो तो बाद में हो सकती है। लेकिन अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो कठिनाई होने के बावजूद भी मीटिंग हो ही जानी चाहिये और इस लिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मान लेने से दिक्कत पड़ सकती है। इस लिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि नियम १८ की पंक्ति २ निकाल कर उसके स्थान पर "कार्तिक पूर्णिमा तक हो जायगा" रख दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम २१

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, इसके छपने में जरा गलती हो गई है, इसको मैं करेक्ट करके पढ़ देता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है कि नियम २१ के उपखंड (१) के अन्त में "जो ३१ जुलाई तक अवश्य आ जायगा" बढ़ा दिया जाय।

यह नियम २१ (१) इस प्रकार है :—

"२१-(१) फैक्टरी का अध्यासी पेराई के मौसम के प्रारम्भ होने के पूर्व परिशिष्ट ३ के आकार-पत्र में गन्ना कमिश्नर के पास प्रारम्भ होने वाले पेराई के मौसम के लिये फैक्टरी को गन्ना पूर्ति के निमित्त किसी क्षेत्र के सुरक्षित तथा अभ्यर्पित किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र देगा।"

मैं यह चाहता हूं कि इसके बाद यह जोड़ दिया जाय कि "जो ३१ जुलाई तक अवश्य आ जायगा।"

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

श्रीमन्, मेरे संशोधन का तात्पर्य महज इतना है कि अगर किसान को पहले से ही मालूम हो जाय कि हमारा गन्ना कहां जाना है तो उसे ज्यादा सुविधा होगी। क्योंकि अगर आखीर में यह तय हुआ कि उसका गन्ना यहां जाना है तो मैं समझता हूं कि वह उचित न होगा। तो यह काम जल्दी ही हो जाना चाहिये ताकि किसान उथल-पुथल में न पड़ा रहे। बहुत सी मिलें हमारे यहां ऐसी हैं जैसे खड्डा, कठकुइयां, पडरौना आदि कि जिनका पता ही नहीं कि चलेंगीं या नहीं चलेंगीं और किसान समझ ही नहीं पाता कि उसका जाने कहां जायगा? क्या होगा? किस तरह से वहां के किसानों को क्या करना है? इससे किसानों को परेशानी होती है। अगर इसका पता ३१ जुलाई तक किसानों को लग जायगा तो वह एक परेशानी से बच जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह अगरचे माननीय मंत्री जी मानेंगे नहीं, क्योंकि वह तो कसम खा कर यहां बैठे हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ फैक्टरी-वालों को आदेश देना है कि तुम ३१ जुलाई तक अगर एरिया अलाट करना है तो लिख कर भेज दो। उसके ऊपर कमिश्नर विचार करेगा और फिर उतना उतना जोन उनको अलाट कर दिया जायगा। तो इसके लिये यह हो कि डेट फिक्स हो जाय। इसमें उनको परेशानी नहीं हो सकती है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री फूल सिंह--श्रीमन्, माननीय सदस्य काश्तकारों की दशा से भली भांति परिचित हैं। इस साल अगर ३१ जुलाई के पहले रेजोलूशन हो गया होता तो यह अब सारा बदलना पड़ता क्योंकि बारिश जुलाई के बाद जाकर हुई है। अक्सर जुलाई के बाद ही होती है और अगर गन्ने के लिये वह ३१ जुलाई तक अप्लाई करेंगे तो पहली जुलाई को सर्वे करना होगा और गर्मी में यह सर्वे हो जायगा ताकि ३१ जुलाई तक जोन निश्चित हो जाय। यह किसानों के हक में है या नहीं इसको माननीय सदस्य स्वयं विचार कर सकते हैं। वर्षा तो हमेशा जुलाई के बाद ही होती है। यह होता है कि कहीं ज्यादा हो जाय और कहीं पर कम हो जाय। बारिश अच्छी हुई तो गन्ना ज्यादा हो सकता है और कम हुई तो गन्ना कम हो सकता है। तो आप रकबे का तो पता लगा सकते हैं लेकिन अनुमानित उपज का पता लगाना मुश्किल है वह तो बाद में ही मालूम हो सकती है। इसलिये यह ३१ जुलाई तक की जो बात है वह अव्यवहारिक है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह नियम जिस प्रकार से है उसको वैसे ही रहने दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, अगर किसी चीज को न मानना हो तो उसके लिये दलील बना ली जाती है। यह बात तो सही है कि वर्षा कम हुई या ज्यादा हुई लेकिन इसमें यह वर्षा की बात कहां से आगयी अगरचे जोन बांट दिया जाय तो इसमें दिक्कत क्या हो जाती है यह मेरी समझ में नहीं आया। तो श्रीमन्, इस तरह मैं यह समझता हूं कि किसानों को परेशानी में रखना उचित नहीं है। मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि एक भी संशोधन को नहीं माना जायगा। किन्तु हम लोग तो संशोधन पेश कर ही रहे हैं और वह इस कारण से कि सदन में उस पर प्रकाश ही पड़ जायगा। उन्होंने हठवादिता को स्वीकार कर रखा है, लेकिन सदन में तो वह प्रकाश डाल देते, क्योंकि इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। जब उन्होंने स्वीकार न करने का विचार ही कर लिया है तो उनसे प्रार्थना करना बेकार है।

श्री फूल सिंह--मुझे कुछ नहीं कहना है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि नियम २१ के उप खंड (१) के अन्त में "जो ३१ जुलाई तक अवश्य आ जायगा" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम २२

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम २२ के उपखंड (छ) में "सहकारी समिति"के बाद "तथा गन्ना उत्पादकों" बढ़ा दिया जाय और उप खंड (ज) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय:

"(ज) विकास संबंधी कार्यों में अध्यासी द्वारा सहयोग"।

श्रीमन्, मेरे प्रस्ताव का मतलब यह है कि नियम २२ में यह है कि गन्ना कमिश्नर धारा १५ के अधीन फैक्ट्री के निमित्त कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित करने अथवा फैक्ट्री द्वारा किसी क्षेत्र के खरीदे जाने वाले गन्ने का परिमाण निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:—

(क) फैक्ट्री से क्षेत्र की दूरी;
(ख) क्षेत्र से गन्ने के यातायात की सुविधा;
(ग) पिछले वर्षों में क्षेत्र से फैक्ट्री को भेजे गये गन्ने का परिमाण;
(घ) सुरक्षण तथा अभ्यर्पण का पूर्ववर्ती आज्ञायें;
(ङ) फैक्ट्री मे पेरे जाने वाले गन्ने का परिमाण;
(च) फैक्ट्री द्वारा पिछले वर्ष में अबवाब (cess) गन्ने का मूल्य और कमीशन भुगतान करने के लिये किया गया प्रबन्ध;
(छ) क्षेत्र की गन्ना उत्पादक सरकारी समिति के विचार (views) और यहीं पर "सरकारी समिति" के बाद "तथा गन्ना उत्पादकों" बढ़ा दिया जाय। उसके बाद यह जोड़ दिया जाय कि विकास कार्य में मिल मालिक कितना सहयोग देता है।

मेरे संशोधन का मतलब यह है कि यह जरूरी है कि जो गन्ना बोता है उसका भी विचार लिया जाय कि वह किस मिल में गन्ना देना चाहता है। जबर्दस्ती किसी गन्ना उत्पादक को किसी मिल के साथ बांध देना उचित नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि दाम न मिलने पर किसानों ने गन्ना नहीं दिया और लोगों को जब वे गन्ना लेने गये तो पीट दिया। तो इस जोनिंग से कोई फायदा नहीं है। यह भी देखना चाहिये कि मिल मालिक विकास कार्य में कितना सहयोग देता है। कहने में तो जरा डर ही मालूम होता है लेकिन मेरे संशोधन में कोई ऐसी बात नहीं जो सरकार को न माननी चाहिये। विकास मंत्री की भी बात इसमें आ जाती है और विकास का कार्य कितना होता है यह भी बात देखने योग्य है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--श्रीमन्, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यदि मिल मालिक के सदन द्वारा बनाये नियम का उल्लंघन करने पर भी माननीय मंत्री जी फिर गन्ना उत्पादकों को उसी मिल के साथ बांध देते हैं तो जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हम सरकार को कठघरे में देखना चाहते हैं, इसके सिवाय और कहा ही क्या जायगा। नियम में यह पाबन्दी है कि यदि फैक्ट्री के पिछले वर्ष में अवाब, गन्ने का मूल्य और कमीशन बाकी है तो ऐसी फैक्ट्री के साथ क्या व्यवहार होना चाहिये आप देखे होंगे कि इसी सदन में आज माननीय नेता विरोधी दल और राम सुभग वर्मा जी के प्रश्न में और गन्ना उत्पादकों से राय इस संशोधन द्वारा मांगी गई है कि फलां मिल के लिये यह क्षेत्र रिजर्व किया जाय या नहीं। मैं क्या बताऊं, एक ही मिल मालिक धामपुर और बरेली के हैं, लेकिन वहां गन्ना उत्पादकों का ३४ लाख रुपया बाकी है। पीलीभीत में १४ लाख बाकी है। केन सेस का १ करोड़ ७ लाख रुपया बाकी है। सहकारी समितियों का कितना होगा, यह नहीं मालूम। सन् ५३ से दो आने आज भी सरकार के हाथ में हैं। यह होना चाहिये कि यदि कोई अध्यासी केन सैस या गन्ने का मूल्य नहीं देता है तो गन्ना उत्पादकों

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

से राय ली जानी चाहिये। कोई विकास कार्य में सहायता नहीं देता है तो उसके लिये यह पाबन्दी कर दी जाय कि उसे क्षेत्र बिना गन्ना उत्पादकों की राय के न दिया जाय। यह संशोधन मिल वालों के गैर कानूनी बातों को और मनमानी ढंग की व्यवस्था को रोकने का है। इस संशोधन के मानने से जो मिल मालिक किसान की गाढ़ी कमाई का पैसा बहाता है और मन माने ढंग का व्यवहार करता है और सरकार को भी खुश करने के लिये रिश्ता जोड़े रहता है उसमें कमी होगी। अगर सरकार किसी कारण से इस संशोधन को अस्वीकार करती है कि गन्ना उत्पादकों की राय न ली जाय तो फिर उसके लिये कहना कि वह गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करती है या उनकी भलाई चाहती है, यह एक प्रकार से बिलकुल ढकोसला है। आज जो गन्ना उत्पादक चैत के महीने से लेकर पूरे साल भर तक अपनी सारी शक्ति लगा कर गन्ना पैदा करता है, मालगुजारी और टैक्स देता है, उसका लाखों रुपया मिल मालिकों पर बकाया रह जाता है, फिर उससे यह भी पूछा न जाय कि वह अपना गन्ना किस मिल को देना चाहता है, मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के विपरीत है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गन्ना उत्पादकों की राय के लिये जो जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन है उसको वह स्वीकार करे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो संशोधन उपस्थित किया गया है यदि उन शब्दों में उसको स्वीकार न किया जाय तो कम से कम जो भाव उस संशोधन के पीछे है, उस पर वे विचार करके नियमों में कुछ ऐसी व्यवस्था करें। गन्ना उत्पादकों का जिन फैक्टरियों के ऊपर रुपया बकाया है तो उन फैक्टरियों के क्षेत्र जब अगले वर्ष निर्धारित किये जायं तो इस बात पर विचार कर लिया जाय कि वह पहले बकाया रकम दे दें या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उत्पादकों को दिक्कत पैदा करने वाली हो। नियमों में जो विचार करने की बात है उसमें यह और कर दिया जाय कि जिस समय क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे उस समय अमुक अमुक बातों पर विचार किया जायगा। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मैं यह समझता हूं कि डेमोक्रेटिक विचार धारा में इस बात पर विचार अवश्य होना चाहिये और यह अवश्य देखा जाना चाहिये कि गन्ना उत्पादकों का कितना रुपया फैक्टरियों पर बकाया है तथा उनके आपस के संबंध कैसे हैं। एक सवाल के जबाव में मुझे बताया गया था कि काफी रुपया गन्ना उत्पादकों का और सरकार का फैक्टरियों पर बकाया है। इस बात पर जरूर विचार होना चाहिये और फैक्ट्री वालों को यह मालूम होना चाहिये जब कि क्षेत्रों का निर्धारण होगा तो गन्ना उत्पादकों और सैस का अगर रुपया बकाया होगा तो वह उसके मार्ग में रुकावट होगी। किसानों का अगर कहीं रुपया बकाया रह जाता है तो कितनी तकलीफ उनको होती है, यह किसानों का ही दिल जानता है। उनको सरकार का नहर का टैक्स देना होता है, मालगुजारी देनी होती है, इसके अतिरिक्त उसके शादी त्यौहार भी होते हैं वह सब इसी कैश क्राप से ही काम चलाता है। अलग गन्ना पैदा करने वालों का रुपया इसी प्रकार से रुका रहे और मिल मालिकों पर कोई सख्ती न हो तो बकाया का वसूल होना मुश्किल हो जायगा। वैसे सरकार की यह जरूर कोशिश रहती है कि मिलमालिकों पर गन्ना उत्पादकों का कोई रुपया बाकी न रह जाय लेकिन फैक्टरी वालों को भी तो इस बात का अहसास होना चाहिये कि अगर उनके ऊपर बकाया रहेगी तो क्षेत्रों का विचार करते समय उनको दंडित किया जा सकता है। यह तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि इस संशोधन की जो भावना है उस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं माननीय सदस्य से चाहता हूं कि वे अमेंडमेंट पर ही बोलें, तमाम ब्योरे में जाने का प्रश्न नहीं है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रश्न को मुझ पर ही छोड़ दें ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तो मैं समझता हूं कि गन्ना उत्पादकों की राय जानने का जरूर प्रबन्ध होना चाहिये । गन्ना उत्पादक यह अवश्य चाहेंगे कि वह फैक्टरी जिसने उनके मूल्य का पेमेंट कर दिया है उसी फैक्टरी के अन्दर उनका क्षेत्र हो । चुनांचे जब क्षेत्र का निर्धारण होगा तो गन्ना उत्पादकों को अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका रहेगा । मैं समझता हूं कि जैसा मैंने कहा इसके भाव को माननीय मंत्री जी ग्रहण करने की कृपा करें । क्योंकि गन्ना उत्पादकों का वोट लेना वैसे तो सम्भव नहीं है या कैसे उसके विचारों का निर्णय किया जाय लेकिन अगर गन्ना उत्पादकों का बकाया ज्यादा है तो स्पष्ट है कि उनका मत उस फैक्ट्री को अपना गन्ना देने का नहीं होगा जिसने कि उसकी कीमत को बकाया रखा है । इसलिये यह संशोधन बहुत संगत सा है जिसमें गन्ना उत्पादकों के विचार जानने की बात है । और इससे गन्ना उत्पादकों को पैसा मिलने में सहूलियत होगी । इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं है लेकिन जब क्षेत्र बने तो उनके विचार जानने की बात है । सरकार भी खुद चाहती है कि उनका पैसा बाकी न रहे तो इस नियम को रखने से उनको पैसा मिलने में सहूलियत होगी । मैं समझता हूं कि इस संशोधन को विचार में रख कर नियम बनाया जाय तो काफी सहूलियत होगी । विकास की जहां तक बात है फैक्टरियों का यह कर्त्तव्य है कि वे विकास के कामों में सहयोग करें और इस तरह से ज्यादा विकास हो सकता है । विकास के कामों में जितना भी जिससे सहयोग लिया जा सके जाना चाहिये । इसलिये इस नियम में जो कई शर्तें दी गयी हैं उनमें कुछ शर्तें और भी इस तरह की मेरी समझ में जोड़ देने की माननीय मंत्री जी कृपा करें ताकि कोई बकाया वगैरह गन्ना उत्पादकों का न रह जाय ।

*श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । यह नियम २२ महत्वपूर्ण है इसलिये कि इसमें केन कमिश्नर रिजर्व्ड और एसाइंड एरिया का निर्णय करेगा, गन्ने का परिमाण निश्चित करेगा। तो इसमें और सभी लोगों की राय जानने की व्यवस्था है, क्षेत्र की गन्ना सहकारी समिति के विचार भी देख कर केन कमिश्नर निर्णय करेगा लेकिन गन्ना उत्पादकों के विचार का तजकिरा इसमें नहीं है। इसमें जिन बातों का निर्णय केन कमिश्नर करेगा उन बातों से गन्ना उत्पादकों का घनिष्ठ सम्बन्ध है और कौन सा एरिया रिजर्व्ड होगा, कौन सा एरिया एसाइंड होगा और कितना गन्ना फैक्टरी को सप्लाई होगा, इन सब बातों में गन्ना उत्पादकों की राय जानना बहुत ही जरूरी है। यह कहा जा सकता है कि सहकारी समितियों की राय केन कमिश्नर को मालूम हो जायगी । मगर सहकारी समितियां जिस तरीके से काम करती हैं वह जहां तक मैं समझता हूं सर्व विदित है। वहां पर जितने एस० डी० ओज०, सुपरवाइजर्स और कामदार हैं वे इस तरीके से काम करते हैं, मैं अपने यहां के तुलसीपुर शुगर फैक्ट्री और बलराम पुर शुगर फैक्टरी की बात जानता हूं कि उनमें इस कदर करप्शन बढ़ा हुआ है कि वे अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बातें, जिनमें उनको पैसा मिले, करते हैं । गन्ना उत्पादकों को पता भी नहीं चलता है कि उनका एरिया रिजर्व्ड है या नहीं है, एसाइंड है या क्या है या कितना गन्ना उनका लिया जायगा या कितना सोसाइटी का है । तो इस सम्बन्ध में मेरा अर्ज करना यह है कि अगर माननीय मंत्री जी गन्ना उत्पादकों की भी राय जान लें तो कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा और उनकी भी राय केन कमिश्नर के पास पहुंच जायगी । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम सुभग वर्मा---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा उद्योग है कि जो कि कच्चे उत्पादक के ऊपर ही निर्भर करता है और यहां यह रखा गया है कि सब से राय ली जायगी, लेकिन जो गन्ने को पैदा करने वाले हैं, उस फैक्ट्री की मूल जड़ है, उसकी कोई राय नहीं ली जायगी। इस में माननीय मल्ल जी ने यह संशोधन रखा है कि उस गन्ने के उत्पादक से भी राय ली जाय। हमें अपने यहां की मिलों का अनुभव है, माननीय मंत्री जी रिजर्व एरिया मुकर्रर कराते हैं और मिल वालों के गले में लोगों को बांध देते हैं कि उसको अवश्य ही उसी मिल में गन्ना लेकर जाना होगा लेकिन मिल मालिक उन नियमों का पालन करता है या नहीं उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है। हमने सुना है कि हमारे यहां आसपास में जो मिलें हैं उन सब में कठकुइयां के पास ६ लाख रुपया बाकी है, पडरौना के पास दस लाख रुपया बाकी है और खड्डा पर ८ लाख रुपया बाकी है। इस तरह से जब उन से कभी भी किसानों का पूरा पैसा अदा नहीं हुआ है उनका हिसाब देखा जाय और रिजर्व एरिया बनाते वक्त इस को देखा जाय कि किसान कहां अपना गन्ना देना चाहते हैं और कहां उनको वक्त से पैसा मिल सकता है ताकि वह वहीं अपनी गाड़ी ले जा सकें।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां की मुख्य पैदावार गन्ना ही है और उसी पर निर्भर किसान सोचता है कि गन्ने को मिल में गिराकर उसी का पैसा लाकर अपने लड़कों को जो घरों में भूखे मरते हैं, जिन के पास जाड़ों में कपड़ा तक ढकने को नहीं रहता, वह समझता है कि गन्ना बेंच कर पैसा लाऊंगा और कपड़ा और खाने का इन्तजाम करूंगा और आगे की खेती बारी बोआई जोताई का इन्तजाम करूंगा लेकिन जब उन को साल-साल दो-दो साल तक गन्ना गिराने के बाद पैसा नहीं मिलता और जब वह वहां गन्ने के दाम मांगने जाते हैं तो घिरवा कर निकाल दिये जाते हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है तो मंत्री जी ऐसे मिलमालिक के साथ और उनकी बिना राय जाने हुए क्यों उस गन्ना उत्पादक को बांधना चाहते हैं। इसलिये मंत्री जी ऐसे मिलमालिकों का भी ख्याल रखें कि जो दाम देने में देरी करते हैं और बगैर गन्ना उत्पादकों की राय के उनको किसी फैक्ट्री एरिया से संबंधित न करें। ऐसा भी होता है कि इसका उल्लंघन होता है और ८-८, ९-९ मील दूर गन्ना लोग ले जाते हैं क्योंकि वहां उनको पैसा मिलने में सुविधा होती है और वह अपना काम उन पैसों से चला सकते हैं। कठकुइयां मिल के पास के लोग जब उन को पैसा नहीं मिलता तो अपना गन्ना सिरोही तक ले जाते हैं और पडरौना के पास के लोग पैसा न मिलने के कारण अपना गन्ना रामकोला तक ले जाते हैं। इस तरह से नियमों का उल्लंघन होता है। इस वास्ते जरूरी है कि गन्ना उत्पादकों से भी राय ली जाय और उसके बाद रिजर्व क्षेत्र मुकर्रर किया जाय।

दूसरे मल्ल जी ने बताया कि यह गन्ने के मिल मालिक गन्ना उत्पादकों के गन्ने से करोड़ों की सम्पत्ति पैदा करते हैं लेकिन वह गन्ना उत्पादक जब गन्ना ले कर मिल को जाते हैं तो उन की गाड़ी रास्ते में टूट जाती है और सड़क ठीक न होने के कारण गड्ढों में फंस जाती है। वहां पहुंचने पर उनके बैलों के रहने के लिये कोई साधन नहीं, रात को वह जाड़े में ठिठुरता है, कोई इन्तजाम नहीं, गन्ना पैदा करने के लिये सिंचाई का कोई साधन नहीं है। जब करोड़ों की सम्पत्ति मिलमालिक उससे प्राप्त करता है तो उसको जरूर ध्यान रखना चाहिये कि गन्ने के विकास के लिये अपने एरिया में कुछ काम करे, सिंचाई के लिये ट्यूब वेल्स लगायें, सड़क बनवायें। उसने कौन सी काम किया है सिंचाई का, सड़क बनवाने का, पुलिया बनवाने का? यदि उसने बनवाया है तो ठीक है और इन सब उन्नति के कामों को देखते हुए ही रिजर्ड एरिया बनवाये जायं। तो इस तरह से माननीय मल्ल जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत उचित है और माननीय मंत्री जी को इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिये।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मल्ल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन एक ऐसा

संशोधन है जिसे माननीय मंत्री जी अन्ततोगत्वा अवश्य स्वीकार करेंगे। इस संशोधन के दो अंग हैं। एक तो रिजर्व एरिया के केन यूनियनों स सलाह लेने के साथ-साथ गन्ना उत्पादकों से भी कुछ लिया जाय, एक तो वे यह चाहते हैं और दूसरे यह कि यदि कोई फैक्टरी का अध्यासी अपने रिजर्व्ड क्षेत्र के किसानों के हित के लिये कोई काम नहीं करता तो वह क्षेत्र उसको रिजर्व्ड न किया जाय। यानी रिजरवेशन के वक्त अध्यासी का सामाजिक हित के लिये जो काम हो, वह कसौटी हो, यह मंशा इस संशोधन का है।

श्रीमन्, किसान खुश रहे तभी किसानों का और मिलों का संबंध अच्छा हो सकता है और दोनों के फलने फूलने में सुविधा रहेगी। श्रीमन्, आज माननीय मंत्री जी इसे अस्वीकार नहीं कर सकते कि प्रांत में १८ मिलें चीनी की हैं, जिन पर ८७ लाख रुपया लगभग बाकी है। माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे कि सरदारनगर शुगर फैक्ट्री, जिला गोरखपुर पर ६ लाख रुपये केन सेस का बाकी है। वे यह भी स्वीकार करेंगे कि पीलीभीत पर १४ लाख तथा बरेली और धामपुर पर ३४ लाख रुपया केन सेस का बाकी है और ८७ लाख रुपये के करीब केन प्राइस का आज किसानों का मिलवालों के जिम्मे बाकी है। अगर इस पर न्यायसंगत ढंग से विचार किया जाय तो माननीय मंत्री जी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उन किसानों का जिनका दाम मिलों के जिम्मे बाकी है एक साल का नहीं एक से अधिक सालों का, एक हजार दो हजार नहीं, बल्कि लाखों रुपया बाकी है जिनपर इतना केन सेस बाकी है उन मिलों की एरिया में उन किसानों का गन्ना जाने के लिये रिजर्व न किया जाय। देखने में आया है, माननीय मंत्री जी का अनुभव न हो, लेकिन जो माननीय सदस्य गन्ने की खेती करते हैं और मैं भी जानता हूं कि जबरदस्ती रिजरवेशन का नतीजा यह है कि विकास परिषद को बहुत जबरदस्त घाटा हुआ है। जब मिलों से, श्रीमन्, नहीं पटती तो मिलों की ज्यादतियों के कारण केनग्रोअर्स चोरी से दूसरी मिलों को गन्ना देते हैं और मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये सिर्फ दो मिलों का नाम उनकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं इसलिये कि वह जांच करवाकर मेरे कथन को सच्चाई की कसौटी पर कसें। बैतालपुर शुगर फैक्ट्री और देवरिया शुगर फैक्टरी एक ही मिल ओनर की फैक्ट्रीज हैं और देवरिया शुगर फैक्ट्री का गन्ना बैतालपुर शुगर फैक्ट्री और बैतालपुर शुगर फैक्ट्री का गन्ना देवरिया शुगर फैक्ट्रीज में जाता है। यही कारण है कि गन्ने का दाम बाकी है, किसान जाता है लेकिन उसे पैसा नहीं दिया जाता। मैं प्रमाण दे सकता हूं कि ६-८ सालों के गन्ने के दाम उन किसानों के बाकी हैं जिनके वालदैन मर गये, सही अध्यासी जिन्दा है, लेकिन चूंकि लैप्स हो गये इसलिये नहीं दिये जाते। लिहाजा वह किसान सेटिस्फाइड नहीं है। वह उस मिल के अध्यासी को न दे कर दूसरी मिल में गन्ना ले जाता है। फिर जब कोई किसान जिस मिल के लिये उसका गन्ना रिजर्व्ड है उसको गन्ना नहीं देता है तो उसके लिये सजा की व्यवस्था है। इसलिये यह उचित है कि जहां सहकारी समितियों की राय ली जाती है वहां किसानों की भी राय ली जाय। जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन रक्खा है उसका तात्पर्य यही है कि मिल का अध्यासी किसानों के हित में काम नहीं करता तो उसके क्षेत्र में उससे संबंधित मिल के लिये उसका गन्ना रिजर्व न किया जाय। श्रीमान् जी, सरकार के बहुत से हुक्म हैं जैसे जिस क्षेत्र में गन्ना होता है और जिस मिल के लिये वह रिजर्व है उस मिल के अध्यासी के लिये सिंचाई की वहां व्यवस्था करना लाजमी काम है। मिल मालिक को मिल के क्षेत्र में विकास के कामों में सहयोग देना लाजमी काम है। मैं अपनी जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि सिंचाई के काम में पूर्वी यू० पी० में जहां मिलों का केंद्र है, गन्ना जहां बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है वहां कितनी मिलों ने इस काम में सहायता की और आपके हुक्म की तामील की। तीन महीने काम करने के बाद मिल वाले लाखों की सम्पत्ति मुनाफे में कमाते हैं तो लाजमी है कि जिन किसानों के बल पर इतना मुनाफा वे कमाते हैं उनके लिये कुछ काम करें। कितने स्कूल खोले? कितनी सड़कें बना दीं? बैलों के पानी पीने के लिये कितने नलकूप लगा दिये? बरसात में बैलों की और गाड़ी वालों की रक्षा के लिये उचित मात्रा में कितनी छाजन की व्यवस्था कर दी है? ऐसी कोई व्यवस्था वे नहीं कर पाते। श्रीमान् जी, माननीय मंत्री स्वयं मिल के एरिया को देखें तो आदमियों और जानवरों का पाखाना और पेशाब मिल बाउन्डरी में ही उन्हें पड़ा हुआ मिलेगा। उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो श्रीमन्,

[श्री रामेश्वर लाल]

ऐसी वहां व्यवस्था भी होनी चाहिये कि जो मिल मालिक मिल कंपाउन्ड या उस एरिया में जिसमें उसके लिये गन्ना रिजर्व है वहां विकास के किसी कार्य में कोई सहायता नहीं देता तो उसके लिये कोई रिजरवेशन न होना चाहिये। फिर उसके साथ अगर रिजरवेशन न हो तो फिर किसके साथ हो ? उसके साथ हो जो किसानों के सार्वजनिक हित के काम में पैसा खर्च करता हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन के सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता था। मैं ऐसा समझता था कि माननीय नियोजन मंत्री जो इस संशोधन को पसन्द करेंगे और फिर मुझे इस संशोधन पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझसे ज्यादा जरूरत उनको है। जितनी जरूरत मुझको है विकास और नियोजन की उससे कम जरूरत उन्हें नहीं होगी, किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी। इसलिये मजबूर हो कर मैं केवल दो बातों की तरफ उनका ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूं। एक तो यह कि उसूली तरीके पर जिस आदमी का माल हो उसकी मरजी के खिलाफ किसी खरीदार के हाथ माल बिकवा देना नामुनासिब बात है। विधान में तो इस बात की गुंजाइश है कि हर एक आदमी को अपनी तिजारत करने की पूरी आजादी है। किसी आदमी को जो माल पैदा करने वाला हो उसे कोई सरकार मजबूर नहीं कर सकती कि किसी विशेष व्यक्ति के हाथ ही उसका माल बेचा जायगा। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी पाबन्दी अपने ऊपर हम लगा लेते हैं और इसलिये लगा लेते हैं कि उससे कुछ भला उद्योग का, सरकार का और उसी के साथ अपना भी है। तो इसलिये अगर थोड़ी सी पाबन्दी अपने ऊपर आ जाय हम सोचते हैं कि इसे भी हम स्वीकार कर लें। अब इस संशोधन के जरिये मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक जो त्रुटि थी वह दूर हो जाती है कि जब रिजरवेशन द्वारा किसी फैक्ट्री के साथ किसी इलाके का बंधन कर दिया जाय कि यह इलाका फलां फैक्ट्री के हाथ अपना गन्ना बेचेगा तो इसके साथ-साथ यह भी कर दिया जाय कि वहां के गन्ना के बेंचने वाले जो हैं उनकी भी राय ले ली जाय। एक तो यह बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह भी बड़े महत्व की है कि अगर वहां का मिल मालिक किसी काम में जो काम देश की भलाई के लिये, किसान की भलाई के लिये और स्वयं उस मिल मालिक की भलाई के लिये करे, उसमें हिस्सा न लेता हो और वह जितना पैसा मुनाफा में आता हो, उसे जमीन में गाड़ कर रखता हो या बैंक में रखता हो, जनहित के कार्य में न लगाता हो, तो उसको डिस्करेज किया जाय और इस बात की व्यवस्था की जाय कि केन कमिश्नर जरा सख्त पड़े कि फलां मिल मालिक ने इस तरह का काम नहीं किया है। इसलिये उसके रिजरवेशन के सिलसिले में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर नहीं किया है तो उसके इलाके हम कम कर दें। यह एक ऐसी बात है कि जिससे हम यह समझते हैं कि मिल मालिक की रुचि विकास के कार्यों में हो जायगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं खेती करने वाला आदमी हूं और यहां पर इस माननीय सदन में काफी खेती करने वाले मौजूद हैं। सौभाग्य से इस वक्त चेयर पर भी ऐसे आदमी को देख रहा हूं जिसका खेतीबाड़ी से संबंध है, जिसका इस सिलसिले में खूब ज्ञान है जहां कहीं भी पानी का बन्दोबस्त है वहां गन्ने की उपज में काफी अन्तर पड़ जाता है बनिस्बत उसके कि जहां पानी का बन्दोबस्त नहीं है। जहां सड़कों का बन्दोबस्त है ताकि ताजा गन्ना फैक्ट्री में पहुंच जाय वहां की रिकवरी ऊंची पड़ती है बनिस्बत वहां के जहां सड़कों के खराब होने की वजह से गन्ना देर से कट कर फैक्ट्री पर पहुंचता है, वहां उसकी रिकवरी कम होती है। ये दोनों नेशनल लास हैं। इसलिये दोनों काम उत्तर प्रदेश के विकास के काम में बहुत ही आवश्यक है। कम्युनिकेशन का दुरुस्त होना जरूरी है ताकि रिकवरी अच्छी पड़े और उसी के साथ साथ गन्ने की उपज बढ़े उसके लिये पानी की व्यवस्था हो। वह पानी और फसलों के लिये भी काम देगा। इसलिये इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मैं एक बात नियोजन मंत्री जी से निवेदन करूं कि पिछले दो वर्ष से बराबर उनकी इस बात की कोशिश है कि शुगर फैक्टरियां अपने क्षेत्र में कुछ नलकूप बनवायें और कुछ सड़कें बनाने की व्यवस्था करें। लेकिन बावजूद उनकी कोशिश और माननीय गृह मंत्री पंत जी की कोशिश के नैनीताल में भी पिछले वर्ष और लखनऊ में भी दो सम्मेलन हुए। उस सम्मेलन में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी अपनी राय दूं। बहुत ही राजी मनौखी के साथ, फैक्टरी वालों को कहा गया था और मैंने तो उनसे यहां तक कहा कि दुनिया में इन्द्र का दरजा जो है, वह आपका है। मिल मालिकों को हमने कहा कि इन्द्र धनी कहा जाता है, बरसाने वाला कहा जाता है, आप इन्द्र हैं। हमारे पंत जी बैठे हुए थे, माननीय मंत्री सम्पूर्णानन्द जी बैठे हुये थे, नियोजन मंत्री जी और नियोजन उपमंत्री जी भी बैठे हुए थे, सबके सामने यह बात कही गयी कि आप लोग कम से कम उस रकम से जोकि किसानों की है, उनकी गाढ़े पसीने की कमाई की है, उसको आपने अनुचित ढंग पर ले रखा है, उसी को इस काम में खर्च कर दीजिये, जिसके लिये हमारा आपका लड़ाई झगड़ा दो तीन वर्षों से चल रहा है, तो देश का भला हो जाय। अपने ही जोन में खर्च कीजिये, जिस इलाके से गन्ना आप खरीदते हैं तो जो हमारा खतरा दिखाई देता है, जैसा कि नियोजन मंत्री हमसे ज्यादा खतरे को जानते हैं कि फैक्ट्री यहां से उठकर दक्षिण भारत में चली जायंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां की रिकवरी चीनी की ज्यादा पड़ती है तो यह खतरा इस विकास के काम से दूर हो सकता है। इसलिये यह संशोधन था और इस बात को निवेदन करने के लिये मैं खड़ा हुआ। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी बात है जिसमें कोई दो राय नहीं, कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। आज यह कहा जाता है कि द्रव्य का अपव्यय है। सरकार ने केंद्र की सरकार से सात, सवा सात अरब की मांग अगली पंचवर्षीय योजना में खर्च करने के लिये की थी लेकिन उसमें वह नाकामयाब रही और फिफ्टी परसेंट से भी कम, सवा तीन अरब उसको मिला। तो कहां तक वह अपने काम को कर सकेंगे, इस पर तो विचार बाद को करना है, लेकिन फैक्ट्री वाले पैसा लेकर जो मनी को सरकुलेशन में नहीं जाने देते और होर्ड करते हैं, बैंक में रखते हैं और इस प्रकार एक संकट देश में ले आने की कोशिश करते हैं, उस संकट से बचने के लिये, क्योंकि उसका खमियाजा तो उधर बैठे हुये लोगों को उठाना पड़ेगा, यह आवश्यक है कि उस पैसे में से कुछ पैसा किसानों के विकास के कामों में लगे मजदूरी की शक्ल में गरीबों को मिले और किसनों की हालत सुधरे तो किसान टैक्स देने लायक हो सके और स्माल सेविंग सार्टिफिकेट खरीद सके। यही उद्देश्य हमारे इस संशोधन का है। अब माननीय नियोजन मंत्री को इससे सहमत होना चाहिये। आगे उनकी इच्छा है, जैसा चाहे करें।

श्री फूलसिंह---अधिष्ठाता महोदय, बहुत सारे सदस्यों ने इस संशोधन पर अपने विचार प्रकट किये। मुख्य बातें तीन इन सब भाषणों में हैं। एरिया रिजर्व करते वक्त किसानों की राय ली जाय, यह एक बात है। धारा २२ में यह तो लिखा है कि जो गन्ना सोसाइटियां हैं उनसे परामर्श किया जाय, मगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके अलावा किसानों से भी परामर्श किया जाय। अब एक सोसाइटी में कई लाख किसान होंगे, उसकी क्या व्याख्या है? यह मतलब है कि जनरल मीटिंग से किया जाय या यह मतलब है कि हर किसान से किया जाय या यह मतलब है कि हर गांव से किया जाय? मैं समझता हूं कि इस पर जरा सोचने की आवश्यकता है। इस संबंध में एक बड़ा मौलिक प्रश्न खड़ा कर दिया गया है कि किसान को बेचने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। वह माननीय सदस्य जो इस गन्ने के मामले को तब से देख रहे हैं जब से केन रूल्स, १९३६ से बने हैं, उनको यह बात ज्ञात होगी कि यह प्रस्ताव हमारे मुखालिफों की तरफ से आता था। विरोधी यह कहते थे कि तुम किसानों को बांध कर गन्ना सोसाइटियों में खड़ा क्यों करते हो, उनको गन्ना बेचने की स्वतंत्रता दो। इसके मानी यह है कि गन्ना खरीदने की स्वतंत्रता हो और अगर दोनों स्वतंत्र हो जायेंगे तो चूंकि किसान बहुत सारे हैं इसलिये वह घाटे में पड़ जायेंगे। इसीलिये हमने यह निश्चय किया कि कोई स्वतंत्रता की बात नहीं है, एक एग्रीमेंट होगा, किसानों के नुमाइंदे

[श्री फूल सिंह]

उसको सब किसानों की तरफ से करेंगे। अधिष्ठाता महोदय, दो कंडीशन्स होती है। एक समय आ सकता है कि गन्ना थोड़ा हो और मिल बहुत सारी हों। उस समय यह सम्भव हो सकता है कि किसानों को कुछ नफा हो जाय। लेकिन तब भी मुश्किल यों कि किसान बहुत सारे हैं और हर किसान को यह जल्दी कि मेरा गन्ना पहले बिक जाय। लेकिन जैसी परिस्थिति आज है कि गन्ना ज्यादा है और मिलें कम हैं। तो हमको इसका उल्टा करना पड़ता है। सरकार तो मजबूर करती है मिलों को कि जितना तुमने ऐग्रीमेंट किया था वह भी खत्म हो गया फिर भी मिल चलाओ और जब रिकवरी गिर जाती है तो सस्ते दाम पर ही लो। सन् ३९ में जब कांग्रेस गवर्नमेन्ट हटी थी तो उसके हटने के बाद ही मिलों ने नोटिस दे दिया था कि हम गन्ना पेरने को तैयार नहीं इस भाव पर और मजबूर हो कर फौरन ४ आने मन कमी करनी पड़ी थी। इसको छोड़ दीजिये, फर्ज कीजिये कि एक गांव में १०० किसान हैं और उन्होंने १० मिलों का नाम लिया कि फलां-फलां मिलों को हम गन्ना देगें। तो दस मिलों को गन्ना कैसे दिया जायगा ? क्या सबके कांटे लगेंगे। मेरे ख्याल में यह प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं है। किसानों की सम्मति लेनी चाहिये लेकिन उनकी सम्मति उनकी नुमाइन्दा सोसाइटी से लेनी चाहिये और जो गन्ना-समिति किसानों की नुमाइन्दगी नहीं करती उसको तोड़ देना चाहिये। यह तो हो सकता था कि किसानों की आम सभा बुलाओ। लेकिन आम सभा में भी मेजारिटी का फैसला ही माना जायगा यह नहीं कि हर एक का अलग-अलग फैसला हो।

श्री गेंदासिंह---यह बिलकुल उचित बात है।

श्री फूलसिंह---मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि दिल में क्या है। जो प्रस्ताव है इसमें क्या लिखा है ?

श्री गेंदासिंह---क्षमा कीजियेगा कुछ कामनसेन्स लगाना ही पड़ता है।

श्री फूलसिंह---कामसेन्स जब प्रस्ताव आ जाता है फिर नहीं लगाया जाता। सब लोगों ने कहा कि गन्ने का दाम मिल वाले नहीं दे रहे हैं। अगर कोई इस संशोधन को न पढ़े और न इन भाषणों को सुने तो बहुत खुश हो। लेकिन अगर धारा २२ पढ़ ले तो उसमें लिखा है कि इस बात का भी ध्यान देना चाहिये कि गन्ने का दाम और सेस दिया या नहीं।

"The arrangements made by the factory in previous years for payment of cess, cane price and commission."

मैं एक बात और निवेदन करता हूं। यह एतराज किया जा सकता है कि इसके बावजूद भी कि जो मिलें गन्ने का दाम अदा नहीं कर पा रही हैं उनको गन्ना क्यों देते हैं ? इस प्रश्न को भी शान्ति से सोच लें। क्या आपकी यह मन्शा है कि गन्ने वाले तो गन्ना न दें लेकिन फैक्टरी वाला फैक्टरी चलाये ? अगर यह मन्शा नहीं है तो गन्ना मिल को देना बन्द हो जाय और फैक्टरी उठ जाय। यह तो सबकी इच्छा है कि काश्तकार को दाम मिलें पर काश्तकार को दाम दिलाने के लिये वह तरकीब न करें जिससे अंडा देने वाली मुर्गी ही मर जाय। फर्ज कीजिये पडरौना और खड्डा मिलें जिनका रोज जिक्र किया जाता है इनके एरिया में एक लाख काश्तकार हैं और ५० हजार ने कहा कि हम यहां गन्ना नहीं देना चाहते हैं और ५० हजार ने कहा जिनका कि उनके फाटक पर ही घर है कि हम और कहां ले जायं इन्हीं को देंगें। तो अगर आधे काश्तकार कहते हैं कि नहीं देंगें और कुल दो लाख मन गन्ना उसको मिला। तो क्या दो लाख

मन गन्ने से ही मिल चलेगी । और अगर मिल बन्द करना चाहे तो क्या आप बन्द करने देंगे ? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें व्यावहारिक नहीं हैं ।

अब सवाल यह है कि जो मिलें डेवलपमेन्ट के कामों में सहयोग नहीं देती हैं । मैंने जैसा कहा हमारी यह पूरी इच्छा है कि काश्तकार की मर्जी से काम करें, उसका दाम दिलवायें और मिलमालिक से विकास के काम में कुछ सहायता दिलवायें । लेकिन फर्ज कीजिये कि कोई मिल ऐसी है कि कोई सहयोग नहीं देती है तो क्या आपकी राय है कि उस मिल को गन्ना न दिया जाय । अगर गन्ना न दिया जाय तो फिर क्या आपकी राय है कि उसको गन्ना भी न दिया जाय और उखड़ने भी न दिया जाय ? हम कहते हैं कि गन्ना दो जो मिल नादेहन्द है उस पर कब्जा करो, उसको सरकार से चलवाओ उसकी शक्कर कब्जे में लो और जरूरत हो तो मिल को नीलाम करो । पर मिलें वहां लगी रहें, चलती रहें। परन्तु यह चीज कि गन्ने के दाम देने हैं अगर इस बिना पर आप उनको गन्ना अलाट न करेंगे तो यह किसान के हित में नहीं होगा और इससे उनको बड़ी दिक्कत होगी । मेरे कहने का मतलब यह है कि तीनों प्रस्ताव किसानों के हित में बिलकुल नहीं हैं । यह बात कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिये बेचने की, हमारा खयाल है कि यह अनुचित है । हमारा कहना तो यह है कि किसानों को अधिकार होना चाहिये कि वह मिल से सौदा करें कि तुम किस भाव में गन्ना लोगे । आप कह रहे हैं कि सबको आजादी हो, इसका तो यही मतलब होगा जैसा कि सन् १९३४ में होता था। मिल वाले मुनादी करा देते थे कि कुल ५०० गाड़ी लेंगे और जब गाड़ी वहां पहुंच जाती थी तो कह देते थे कि आज नहीं लेंगे तो किसान परेशान हो कर कहता था कि चार आने मन ले लो, दो आने मन ले लो यहां तक कि वह मुफ्त देने को तैयार हो जाता था, इसलिये यह ठीक नहीं है । हम चाहते हैं कि ऐसी बात हो जिससे हम किसानों को गन्ने के दाम दिला सकें और मिलमालिक डेवलपमेंट के काम में सहयोग कर सकें । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे मंत्री जी का भाषण सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और ताज्जुब इसलिये हुआ कि हमारा संशोधन क्या है और आप कह क्या रहे हैं ? हमारा कहना तो यह है कि जिस वक्त जान निश्चित किये जायं तो उस समय किसानों की राय ले ली जाय। आप कहते हैं कि हम उनको छूट देना चाहते हैं । वह तो अपने मन के अनुकूल माने लगा लेते हैं और उनको लगाने भी चाहिये, क्योंकि उन लोगों की यह आदत हो गई है कि. . . .

अधिष्ठाता—आप विषय पर आ जाइये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन, एक चीज और आपने कह दी कि राय ली जायगी तो सब किसानों से ली जायगी या कैसे ली जायगी । इसके तो माने हमेशा होते हैं कि मेजारिटी जनता से वोट लेकर प्रतिनिधि चुने जायेंगें, तो सवाल मैंजोरिटी का ही है । अगर मेजारिटी का सवाल नहीं है तो फिर राय का क्या मतलब है क्योंकि कोई राय खिलाफ देगा कोई माफिक देगा । आप गांव सभा से राय ले सकते हैं ।

दूसरी चीज आपने बड़े ताज्जुब की कह दी ।

अधिष्ठाता—मैंने तो कोई बात नहीं कही ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---माफ कीजिये अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से कहना चाहता हूं । दूसरी चीज मंत्री जी ने यह कही कि हमारे प्रस्ताव का जो पिछला हिस्सा है कि वह जो काम तरक्की का हो रहा है । उसमें मिलमालिक कितनी मदद करता है इसका भी ध्यान रखा जाय । तो इस पर मंत्री जी ने फरमाया कि जो लोग सहयोग न दें तो क्या उसको एलाट करना बन्द कर दें । अगर ऐसा मतलब है तो इसकी सारी धाराओं को निकाल दिया जाय । अभी पिछले वर्ष का सेस कितनी पर बाकी हैं और गन्ने के दाम भी बाकी हैं तो उसे भी ले लीजिये । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि यह क्यों रखा हुआ है इसका आप जवाब दें, इसका कोई जबाब नहीं है । अगर्चे इसको आप रख सकते हैं कि गन्ने के दाम बाकी हों, सेस के रुपये बाकी हों तो फिर आपको इसका भी कंसीडरेशन करना पड़ेगा जोनिंग करने में तो इसको रखने में कि उसने विकास के काम में कितना सहयोग दिया है कौन सी त्रुटि हो जाती है, इसका माननीय मंत्री जी जवाब दें । मैं तो कहता हूं कि सरकार इस प्रकार भूलभुलैया में डाल कर अपनी हठधर्मी के कारण जो अच्छी चीजें हैं उनको भी नहीं मानना चाहती और इसीलिये मैं कहता हूं कि वे लोग इस वक्त कठघरे में हैं । माननीय गेंदासिंह जी की बात को न मानकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह कठघरे में हैं । आप किसानों की राय ले लें । अगर उसमें यह भी लिख दिया जाय कि उसने विकास के काम में कितना सहयोग दिया है तो कौन सी बात हो जाती है यह भी तो कंसीडर किया जा सकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि सेस के बारे में भी तो इसमें है । ६ ,६ और ७, ७ लाख रुपया पीलीभीत, सरदारनगर और धामपुर फैक्टरियों के ऊपर बाकी हैं उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? जोनिंग करते समय सरकार ने उनका क्या विचार किया ? लिख कर भेजने का तो सवाल नहीं है, सवाल यह है कि इसका भी कंसीडरेशन जोनिंग में किया जायगा । तो निकाल दीजिये इसको । अगर वह गलत है तो यह सब भी गलत है इस तरह से दलील दे कर एक सही चीज को न मानना और अपने बहुमत के जोर पर जो अच्छी चीजें हों उनके लिये भी इन्कार कर देना अगर कठघरे में खड़े होने की बात नहीं है तो क्या है ? श्रीमान आप ही इसका निर्णय दें । सरकार जहां तक कब्जे की बात करती है, उसके लिये तो मैं कहता हूं कि कब्जा कीजिये सारी फैक्टरियों पर कब्जा किया जाय, उनका नेशनलाइजेशन किया जाय, यह तो हम भी चाहते हैं । इसमें तो मिलमालिकों पर एक दबाव डाला गया है कि अगर तुम केन सेस न दोगे या किसानों का दाम समय पर न दोगे तो जोनिंग करते समय इसका ख्याल रखा जायगा । यह इसलिये है कि वह डरें और सेस और गन्ने का बकाया जल्द से जल्द दे दें । इसी तरह से हम यह भी रखना चाहते हैं कि जहाँ हमारा विकास का काम हो रहा है उसमें सहयोग दो, मदद दो और इसको रख देने से कौन सी गड़बड़ी हो गई । इस तरह की बात करके माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि सही बातों पर परदा डाल दिया जाय, लेकिन परदा डालने से ही परदा नहीं पड़ सकता कोई दलील नहीं है कि इसको क्यों न रखा जाय । सिर्फ एक ही दलील हो सकती है, हठधर्मी । हमने तय कर लिया है कि हम नहीं मानेंगे तो कम से कम इसको न मान कर, एक ऐसे सीधे सादे संशोधन को न मान कर जिससे कि सरकार को मदद मिल रही है, प्लानिंग के विभाग को मदद मिल रही है, किसानों को मदद मिल रही है, आप अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं और जो अपने कर्तव्य को पूर्ति नहीं करता है तो वह श्रीमन्, आप ही बताइये कि कठघरे में नहीं है तो कहां है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से इस्तदुआ करूंगा कि वे इस पर विचार करें और इसको मान लें ।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त---अधिष्ठाता महोदय, मेरी इच्छा तो नहीं थी कि मेरे सहयोगी के भाषण के उपरान्त कुछ कहूं परन्तु मेरे मित्र ने फिर कठघरे में खड़े होने की बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

याद दिलाई तो मैंने मुनासिब समझा कि थोड़ा समय मैं भी सदन के उन साथियों का ले लूं जो स्वयं कठघरे में खड़े होने की बात इस सदन के सामने सिद्ध कर रहे हैं। पिछली मर्तबा जब कि सदन में इन नियमों पर बहस हो रही थी, माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि किसानों के हितों के वे रक्षक हैं और ठेकेदार हैं और इधर बैठने वाले व्यक्ति तो किसानों के हितों की रक्षा कर नहीं सकते हैं और मेरे ऊपर तो खैर, उन्होंने यह आपत्ति की ही थी कि मुझे तो उनका प्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु आज जितने संशोधन उन्होंने उपस्थित किये हैं सदन के समक्ष, उनमें उन्होंने इस बात का परिचय दे दिया है कि वे कहां तक उन किसानों के सच्चे प्रतिनिधि हैं, जिनके हितों की रक्षा करने के विषय में वह सदन में चर्चा करते हैं।

३, ४ घंटे हमने सदन के इस बहस में ले लिये परन्तु एक भी संशोधन किसानों के हित में सदन के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया। किसान अपना गन्ना जहां चाहे बेच ले, वह नीति आज से १५–१६ वर्ष पूर्व बरती गई थी उसका क्या नतीजा हुआ था और उस नीति में फिर हमें क्यों परिवर्तन करना पड़ा था उसका थोड़ा बहुत इतिहास माननीय मेरे सहयोगी ने आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है। मैं उस विषय में फिर से चर्चा नहीं करूंगा। इसकी बहस में समय-समय पर राष्ट्रीयकरण की चर्चा अवश्य प्रकट की जाती है और ऐसे समझाने की चेष्टा की जाती है कि कदाचित् राष्ट्रीयकरण से ही हमारे इन किसानों की समस्यायें हल हो जायंगी और उनकी दिक्कतें रफा हो जायंगी। मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं और इस तरफ के बैठने वाले सभी साथी उन व्यक्तियों में से हैं जो राष्ट्रीयकरण की नीति को मानते हुए देश का कार्य करना चाहते हैं परन्तु वह राष्ट्रीयकरण की बार-बार दुहाई देकर उस शब्द को बेकार सिद्ध नहीं करना चाहते हैं।

जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है और उस संस्था का सम्बन्ध है जिस संस्था का प्रतिनिधि होने का हमें गर्व है वह इस बात की घोषणा कर चुकी है कि उसकी नीति राष्ट्रीयकरण के विषय में क्या है। उसकी नीति उन व्यवसाय और उद्योग-धन्धों के विषय में क्या है जो देश में आज प्रचलित है और जिनको नये तरीके से देश के अन्दर लगाना है उनके विषय में यह सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इस बात की घोषणा कर चुकी हैं कि देश के अन्दर देश के साधन को देखते हुए आज इस बात की आवश्यकता है कि देश के लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिये, उनके रहन-सहन में परिवर्तन करने के लिये, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिये देश में उद्योगधन्धे संचालित किये जायं और अधिक मात्रा में संचालित किये जायं। तो वह क्या हमारे मौजूदा साधनों को देखते हुये शीघ्रता के साथ स्थापित किये जा सकते हैं? हमें कई व्यावहारिक ढंग से इन चीजों के सम्बन्ध में कार्य करना है जिससे उत्तरोत्तर हमारे देश में विभिन्न प्रकार से उद्योगों का विकास हो जाय और साथ ही उन लोगों को जिनको हम सुविधा प्रदान करना चाहते हैं और जिनको हम समानता प्रदान करना चाहते हैं, और जिनकी हम आमदनी बढ़ाना चाहते हैं उनके लिये अधिक साधन मुहैया कर सकें। तो क्या आज के इस युग में, आज की इस अवस्था में अपनी नीति के पीछे चलने से हम महज राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था से सुधार ला सकते हैं और किसानों के हित की रक्षा कर सकते हैं, और उनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं जब हमने यह नीति मान रखी है जिसकी घोषणा हमने अपने संविधान में कर रखी है कि यदि हम किसी चीज का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो उस चीज के सिलसिले में जो हमको कम्पेंसेशन देना होगा उसके देने की हम चेष्टा करेंगे। इसलिये कम्पेन्सेशन की मात्रा को निश्चित करने का अधिकार पार्लियामेंट ने स्वयं अपने हाथ में ले रखा है। पार्लियामेंट उस अधिकार को असेम्बली और कौंसिल को प्रदान कर सकती है। तो उस नीति के तहत में हम काम कर रहे हैं और उस नीति के तहत में काम किया है और उसी नीति के तहत में हम काम करना चाहते हैं। आज

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हम इस बात की चेष्टा में लगे हुए हैं कि हम किसानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करें, अधिक से अधिक उनके अधिकारों को हम बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे कानून बनाकर, ऐसे नियमों में परिवर्तन करके जिस से किसान और मजदूरों को असुविधा न हो उनका हित करना चाहते हैं। क्या आज विभिन्न प्रकार के किसानों के लिये कानून, क्या विभिन्न प्रकार के मजदूरों के लिये कानून, जो उनकी सुविधा के लिये बनाये गये हैं इस बात के द्योतक नहीं हैं कि यह सरकार उत्तरोत्तर ऐसे प्रबन्ध को लाकर किसानों के और मजदूरों के लिये अधिक से अधिक सुविधा देने की चेष्टा कर रही है।

आज अगर हम डैथ ड्यूटी लगाकर, फैक्ट्री ला में परिवर्तन कराकर मजदूरों को बोनस और छुट्टी का अधिकार प्राप्त कराकर क्या हम उस समाज वादी व्यवस्था की तरफ नहीं जा रहे हैं जिसका समय-समय पर इस सदन में वर्णन किया जाता है? मेरे मित्र ने बड़ी आसानी से कह दिया कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लिया जाता है। वे राष्ट्रीयकरण के पोषक हैं। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या आज उद्योग धन्धों को संचालित करने के लिये इस बात की आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यावहारिक दृष्टिकोण हम इस सदन के समक्ष रखें? हमें इस पर भी विचार करना चाहिये कि क्या हमारे पास इतने साधन हैं जिनको हम मुआविजा इत्यादि इन चीजों के लिये दे सकें। आज यदि हम सारी शुगर इन्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो उसके लिये प्रर्याप्त धन और साधन कहां से आयेंगे? हम तो चाहते हैं कि उत्तरोत्तर हमारे यहां अधिक उद्योग-धंधे हों और हमारी आमदनी बढ़े। तो क्या वह बातों या भाषणों से ही बढ़ जायेगी? उस के लिये वे चीजें मुहइया करनी होंगी जिन से वह पनप सकती हैं। बार बार उसी बात को दुहराने की नीति को हमें आगे नहीं ले जा सकती है। यह नीति हमें पीछे लेजाने वाली है। केवल हवाई बातों से राष्ट्रीयकरण होने वाला नहीं है। हमारी नीति क्या व्यावहारिक और देश की आवश्यकताओं को सामने रखकर चलने वाली है। जो बातें आज यहां किसानों के हित के लिये संशोधनों के रूप में रखी गई हैं यदि हम उनका अवलोकन करें और वह हमने कर लिया है, तो क्या हमने उनसे अनुभव किया? महज यह दिखलाने के लिये कि हम किसानों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, यह सरकार बड़ी निकम्मी है और मिलमालिकों के पीछे चलना चाहती है, इस तरह की बातें कहकर क्या हम सही परम्पराओं को कायम कर रहे हैं और उन्हें बाहर लेजाने का प्रयत्न कर रहे हैं? यह युग है मेहनत करने का और ऐसी योजनाओं को बनाने का, जिनमें यदि हमें सफलता मिल सके तो हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ऐसी बातों और भाषणों से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और न ऐसी आलोचनाओं से कोई लाभ है जो न किसानों के हितों की रक्षा करती हैं और न हमें किसानों के बीच में उनके हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ने का अभी मौका प्रदान करती है। इसलिये जो संशोधन हमारे साथी ने प्रस्तुत किया, जिसके विषय में हमारे सहयोगी ने उत्तर दिया, उसे सुन कर भी यदि हमारे साथी विरोधी दल के नेता और उनके अनुयायी अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो उससे क्या सिद्ध होता है? हठधर्मी इधर सिद्ध होती है या उधर सिद्ध होती है? कठघरे में किस आदमी के खड़े होने की बात सिद्ध होती है? कठघरे में वह आदमी खड़े होने का उत्तरदायित्व रखता है जो आदमी सच्चे मानों में किसानों के हितों की रक्षा नहीं करता है और उन के हित को सामने रख कर ऐसी कार्यवाही करता है जिससे इस सदन का, जो किसानों का प्रतिनिधि है, समय व्यर्थ जाता है और उसके धन का भी अपव्यय होता है। सुझाव यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसी फैक्टरियों को जो कि सेस का रुपया नहीं दे पाती हैं, जो कमीशन नहीं दे पाती हैं, जो गन्ने की कीमत नहीं दे पाती हैं उनको गन्ना नहीं दिया जाना चाहिये, इस प्रश्न का उत्तर फूलसिंह जी ने दे दिया है। यह सरकार यह नहीं चाहती है कि कोई फैक्ट्री बंद हो जाय और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या किसान इस बात को कभी पसंद करेगा और उस के द्वारा किसी भी प्रकार से किसानों के हित की रक्षा नहीं हो सकती।

इस सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिये, उसके सुभीते के लिये ऐसे नियम बनाये जा रहे हैं जिस से किसानों के हितों की रक्षा हो। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से

जो विभिन्न प्रकार के आदेश निकलते हैं वे भी इसी नीति को सामने रखकर निकाले जाते हैं। क्या यह भी सत्य नहीं है कि डेवलपमेंट के कामों को सामने रखते हुए यह कोशिश सरकार की ओर से नहीं की जा रही है कि फैक्ट्रियों के परमानेन्ट जोन्स कायम कर दिये जायं और अधिक से अधिक जमीन की हालत को सुधारने के लिये, उसको उर्वरा बनाने के लिये, नलकूपों का निर्माण करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है? नये नये प्रकार की गन्ने की किस्मों को पैदा करने का, पानी का प्रबंध करने का और जहां से गन्ना आता है वहां से फैक्ट्री तक सड़कें बनाने और फैक्ट्री को जहां पर किसान गन्ना लेकर जाता है, उसको जो सुविधायें वहां पर मिलनी चाहिये, क्या उनके लिये प्रयत्न नहीं किया जा रहा है? इसके लिये सरकार ने एक स्पेशल आफिसर की नियुक्ति की है। वह प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम फिर कर ऐसी योजना तैयार करेगा जिस से जितनी फैक्ट्रीज हैं उनके अलग-अलग जोन्स बांट दिये जायेंगे। अभी थोड़े दिन का ही समय हुआ है जब मैंने शुगर फैक्ट्रीज के मालिकों को बुलाया था और उनके सामने इस बात को रखा था कि क्या आप इस बात को चाहते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़े? उसकी किस्म की उन्नति हो? क्या आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में यह व्यवसाय बना रहे? अगर ऐसा है तो इस बात की आवश्यकता है कि गन्ने के रोजगार और पैदावार को बढ़ाने के साथ-साथ गन्ने की अच्छी किस्म पैदा की जाय, जिससे शुगर का कंटेंट गन्ने में अधिक हो और साथ ही जल का भी इन्तजाम हो सके, जिस से गन्ने की खेती बढ़ाई जा सके और खेती को उर्वरा बनाया जा सके। अभी सरकार इसी कार्य में लगी हुई है और प्रयत्नशील है। जब उसका स्पेशल आफिसर उस योजना को प्रस्तुत कर देगा तो सरकार उस पर विचार करेगी और अपना निर्णय देगी कि कौन-कौन सा एरिया किस-किस मिल के ताल्लुक कर दिया जाय। हम तमाम कार्य इसी नीति से करते हैं। क्या सरकार इस नीति पर नहीं चल रही है कि गन्ने की खेती बढ़े और किसानों को गन्ने की अधिक कीमत मिले। रिजरवेशन के प्रश्न के साथ ही साथ वह उस क्षेत्र के विकास पर भी विचार करेगी। यही हमारे आदेश केन कमिश्नर को है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अपके जो भी सुझाव हों वे कृपया हमारे सामने उपस्थित कर दीजियेगा और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जो भी सुझाव किसानों के फायदे के होंगे, जो जमीन को उर्वरा बनाने के होंगे, उन सुझावों को ला डिपार्टमेंट के मशविरे से नियमों में रख लिया जायगा। लेकिन मेरे इस सुझाव को माननीय नेता विरोधीदल ने और उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं माना। जिस भाषा में यह संशोधन यहां रखा गया है उस भाषा में, बिना ला डिपार्टमेंट की सलाह के, मैं मानने के लिये तय्यार नहीं हूं। लेकिन यह वचन मैंने दे रखा है कि जो चीज किसानों की फायदे की होगी, गन्ने के रोजगार को बढ़ाने को होगी, ऐसे सब सुझावों पर विचार करके नियमों में उनको स्थान दिया जायगा। वे सारे नियम जो सुझाव के रूप में बतलाये जायेंगे उन पर विचार करके सरकार अवश्य नियमों में परिवर्तन करेगी और जहां संशोधन करने की आवश्यकता होगी वहां संशोधन करेगी और जहां किसी और नियम के बढ़ाने की आवश्यकता होगी वहां वह नियम बदल कर बढ़ा भी देगी, मैं इस प्रकार का आश्वासन तो इस समय दे सकता हूं, लेकिन निरर्थक संशोधन उपस्थित करके सदन के समय को व्यय करने की नीति को न मैं मानता हूं और न उसका पोषक हूं। मैं उसका विरोधी हूं। मैं इन चन्द शब्दों के साथ जो अभी सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कह दिया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस आश्वासन के बाद इस प्रकार का संशोधन जो निरर्थक हो, आवश्यक नहीं हो, वह सदन में नेता विरोधीदल या उनके साथियों द्वारा उपस्थित नहीं किया जायगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि नियम २२ के उपखंड (छ) में "सहकारी समिति" के बाद "तथा गन्ना उत्पादकों" बढ़ा दिया जाय और उपखंड (ज) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय।

"(ज) विकास संबंधी कार्यों में अध्यासी द्वारा सहयोग"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम २४

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि नियम २४ में पंक्ति ३ में "गन्ना उत्पादक" और "उसका" के बीच "को तदनुसार सूचना दी जायगी और" बढ़ा दिया जाय और "निरीक्षण" के बाद शब्द "भी" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह संशोधन मैंने इसलिए रखा है कि किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। फैक्ट्री वाले जो रजिस्टर बनाते हैं उसमें पड़ताल करने में गलतियां रह जाती हैं। अगर किसानों को मालूम न हो कि फैक्टरी वालों ने रजिस्टर में क्या लिखा है तो वह गलतियां जो रह जायंगी वह सुधर न सकेंगी। इसलिए यह मेरा बहुत सीधा सादा संशोधन है और मैं चाहता हूं कि जो एन्ट्रीज हों कि इतनी खूटी, इतना इस किस्म का गन्ना है, इतनी जमीन में बोया गया है, गन्ने की खेती के मुताल्लिक सारी चीजें उसमें रहेंगी। अगर इस सब की सूचना किसानों को मिल जाय तो मिल मालिकों की तरफ से कोई गलती की गई होगी, गड़बड़ी हुई होगी तो वह ठीक हो जायगी अगर किसान उसे सुधरवाना चाहेगा। इससे रिकार्ड भी ठीक हो जायेगा और मैं समझता हूं कि इस से सरकार का, किसान का और मिल मालिकों का सब का हित होगा और सुविधा होगी। आशा है कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर धारा २७ को देखा जाय तो पता चलता है कि यह जो रजिस्टर है और जो एन्ट्री हैं उसकी कापी हमेशा केन उत्पादक ले सकता है। इसलिये इसकी जरूरत नहीं है कि उसे उसके विषय की सूचना अलग से दी जाय। जब वह कापी प्राप्त करने का अधिकारी है तो वह हर प्रकार की सूचना अब भी प्राप्त कर सकता है।

श्री गेंदासिंह---अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी के कम से कम इस बयान के बाद हमदर्दी जाहिर करने को जी चाहता है और मैं बहुत ही सहानुभूति के साथ उनके प्रति यह रुख रखना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी को इस उद्योग के सम्बन्ध में जानकारी कम है। मैं चाहूंगा कि उनकी जानकारी बढ़ाऊं। वह कह सकते हैं कि हम सदन में वक्त बरबाद करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि अगर सदन में समय बरबाद करके हम उनकी जानकारी न बढ़ायें तो न तो उनके घर पर और न दफ्तर में ही उनकी जानकारी बढ़ाई जा सकती है, उन से कहीं भी मिलना या किसी माननीय सदस्य को उनके दर्शन पाना कठिन है ....

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तभी मुझसे ३०० आदमी रोज मिलते हैं।

श्री गेंदासिंह---वह ३०० आदमी मिलते होंगे, लेकिन वह कैसे आदमी मिलते हैं, इसके बारे में मैं यहां क्या कहूं कि कौन अच्छे या खराब आदमी हैं, लेकिन मैंने अपनी बात कही। हमें तो मिलने में जरा दिक्कत होती है। लेकिन जब वह यहां सदन में आ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें उनकी जानकारी बढ़ाने की गुस्ताखी करने का अच्छा मौका मिलता है। सौभाग्य से आज वह दिन भर सदन में बैठे भी रहे और मैं चाहूंगा कि वह बैठें और हाउस में कम से कम लोगों को कुछ भी कहने के लिए सामान तो तैयार किया करें, उन्हें सुनना तो पड़ेगा चाहे वह बाद में हमारी बात को चाहे अनर्गल कहें या नासमझी की बात कहें। मैं जानता हूं कि उनका हृदय बड़ा मुलायम है। सब कुछ कहते हुए बाद में वह अवश्य ही कुछ न कुछ बात का अहसास करते हैं। यह जो संशोधन उन्होंने अस्वीकार करने की बात कही वह उन्होंने उसी जानकारी में कही है। उन्होंने कहा कि नियम २७ में है ही और किसानों को मालूम हो सकता है। वे कापी भी ले सकते हैं। कैसे मालूम हो जायगा ? मैं तो आप से कहता हूं कि उनको नहीं मालूम होता। मैं समझता हूं कि अगर किसानों की इस शिकायत को दूर कर दिया जाय तो केन विभाग की बहुत सी खराबी दूर हो सकती है। उनकी रुपए में आठ आना शिकायतें इसी वजह से होती हैं। गन्ना विभाग के सुपरवाइजर और कामदार और मिल मालिकों के सुपरवाइजर दोनों मिल कर जाते हैं और इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भी गांव में जाता है काम करने के लिए

वह चाहे मुलाजिम हो या कोई और हो वह थोड़ी ढिलाई से काम करता है। वह समझता है कि गांव वाला ऐसा है कि चाहे जितनी ढिलाई करो वह बरदाश्त करता जायगा। तो वे यह हरकत करते हैं कि अगर किसान के खेत में दो सौ मन गन्ना खड़ा है तो मिल मालिक की तरफ से डेढ़ सौ मन लिखवाने की कोशिश की जाती है और दोनों मिल कर दोनों की राय से डेढ़ सौ मन उसको लिखा जाता है। कम एंट्री होती है, कम लिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर कम लिखा जाता है, तो उसी पर अप्रैल के बाद कोशिश होती है रिजर्वेशन की। हमेशा फैक्टरी वालों की कोशिश होती है कि गन्ने का जितना क्षेत्र होगा उससे अधिक रहे यह सप्लाई और डिमांड का सवाल है। अगर ज्यादा गन्ना कारखाने के क्षेत्र के अन्दर रहेगा तो काश्तकार मिल कर चाहेंगे कि हमारा गन्ना फैक्टरी में चला जाय। और इसलिये फैक्टरी के मालिक हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते हैं। इसमें वे हमेशा कामयाब भी होते हैं कि जितना गन्ना खेत में खड़ा होता है वह वास्तव में नहीं लिखा जाता है। यह संशोधन यह बतलाता है कि अगर उसकी सूचना मिल जाय काश्तकार को तो फिर वह दौड़ धूप करके इसकी कोशिश करे कि उसका गन्ना इतना है, ठीक से नहीं लिखा गया है और उसको दुरुस्त कर दिया जाय और उसके दुरुस्त हो जाने के बाद क्या होगा? उसके बाद उसी के मुताबिक उसका एक कलेन्डर बनेगा जिसके मुताबिक अगर किसान का दो सौ मन गन्ना खेत में खड़ा है तो फिर इन रूल्स में आप देखेंगे कि यह लिखा हुआ है कि बराबर जितने दिन उसकी फैक्टरी चलेगी उसके हिसाब से उसका बटवारा कर दिया जायगा कि वह कब-कब अपना गन्ना फैक्टरी को दे दे। अब अगर दो सौ के बजाय डेढ़ सौ मन लिखा गया है तो उसका बटवारा हो जायगा और ४ महीने फैक्टरी चलती है तो उसमें ५० मन उसका ४ महीने के बाद रह जायगा। फिर अंदाजा किया गया तब भी उसका नुकसान होता है और मैंने तो यह दो सौ मन का उदाहरण दिया। २ हजार, ५ हजार मन वाले सब लोगों की यही मुसीबत है। इसलिये मैं सोचता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। सिर्फ इतनी बात काश्तकार को इत्तिला कर दी जाय कि उसका इतना मन गन्ना खड़ा है और ऐसा करके सैकड़ों हजारों आदमियों को जो तकलीफ हो सकती है वह खत्म हो और फिर भ्रष्टाचार की भी जो गुंजाइश होती है वह कम हो। यह भ्रष्टाचार तो अगर कम वजन लिखा गया और फिर अगर दौड़ा धूपी लोग करने लगें कि सही लिखो तो यह बात तो स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार उससे बढ़ता है। तो इस संशोधन के रखने से भ्रष्टाचार भी रुकता है और किसानों की मुसीबत भी दूर हो जाती है और सरकार के कामों में भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती। मिल मालिकों पर अवश्य थोड़ा सा बोझ पड़ता है कि वे परची छपवायेंगे लेकिन करोड़ों रुपया जो मुनाफा कमा रहा है अगर उसमें से २ आने ४ आने निकल गये तो क्या बात हो गई। अब कहने से माननीय नियोजन मंत्री नाराज तो हो जायेंगे, लेकिन मैं यह कहता हूं कि माननीय नियोजन मंत्री जी से अच्छा वकील मिल मालिकों का कोई साबित नहीं हो सकता। अगर कोई शुगर मिल मालिक यहां होता तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारे सामने इस तरह की बातें कर सकें जिस तरह से माननीय मंत्री जी हमको डांट रहे हैं और हमारी पार्टी को डांट रहे हैं।

अधिष्ठाता—डांट नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—डांट नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं तो मैं भी उनको समझा रहा हूं। अगर हमारी तरफ से राष्ट्रीयकरण करने की बात कही जाती है तो वह कहते हैं...

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिर्फ लफ्फाजी।

श्री गेंदासिंह—मैं लफ्फाजी करता हूं, अगर वहां बैठा होता तो इस लफ्फाजी को प्रैक्टिस में करके दिखा देता। शुगर फैक्टरीज को नेशनलाइज करने के लिये पैसा कहां से लायेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी किसानों की बात भी समझें। तीन वर्षों के अन्दर ६५ करोड़ का गन्ना किसानों का फैक्टरियों के पास गया है, १ रु० ७ आ० और १ रु० ५ आ० प्रतिमन पर। हमारा झगड़ा है लेकिन उस झगड़े में आप मदद करने को तैयार नहीं हैं। कहा जाता है

[श्री गेंदासिंह]

कि यह काम दिल्ली का है। अगर सब शुगर फैक्टरीज की कीमत लगा ली जाय तो १८, २० करोड़ की पूंजी की वे हैं। रिजर्वेशन व घिसाई आदि को मैं छोड़े देता हूं। एक एक फैक्टरी को मैं २०, २० लाख की माने लेता हूं।

श्री फूलसिंह—२० करोड़ नहीं, ६० करोड़ है।

श्री गेंदासिंह—सन् ३२ से जो फैक्टरीज बनी हुई हैं उनकी माननीय फूलसिंह जी कहते हैं कीमत ६० करोड़ मान ली जाय, कैसे मैं मान लूं? वह लफ्फाजी बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२५ करोड़ अगर मान ली जाय तो उसके लिये क्या रास्ता है?

श्री गेंदासिंह—२५ करोड़ का रास्ता मैं बतला रहा हूं। तीन वर्ष में ६५ करोड़ मन गन्ना फैक्टरीज को किसान ने १ रुपये १२ आने के बजाय १ रुपये ५ आने पर सप्लाई किया। ६५ करोड़ मन पर यदि ५ आने मन के दाम लगा लिये जायं तो २० करोड़ के ऊपर दाम निकलेंगे। गवर्नमेंट ने ६ आ० मन एक्साइज तो बढ़ा ली। यह माननीय मंत्री जी ने किसानों की मदद की। हम जब मिल मालिकों से पैसा लेने चलते हैं तो हमें जेल भेज दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि लफ्फाजी करते हैं। किसान मर मर कर पैदा करता है। सरकार कानून बना कर मजबूर करती है कि अपना गन्ना फलां फैक्टरी के हाथ बेचो और इस कीमत पर बेचो और जब हम कहते हैं कि इस कीमत पर नहीं बेचना चाहते तो सरकार हमको जेल भिजवाती है। मैं कहता हूं कि बहुत सीधी बात है। इस संशोधन में भी बहुत थोड़े से पैसे लगते हैं। हम किसान को इत्तिला दे देते हैं कि उसका गन्ना इतना है। इसमें फैक्टरी वाले किस तरह से तबाह हो जाते हैं जिसे स्वीकार करने में सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है? सरकार का काम अच्छी तरह से हो जाता है। जो असंतोष बढ़ रहा है वह दूर हो जाता है। मैं जानता हूं कि माननीय गुप्ता जी राष्ट्रीयकरण नहीं होने देंगे। जबकि मैं समझता हूं कि इस देश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण ओवरड्यु है। कतई जरूरत नहीं है कि चीनी मिलें निजी मालिकों के हाथ में बनी रहें। उन्होंने जितना लूटा है वह काफी है। उन्होंने यू० पी० के किसानों की, मजदूरों की और गन्ना बोने वालों की जिस तरह से लूट की है वह रिजर्व बैंक कि पिछले साल की रिपोर्ट से मालूम हो जायगा। उस रिपोर्ट को नियोजन मंत्री पढ़ें। उसमें लिखा है कि देश के जिन जिन कारखानों ने लूट की है देश की उपभोक्ताओं की, रामेटीरियल पैदा करने वालों की उसमें सबसे आगे नम्बर चीनी मिल मालिकों का ही है। इसलिये हमें लफ्फाजी बकने वाला न कह कर दूसरी दृष्टि से देखें। मैं वह बात कह रहा हूं जिससे उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। माने न मानें, उनको अख्तियार है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस संशोधन के मान लेने में उनको कतई एतराज न होना चाहिये। लेकिन इसमें भी मिल मालिकों का पैसा खर्च हो जायगा, कैसे मैं कहूं कि वह मान लेंगे?

श्री शिवनारायण—मैं आपकी इजाजत से २४ नियम की एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं "It shall be open to inspection by every grower."

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री शिवनारायण—जी, मैं बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक उत्पादक को रजिस्टर खुला रहेगा। किसी भी समय वह जा कर निरीक्षण कर सकता है। आप घबड़ा गये, श्रीमन्, मैं तो एक-एक लफ्ज का अनुवाद करने जा रहा था। माननीय मित्र ने उधर से कहा कि आकर कोई चला जायगा। मैं कहता हूं कि अमेंडमेंट पेश करते समय स्वयं नहीं पढ़ पा रहे

थे। आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? रूल इज रूल, आर्डर इज आर्डर। प्रत्येक बात के लिये नियम है। और गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, हर चीज का लेक्चर इस रूल में नहीं रहेगा। इसमें एक नियम बना हुआ है। उसके अन्तर्गत किसान को भी सरकार देखेगी और मिलमालिकों को भी क्योंकि हम दोनों के रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। हम पुनः सदन के अन्दर कहना चाहते हैं कि जैसा कि पहले उपमंत्री जी ने बताया, हम मिलमालिकों को जब गन्ना बच जाता है तब भी कम्पेल करते हैं कि तुम पेरो। हम मिलमालिकों के बड़े हमदर्द नहीं हैं। न उन का एजेंट या वकील यहां कोई बैठा हुआ है। चूंकि मिनिस्टर्स गवर्नमेंट चलाते हैं, अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, अपना कर्तव्य जानते हैं, उसके बाद १२७ वीं धारा में साफ दिया है, अगर सीधे सीधे नहीं देते हैं तो चार आना खर्च करके दरख्वास्त दे कर किसान उसे प्राप्त कर सकता है। जब पड़ताल की जाती है उस समय अगर किसान चतुर हो जाय, मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि गो टु दि मासेज। ट्रेन दी मसेज। हड़ताल कराते हैं और उस जमाने में कराते हैं जब कि सीजन होता है, जब मिल चालू हो जाती है। मैं कहता हूं कि हड़ताल मिल खुलने के पहले करवाओ, अगर दम है। किसान से कह दो अपने घर पेरे। उसको यह नहीं कहेंगे। मेरे लायक दोस्त जो उधर बैठे हैं मिल के हिस्सेदार हैं, पडरौना के हिस्सेदार हैं। मिल चल जायगी तब उनका मतलब सिद्ध हो जायगा। उसके बाद कहेंगे कि हड़ताल करो। मैं कहना चाहता हूं कि जो उधर से प्रस्ताव आया है वह बिलकुल गलत है, निरर्थक है और व्यर्थ है, हवाई किले बांधने से काम नहीं चलता हम किसानों के भी हमदर्द हैं और सच्चे हमदर्द हैं। इन शब्दों के साथ मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है वास्तव में बहुत सुन्दर है। क्योंकि रजिस्टर का निरीक्षण बहुत आवश्यक है और तदनुसार अगर उसको सूचना दी जायगी तो सही होगा। लेकिन पता नहीं कि आखिर ऐसे छोटे संशोधन से सरकार को क्यों आशंका हो जाती है कि गन्ना उत्पादकों का क्या हित हो जायगा। यह सही है कि गन्ना उत्पादक जनता का मुंह मीठा करते हैं। इसलिए जनता की और सरकार की बहुत कुछ सहानुभूति उनके प्रति होनी आवश्यक है। और यह भी आवश्यक है कि गन्ना मिलमालिक कुछ पार्टियों को थैलियां गरम करते हैं शायद इसलिए भी कि उन लोगों का विशेष इंटरेस्ट है, इससे भी वे चाहते हैं कि किसानों को कोई ऐसा अधिकार न दिया जाय जिससे मिलमालिकों की जो वहां पर डिक्टेटरी चल रही है उसमें कुछ हस्तक्षेप हो। वास्तव में यह संशोधन इतना सीधा सादा है कि इसके मान लेने से मैं समझता हूं कि गन्ना उत्पादकों का बहुत बड़ा हित होगा और जो चीनी मिलमालिक हैं उनका कोई विशेष अहित इससे नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कहा गया है कि गन्ना उत्पादक जो हैं उनसे इस सम्बन्ध में राय ली जाय और, श्रीमान्, साथ ही यह भी कहा गया है····।

अधिष्ठाता—अब माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें तो अच्छा है।

कुछ सदस्य—कल तो फ्लड आ रहा है।

अधिष्ठाता—तो जिस वक्त मौका हो, यह लिया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१२ अक्तूबर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९९ पर)

जिला हमीरपुर में मुख्यतः निम्नलिखित उद्योग चल रहे हैं:—

१—बुनाई

२—चर्म उद्योग

३—तेल पेरना

४—पत्थर का काम

सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्योरा यों है :—

१—इस जिले में सात बुनकर सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इनमें से एक केंद्रीय बुनकर सहकारी समिति है जिसे सन् १९५५-५६ में निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी गई है :

(अ) ५६५ रु० ६ आ० ३ पा० रिबेट के रूप में।

(ब) २,००२ रु० ८ आना सेल डिपो खोलने के लिये।

२—चर्मशोधन उद्योग के लिये बरुआ सुमेरपुर में एक केंद्र खोला गया है। इस केन्द्र की सहकारी समिति को २०,००० रु० का अनुदान और १०,००० रु० का ऋण दिया गया है।

३—इस वर्ष पनवारी में एक चर्म शोधन केंद्र खोलने का विचार है और वहां की सहकारी समिति को ५,००० रु० का अनुदान और १५,००० रु० का ऋण देने का आयोजन है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०० पर)

तालिका "क"

सीजन १९५४–५५ की गन्ना मिलों की पेराई तथा गन्ना मूल्य के बकाया के आंकड़ों की तालिका

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	३१–५–५५ तक के पेराई के आंकड़े (लाख मन में)	सीजन भर की पेराई के आंकड़े (लाख मन में)	१ जून, १९५५ को गन्ना मूल्य का बकाया (लाख रु० में)	१ अगस्त, १९५५को गन्ना मूल्य का बकाया (लाख रु० में)	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	इकबालपुर	१७.३५	१७.३५	६.२३	३.३६	१.७५ लाख रु० अगस्त ५५ में अदा हुये।
२	दोईवाला	१७.२४	१७.५९	२.६६	१.३०	बाकी रकम विवादग्रस्त है।
३	देवबन्द	५१.५०	५५.६७	१.५७	२.६७	फैक्ट्री १०,००० रु० प्रति दिन के हिसाब से अदा कर रही है।
४	लक्सर	४९.८५	५४.२३	८.१३	५.२०	४.६१ लाख रु० अगस्त ५५ में अदा हो गये। बाकी विवादग्रस्त है।
५	सहारनपुर	५३.७७	५३.७७	०.९९	०.९९	०.२५ लाख रु० अगस्त ५५ में अदा हो गये।
६	मंसूरपुर	६२.२३	६२.२३	७.२९	४.९२	
७	खतौली	५७.४९	५७.४९	६.०३	३.६७	
८	रोहाना	५८.१९	६०.३७	३.९८	२.०९	

क्रम संख्या	फैक्टरी का नाम	३१-५-५५ तक के पेराई के आँकड़े (लाख मन में)	सीजन भर की पेराई के आँकड़े (लाख मन में)	१ जून, १९५५ को गन्ना मूल्य का बकाया (लाख रु० में)	१-८-५५ को गन्ना मूल्य का बकाया (लाख रु० में)	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
९	शामली	५९.७२	६४.८६	४.२८	.०३	
१०	सखोती टांडा	३३.२४	३४.३६	३.६४	.७५	
११	दौराला	६२.३४	६३.३७	५.२८	१.०७	१.०० लाख रु० अगस्त में अदा हो गए। केवल .०७ लाख बाकी है।
१२	जसवन्त	५८.०७	५८.०७	१०.१८	५.९९	
१३	मोहिउद्दीनपुर	४२.७१	४२.७१	..	..	
१४	बेगमाबाद	४१.७३	४१.७३	५.९६	.५६	१-९-५५ को कुछ बकाया नहीं था।
१५	सिम्भौली	४७.७७	४७.८८	८.०८	.३२	१-९-५५ को कुछ बकाया नहीं था।
१६	मवाना	४५.७७	४६.९७	६.७८	१.५३	१-९-५५ को कुछ बाकी नहीं था।
१७	बुलन्दशहर	१५.१५	१५.१५	३.१२	३.१२	
१८	काशीपुर	३१.९६	३१.९६	६.५५	३.८६	
१९	नेवली	३२.७५	३२.७५	.३२	०.१७	१६-६-५५ के फैक्ट्री के आंकड़े।
२०	अमरोहा	५३.४३	५३.४३	३.३९	३.२७	
२१	बिलारी	४८.६७	४८.६७	४.८०	.८६	
२२	बहेड़ी	४९.५४	४९.५४	१.५९	१.३०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२३	बरेली	३३.६०	३३.६०	६.२२	४.१३	
२४	पीलीभीत	७०.०८	७०.०८	११.२३	३.२२	
२५	रामपुर	४४.२९	४५.६५	४.९८	६.७३	मई १ से बन्द होने तक रिबेट पर खरीदे गये गन्ने का मूल्य शामिल है।
२६	सिवहारा	९५.५३	९५.५३	.८६	४.४३	सिम्रोहारा सोसाइटी का बकाया निकाल कर ।
२७	बिजनौर	५३.४१	५५.५२	३.१०	३.०६	
२८	रोजा	२६.८५	२६.८५	४.४९	..	
२९	बुलन्द	३५.०७	३५.०७	..	..	१–८–५५ का बकाया ।
३०	रज़ा	३५.८१	३५.८१	१.०१	१.३५	१–६–५५ के बकाये से अधिक हैं क्योंकि कालम ६ के आंकड़ों में मई के बाद लिये गये गन्ने का मूल्य शामिल है जो कि बाद को निर्धारित हुआ था।
३१	हरदोई	५१.४०	५१.४०			
३२	हरगांव	८०.२५	८०.२५	.४९	.३२	अब कुल अदा हो गया है।
३३	महोली	५६.५१	५६.५१	२.७५	.५२	१.०८ लाख मन गन्ने की कीमत जो अभी निर्धारित होनी बाकी है, शामिल नहीं है।
३४	गोला	९३.९७	९३.९७	२.४१		
३५	ऐरा	१८.९०	१८.९०	..		
३६	बुढ़वल	२०.२२	२०.२२	.०३		
३७	बाराबंकी	३३.२५	३३.२५			
३८	मसोधा	२५.४४	२५.४४			
३९	बिस्वां	२५.२७	२५.२७			
४०	शाहगंज	२४.६४	२४.६४	.०७	.०५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	फैक्टरी का नाम	३१-५-५५ तक के पेराई के आंकड़े (लाख मन में)	सीजन भर की पेराई के आंकड़े (लाख मन में)	१ जून, १९५५ को गन्ना मूल्य का बकाया (लाख रु० में)	१-८-५५ को गन्ना मूल्य का बकाया (लाख रु० में)	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
४१	खलीलाबाद	१७.६२	१७.६२	.०२	.०१	
४२	मुन्डेरवा	२२.३७	२२.३७	४.२९	३.४८	
४३	बस्ती	३१.४५	३१.४५	.५५	.३७	
४४	नवाबगंज	३३.०२	३३.०२	.०१	.०१	विवादग्रस्त रकम जिसको फैक्ट्री अभी नहीं मान रही है।
४५	तुलसीपुर	२४.४३	२४.४३	..	..	
४६	वाल्टरगंज	२८.४४	२८.४४	.०४	.०३	
४७	बभनान	२३.७६	२३.७६	..	..	
४८	बलरामपुर	२१.४९	२१.४९	..	..	
४९	जरवल रोड	२९.६१	२९.६१	२.७२	१.०१	
५०	परताबपुर	२६.१६	२६.१६	२.१६	१.०६	
५१	बैतालपुर	२९.६७	२९.६७	२.६१	..	
५२	गौरीबाजार	२४.१५	२४.१५	..	..	
५३	देवरिया (पी०)	२७.८३	२७.८३	२.३७	०.७५	
५४	कैप्टेनगंज	३०.९५	३०.९५	०.४१	०.०१	
५५	खड्डा	१४.८१	१४.८१	८.१५	८.१५	
५६	छितौनी	२१.५४	२१.५४	२.५६	१.५३	
५७	लक्ष्मीगंज	१९.६४	१९.६४	१.०१	.२३	
५८	रामकोला (पी)	३१.७७	३१.७७	..	..	
५९	रामकोला (के)	२४.३२	२४.३२	.९२	.५६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

६०	कठकुइयां	१५.२४	१५.२४	६.१९	६.१९	
६१	पडरोना	१६.७०	१६.७०	१३.५५	१०.८७	
६२	सिवराही	२४.८४	२४.८४	.६२	.५२	
६३	सरदार नगर	७५.५८	७५.५८	१०.००	३.०३	
६४	पिपराइच (डी)	२९.८५	२९.८५	१.९९	१.६३	
६५	घुघली	२१.६३	२१.६३	.२८	.१७	
६६	सिसवा बाजार	१८.१३	१८.१३	"	"	
६७	फरेंदा	२१.१७	२१.१७	"	"	
	कुल उ० प्र०	२५२१.२३	२५४४.२०	२०७.०२	११२.१३	

अनुपलब्ध है

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०० पर)

तालिका "ख"

१-८-५५ को फैक्ट्रियों पर सेस के बकाया की तालिका

क्र०सं०	जिले का नाम	फैक्ट्री का नाम	सीजन १९५४-५५ से पहले का बकाया			योग "अ" से "स" तक (लाख रु० में)	५४-५५ सीजन के सेस का बकाया (लाख रु० में)	कुल बकाया
			५१-५२ (अ)	५२-५३ (ब)	५३-५४ (स)			
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	गोरखपुर	सरदारनगर	..	..	..	..	९.७२४	९.७२४
		पिपराइच	..	..	..	..	५.५९६	५.५९६
		सिसवा बाजार	..	..	..	..	.३८८	.३८८
		फरेंदा	..	..	..	..	.५४५	.५४५
२	देवरिया	बैतालपुर	..	..	..	..	१.५७२	१.५७२
		देवरिया	..	..		..	२.५५५	२.५५५
		कैप्टेनगंज	..	..		..	१.१३३	१.१३३
		खड्डा	..	३.२६५	१.८५५	५.१२०	१.३९९	६.५१९
		लक्ष्मीगंज	..	..	..	..	३.४३०	३.४३०
		रामकोला (के)	..	..	..	..	४.५६०	४.५६०
		रामकोला (पी)	..	..	..	..	२.१३०	२.१३०
		पडरौना	..	१.१५२	१.३३२	२.४८४	३.१३२	५.६११
		कठकुइयां	२.२०९	२.६१९	.९०३	५.७३१	२.८५८	८.५

३	बस्ती	मुन्डेरवा	..	..	१.०००	१.०००	१.४६७	२.४६७
		खलीलाबाद	..	..	..	..	१.३१०	१.३१०
४	बहराइच	जरवल रोड	..	..	..	..	२.०५४	२.०५४
५	बाराबंकी	बुढ़वल	..	..	..	..	१.८००	१.८०० [६० हजार रु० प्रति मास की किस्त जिलाधीश द्वारा निर्धारित]
		बाराबंकी	..	..	..	..	३.७१२	३.७१२ [१ लाख रु० प्रति मास की किस्त जिलाधीश द्वारा निर्धारित]
६	जौनपुर	शाहगंज	.११०	..	..	.११०	२.६४५	२.७५५
७	सीतापुर	बिस्वां	..	..	..	..	४.६३६	४.६३६
		हरगांव	..	..	..	..	१३.०४६	१३.०४६
		महोली	..	..	..	..	५.५३३	५.५३३
८	फैजाबाद	मसोधा	..	..	..	..	१.४४६	१.४४६
९	खेरी	ऐरा	..	..	..	..	३.५४३	३.५४३
१०	बरेली	बरेली	..	..	२.००१	२.००१	६.३००	८.३०१
		बहेड़ी	..	..	..	..	७.१५४	७.१५४
११	पीलीभीत	पीलीभीत	..	१.९३२	२.९६०	४.८९२	१३.१४१	१८.०३
१२	बिजनौर	सिवहारा	..	..	.२१०	.२१०	४.६९७	४.९०७
		बिजनौर	..	..	..	..	१.८८०	१.८८०
		धामपुर	..	..	६.५५९	६.५५९	७.९६०	१४.५१९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	जिले का नाम	फैक्ट्री का नाम	सीजन १९५४–५५ से पहले का बकाया			योग "अ" से "स" तक (लाख रु० में)	५४–५५ सीजन के सेस का बकाया (लाख रु० में)	कुल बकाया
			५१–५२ (अ)	५२–५३ (ब)	५३–५४ (स)			
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१३	देहरादून	दोइवाला	.०५३	..	..	.०५३	३.२९८	३.३५१
१४	सहारनपुर	देवबन्द	..	..	..	..	.३७३	.३७३
		सहारनपुर	..	..	..	..	४.०१४	४.०१४
		इकबालपुर	..	..	..	..	१.६६३	१.६६३
१५	मुजफ्फरनगर	मंसूरपुर	..	..	..	..	५.४०३	५.४०३
१६	बुलन्दशहर	पक्षीनगर	..	..	..	..	२.८४१	२.८४१
१७	नैनीताल	काशीपुर	..	..	..	..	४.९२९	४.९२९
१८	एटा	नेवली	..	..	..	..	१.२३६	१.२३६
१९	मुरादाबाद	अमरोहा	..	..	..	..	२.८२०	२.८२०
		बिलारी	..	..	..	..	२.६८३	२.६८३
२०	रामपुर	रामपुर	.५४७	..	..	.५४७	..	.५४७
		योग ..	२.९१९	८.९६८	१६.८२०	२८.७०७	१५०.६१२	१७९.३१९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०० पर)

तालिका 'ग'

निम्नलिखित मिलों के विरुद्ध १७ अगस्त, १९५५, तक १९५४-५५ सीजन के गन्ना मूल्य के बकाया की वसूली के लिये सर्टिफिकेट भेज दिये गये हैं :—

		रु०	आ०	पा०
१—बेगमाबाद	.. ..	१,२६,४५४	३	०
२—सखोती टांडा	.. ..	१,५८,८४९	९	३
३—बुलन्द शहर	.. ..	१,५०,२९२	६	६
४—दोईवाला	.. ..	स्थगित ४४,४९८	३	०
५—बरेली	.. ..	७,५०,७१४	१०	०
६—अमरोहा	.. ..	६,४२,७२०	६	९
७—बिलारी	.. ..	५,७७,७८८	५	०
८—धामपुर	.. ..	३,५४,६०४	५	९
९—सिवहारा	.. ..	३,८९,५८८	१०	०
१०—पीलीभीत	.. ..	७,८८,३१५	१	६
११—रौजा	.. ..	७,२८,७२६	१	६
१२—महोली	.. ..	१,०२,६०३	१३	६
१३—शाहगंज	.. ..	५,५४७	१	३
१४—जरवल रोड	.. ..	१७,२९६	१३	६
१५—मुंडेरवा	.. ..	४,६४,८९५	०	०
१६—सरदार नगर	.. ..	१,४८,१९४	८	३
१७—पिपराइच	.. ..	१,६२,८६३	२	३
१८—खड्डा	.. ..	८,९२,१९२	७	९
१९—लक्ष्मीगंज	.. ..	४,२९,७०२	१	०
२०—रामकोला (के)	.. ..	२,४२,६५१	२	३
२१—पडरौना	.. ..	१९,३०,३००	२	०
२२—कठकुइयां	.. ..	१२,०२,०३१	१३	६
२३—सिम्भौली	.. ..	४,२०४	६	३
२४—देवरिया	.. ..	३,३४,७८८	०	०
	कुल ..	१,०७,४९,१५३	११	९

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०२ पर)

तालिका 'क'

नाम तप्पा	नाम ग्राम	योग प्रार्थना-पत्र
१	२	३
रामपुर रोगहा	बांसगांव	२९
	रामपुर बरहन	११
बांक जोगनी	घघवा जगदीश	१
	दनियाड़ी	१
	पपिरा एहतमाली	१
	कोटवा	१
	सेवरही	१
भदहीं बड़ुरांव	पीपरा कनक	१४
	करमहा	२
	कोटवा	८
झनकौल	निस्वा साहुन	२
मैनपुर	सेमरा धूसी	४
	परसौनी खुर्द	१
	भलुहीमहारी पट्टी	१
	कनखोरिया	२
	कुंडवा उर्फ दलीपनगर	२
	बेलवा पलकधारी	१
	सवया	१
	विशुनपुर बिनवाटीपा	१
	बटेसरा	२७
बांसी चिरगोड़ा	सिसहन	४
	लिस्वा गोइती	२५
	मनकौरा	१
	विरइठ	१
	सोनवल	४
	सरपतही खुर्द	३४
	माघी कोठीलवा	२
	नरहरिया	१
	बहेरा	९
	नरचोचवा	२

नाम तप्पा	नाम ग्राम	योग प्रार्थना-पत्र
१	२	३
बांसीचिरगोड़ा	डीवनी	१
	सदया आबादकारी	१
	गोइती बुजरुग	४०
	बलबुड़िया	२५
	बबुइया हरपुर	९
	नौगवां डन्हरही	१४
	बेतिया	११
सांड़ी	जिगना	२
	सिस्वा मठिया	१०
	कनखोरिया	९
	रूहबालया	१
	नादेह	१२
	खरेदवा	२६
चौड़ा बड़गांव	सिकटा	१९५
	बसहिया बजीरपुर	१२
	सुबुज पट्टी	११
	जंगल पचरुबिया	३५
	पडरी	९
	हनुमानगंज	१०
	सिंगापट्टी	१३
	कटया	१०
	बड़गांव	७
	धीरपट्टी	३
	गोपालपुर	५
	सरया	९
हवेली	तरया सुजान	११
	विहार खुर्द	४
	रागलवा	११
	लतवा जीत	१
	खदुरा	२
	गाजीपुर	१

नाम तप्पा	नाम ग्राम	योग प्रार्थना-पत्र
१	२	३.
भलुआ	सोबवाजिया खुर्द	६
	बरवा	२
	बरवा सुखदेव	१
	भटवलिया	२
बानोपुर	बेलवा बाबूराम	२५
	बुबुरहा	६
	बसडीला	१५
	बिजई छपरा	१३
	माधी मठिया	६
	पकड़ियार	१६
	बानोपुर	३१
पीरथीपुर	गोरी श्रीराम	३
घुरिया बिजयपुर	दुमही	५
रामपुर ढाव	गोरी जगदीश	२
पकड़ी गौगरानी	गगोली	२
	मिस्वा सरकारी	८
	मोतीपुर	५
		८६१

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर)

सन १९५५-५६ में इन्टेन्सिव डेवेलपमेंट ब्लाक्स में परिणित किये जाने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की सूची

खंड का नाम	जिले का नाम
१—पुरकाजी	मुजफ्फरनगर
२—लोनी	मेरठ
३—ऊंचागांव	बुलन्दशहर
४—रुप्पल	अलीगढ़
५—गोवर्द्धन	मथुरा
६—कोतवाली	बिजनौर
७—जोया	मुरादाबाद
८—जहानाबाद (लालुस खेरी)	पीलीभीत
९—ऐंट	जालौन
१०—मोदहा	हमीरपुर
११—महुआ	बांदा
१२—ओराई	बनारस
१३—बादशाहपुर	जौनपुर
१४—सरगहाखेत	नैनीताल
१५—गोसाहबगंज	लखनऊ
१६—नवाबगंज	उन्नाव
१७—सालोन	रायबरेली
१८—हरगांव	सीतापुर
१९—बिलग्राम	हरदोई
२०—बेहजाम	खीरी
२१—कैसरगंज	बहराइच
२२—बाह	आगरा
२३—खेरागढ़	आगरा
२४—कोरीव	इलाहाबाद
२५—निचलोल	गोरखपुर
२६—केप्टेनगंज	देवरिया
२७—दादामन्दी	गढ़वाल
२९—पुरोला	टेहरी-गढ़वाल

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१५ पर)

सन् १९५३ में सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

सन् १९५४ तथा १९५५ में निम्नलिखित सहायता दी गई :—

सन्	सोसाइटी का नाम	अनुदान	ऋण	विवरण
		रु०	रु०	
१९५४	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, सहारनपुर	२५०	..	उन्नतयंत्रों के लिये
१९५५	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, सहारनपुर	२,०००	..	बिक्री घर खोलने के लिये
"	जिला वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, रुड़की	२,०००	..	"
"	बुनकर गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, मंगलौर	..	२,५००	वर्किंग कैपिटल के लिये

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११२ एल० ए०—१९५६—७९६ ।